खण्ड-241, अंक-6
शुक्रवार, 8 चैत्र, शक संवत् 1885
(29 मार्च, 1963 ई0)

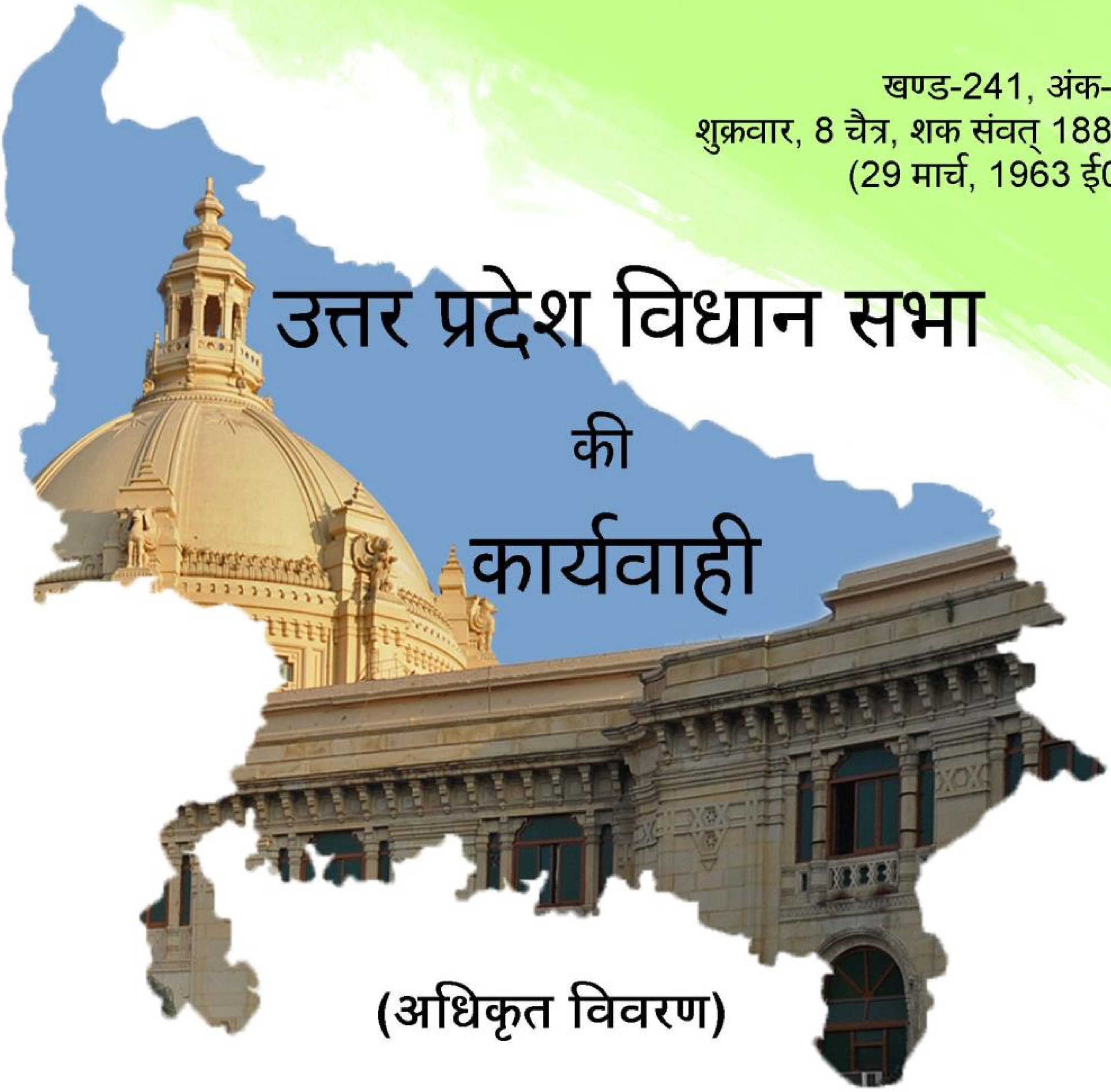

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 241 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २९ मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५०

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराम, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री

गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री,
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान सिद्दीकी, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्फन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम ,श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल फरबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री

बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
मातृप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवनाथसिंह
शिवमूर्ति, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुबेदारसिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती

सूरजपालसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २९ मार्च, १९६३

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

केन यूनियन, बभनान की जांच रिपोर्ट

**१—श्री रामलखनसिंह (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बभनान केन यूनियन की १९५२ से अब तक की इंक्वायरी (जांच) जिलाधीश बस्ती को दी गई थी ? तो जो इंक्वायरी की रिपोर्ट जिलाधीश ने सरकार को दी, उसकी कापी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रम मंत्री के सभा-सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

जिलाधीश, बस्ती की इनक्वायरी रिपोर्ट† बभनान केन यूनियन के बारे में सदन की मेज पर रक्खी जा रही है ।

**२—श्री रामलखनसिंह—

केन यूनियन, बभनान, जिला बस्ती के अन्तर्गत जो १२ लाख रुपये का घाटा हुआ है, जिसको जान कर वहां की जनता क्षुब्ध है वह घाटे की रकम उन व्यक्तियों से वसूल करने का कष्ट करेगी जिनकी वजह से यह बरबादी हुई है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जिन-जिन व्यक्तियों के विरुद्ध जो-जो कार्यवाही कानूनी दृष्टि से करना उचित होगा वह कार्यवाही की जायगी ।

**३—श्री रामलखनसिंह—

क्या सरकार बभनान केन यूनियन के जितने कागजात जिलाधीश बस्ती को मिले हैं उसे स्पेशल आडिट करा कर, आडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बंशीधर पांडेय—

स्पेशल आडिट का प्रबन्ध करा दिया जायगा । स्पेशल आडिट की† रिपोर्ट प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायगी । स्पेशल आडिट में कम से कम ३ मास लगेंगे ।

श्री रामलखनसिंह—

श्रीमन्, रिपोर्ट अंग्रेजी में है, अंग्रेजी मैं जानता नहीं हूं । अगर माननीय मंत्री जी हिन्दी में पढ़ दें तो अच्छा हो, मैं सप्लीमेंटरी कर सकूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

रिपोर्ट तो जिसमें है उसमें रखी जायगी ।

(श्री बंशीधर पांडेय से) उसका सारांश बता दीजिये ।

---

†छापी नहीं गई ।

श्री बंशीधर पांडेय--

केन यूनियन बभनान, एक पुरानी यूनियन है जो अपने सदस्यों द्वारा उत्पादित गन्ने की बिक्री और गन्ने के दाम वसूल करने का कार्य देखती थी। अप्रैल, १९५२ में श्री केशवदेव मालवीय ने हरैया में एक इरिगेशन कनवेंशन बुलवाया। उसमें १०० ट्यूबवेल उस क्षेत्र में लगाने की बात की गयी। इस कार्य को लेकर २३० गांव, जिसमें गोंडा और बस्ती के गांव एक एरिया बन गये और उसमें ३७ नलकूप लगाये गये। २५ ट्यूबवेल बिजली से चलते थे और १२ डीजल से चलते थे। इस कार्य के लिये भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार को साढ़े सोलह लाख रुपया दिया था। यूनियन ने बभनान में ५,४८,८३३ रुपये ७ नये पैसे की लागत से पावर हाउस और उसकी इमारतें बनवायीं और ६,१०,२९६ रुपये से ३७ ट्यूबवेल बनवाये। ३६ ट्यूबवेल पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से १,८०,००० रुपये की सबसीडी दी गयी, ९०,००० रुपया इसका भारत सरकार वहन करे, ऐसा प्रदेशीय सरकार ने लिखा है।

३७ ट्यूबवेल का २८,००० एकड़ कमांड एरिया था और एक ट्यूबवेल का कमांड एरिया ७०० और ९०० एकड़ के बीच में रहेगा। बिजली के जो ट्यूबवेल हैं उनका रेट ६ आने प्रति यूनिट और जो डीजल से चलने वाले हैं उनका ३ रुपया प्रति घंटा रखा गया था। करीब १०.४ यूनिट पक्के बैनल और ६० मील कच्चे गूल बनाये गये।

वह पावर हाउस जिसमें एक मशीन २५० किलोवाट की है वह लगी है और २ मशीने १३० किलोवाट की हैं। एक ट्रांसमिशन लाइन ४० मील लम्बी ५,४३,०८३ रुपये की लागत से लगायी गयी। १० वर्ष के बीच में कुछ ऐसे प्रश्न आगे आये कि जितने हम सिंचाई के साधन ट्यूबवेल से चाहते थे वह कर नहीं पाये। उसके बाद सन् ६१ की जो बैलेंसशीट है उसमें असेट्स की तरफ ११,३३,४०७ रुपया और लायबिलिटी की तरफ २२,७४,५५१ रुपया है। काफी रुपया जो लायबिलिटी की तरफ और घाटे के रूप में रहा, उसके कई कारण थे श्रीमन्।

तो सरकार ने उसके कार्यक्रम को लेकर अपने आदेश दिये।

श्री उपाध्यक्ष--

आप संक्षेप में कहें।

श्री बंशीधर पांडेय--

तो अब यह रिपोर्ट उनकी आ गयी है जो सदन के सामने है और इसके लिये अब हमने स्पेशल आडिट के आदेश दिये हैं। स्पेशल आडिट होने के बाद जो कार्यवाही उचित होगी, वह सरकार करेगी।

श्री रामलखनसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने ट्यूबवेल्स ऐसे हैं जिन्होंने एक गैलन भी पानी नहीं दिया ?

श्री बंशीधर पांडेय--

इसकी संख्या तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता, लेकिन कुछ ऐसे थे जो किन्हीं कारणों से नहीं चल पाये, बाकी सब चले थे।

श्री रामलखनसिंह--

क्या सरकार बतायेगी कि इसमें जो रुपया बरबाद हुआ है, वह कौन देगा ?

श्री बंशीधर पांडेय--

यह देखना होगा कि सरकार देगी या भारत सरकार देगी या जिसकी जिम्मेदारी है उससे वसूल किया जायेगा। वैसे कुछ आदमियों के नाम उसकी स्पेसिफिक जिम्मेदारी फिक्स की गयी है और उनसे वह वसूल करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और उस पर निश्चय के बाद सरकार उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करेगी।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका एन्नुअल आडिट हुआ है या नहीं और यह जो १९६१-६२ में घाटा दिखाया जा रहा है उसमें कितना इम्बैजिलमेंट है, और कितना लापरवाही आदि के कारण नुकसान हुआ है और कितना किसानों से वसूली में पड़ा है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

इस रिपोर्ट में सारी सूची दर्ज है कि कितना रुपया किस व्यक्ति के द्वारा हुआ है, कितना ट्रान्समीटर लाइन के तारों की चोरी से हुआ है, तथा जिन कारणों से लास हुआ है वह इसमें दिया है। वह मैंने बताया कि करीब ११ लाख कुछ का है। जो लायबिलीटीज हैं वह २२,७४,५५१ रुपये की हैं।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)---

जो ११ लाख का घाटा हुआ है यह एक ही साल में हुआ है या निरन्तर कई सालों में हुआ है ? अगर शुरू में हुआ है ? तो अधिकारियों ने इसकी रोकथाम के लिये क्यों उपाय नहीं किये ?

श्री बंशीधर पांडेय---

सन् ५२ में यह यूनियन बनी। जैसा कि रिपोर्ट में है, पहले साल तो करीब डेढ़ लाख का फायदा हुआ है। हर वर्ष की रिपोर्ट तो इस समय नहीं है, लेकिन १९६१ के बाद ही यह सारा हिसाब मिलाकर ११ लाख का घाटा है।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---

इसका जवाब और मिल जाय कि अधिकारियों ने फिर उसकी क्यों रोकथाम नहीं की ?

श्री बंशीधर पांडेय---

जो लोग थे वे उसके लिये प्रयत्न तो करते ही थे, उसके बावजूद भी यह लास हुआ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

जो तार आदि काटने की चोरी हुई, क्या उसकी इत्तिला बराबर थाने में दी गयी थी या नहीं ?

श्री बंशीधर पांडेय---

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

क्या इसके शुरू से ही घाटे की रोकथाम न करने का कारण यह था कि इसके बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के प्रेसीडेंट केन्द्र के एक मंत्री थे इसलिये अधिकारियों की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि कुछ करें ?

श्री बंशीधर पांडेय---

बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स सम्मिलित रूप से इस कार्य को देखता ही था। आडिट रिपोर्ट आने पर सरकार ने विचार किया और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ डी० एम० की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही होगी।

कुंवर श्रीपालसिंह---

मैंने यह पूछा था कि क्या अधिकारी लोग डर के मारे कुछ नहीं कर सके थे ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह वह कैसे बता सकते हैं ?

श्री तमेश्वरप्रसाद (जिला बस्ती)---

क्या माननीय मंत्रीजी को पता है कि ट्यूबवैल का एलाइनमेंट सिंचाई की दृष्टि से नहीं बल्कि कुछ लोगों को फेवर करने के लिये किया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि ट्यूबवेल बिलकुल नहीं चले और कमान्ड एरिया को वे पानी नहीं दे सके ?

श्री बंशीधर पांडेय--

बभनान केन यूनियन के रिजर्व एरिया में गन्ने के उत्पादन के लिये यह लिया गया था। कुछ ट्यूबवेल नहीं चल पाये।

श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)--

क्या यह सही है कि उसमें कोई एमबैंजिलमेंट नहीं है बल्कि इस घाटे में मशीन का डैप्रिसियेशन, ४५ हजार रुपये ब्याज तथा विकास ही शामिल है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

इंटरेस्ट का करीब पौने चार लाख रुपया है और कुछ डैप्रिसियेशन का है।

श्री अवधनारायण प्रतापसिंह (जिला गोंडा)---

मैं भी उस बोर्ड का मेम्बर हूं। हर साल जब उसका बजट पेश होता था तो यह कहा जाता था कि यह इरीगेशन डिपार्टमेंट बन्द कर दिया जाय और ताला लगा दिया जाय, मगर यहां से जब टेलीफोन होता था तो मालवीय जी अपने विशेषाधिकार से हुक्म देते थे कि यह चलाया जाय और हर साल इसमें घाटा होता चला आया, तो क्या इसकी जिम्मेदारी मालवीय जी के ऊपर या अधिकारियों के ऊपर ठहराई जायगी ?

श्री बंशीधर पांडेय---

बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के आनरेरी ज्वाइंट सेक्रेटरी और दूसरे लोग जो हैं उनके ऊपर स्पैसीफिक आरोप लगाये गये हैं। मालवीयजी और दूसरे लोग कहां तक आते हैं, यह स्पेशल आडिट रिपोर्ट की जांच के बाद तय करना सम्भव होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

क्या माननीय मंत्रीजी इस बात की जांच करावेंगे कि ११।। लाख के घाटे का कारण ट्यूबवेल का फेल होना है जोकि पूर्वी जिलों में अकसर होता है बोरिंग ठीक न होने से या और कारणों से ?

श्री बंशीधर पांडेय--

३६ ट्यूबवेल मैंने बताये कि जितना उनसे पानी मिलना चाहिये था वह नहीं मिला। लेकिन बोरिंग वगैरह की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

माननीय मालवीयजी कब से कब तक इस संस्था के प्रधान रहे ?

श्री बंशीधर पांडेय--

५२ से ४ सितम्बर, १९६२ तक, जब सरकार ने उनके इस्तीफे पर निश्चय किया।

श्री रामकुमार शास्त्री---

क्या सरकार को पता है कि माननीय सदस्य इस सदन के, अवधेशनारायणजी, भी उस बोर्ड के मेम्बर हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय---

मेरे पास सूचना तो नहीं है लेकिन उन्होंने स्वयं कहा है कि वे हैं।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

बभनान केन यूनियन के कागजात स्पेशल आडिट के लिये जिलाधीश को कब मिले, क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय--

४ सितम्बर को, जब मालवीयाजी का इस्तीफा स्वीकृत होकर जिलाधीश बस्ती बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के चेयरमैन बनाये गये, उसके बाद ही कागजात उनके पास आये और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी भेजी है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—
अगर इस यूनियन की सारी सम्पत्ति को सरकार ले लेती है तो उसके बाद कितना रुपया घाटा रहेगा ?

श्री बंशीधर पांडेय—
घाटा तो जितना है, सारा मैंने बतला दिया।

श्री ऊदल—
मेरा सवाल है कि सम्बन्धित विभागों के विभिन्न सम्पत्ति ले लेने पर, उसके बाद कितने रुपये का घाटा रहेगा ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—
घाटा तो तब भी रहेगा, डैप्रिसियेशन, इन्टैरेस्ट और बदइंतजामी से जो हुआ।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—
इस प्रश्न की चर्चा के लिये ढाई घंटे के लिये समय अलग ले लिया जाय क्योंकि दूसरे प्रश्न भी हैं।

श्री अवधनारायणप्रतापसिंह—
जिस समय से माधोरामजी स्पेशल डी० सी० ओ० इस स्कीम के लिये बुलाये गये और उनके जमाने में ८०,००० रुपये का गबन हुआ, तो क्या मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि वह भी आडिट रिपोर्ट में शामिल है ?

श्री बंशीधर पांडेय—
आडिट रिपोर्ट में यह सब लिखा है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं पढ़ दूं, बहुत काफी समय लेगी।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

नार्मल ट्रेनिंग के लिए अभ्यर्थियों की योग्यता

*१—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—
क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग द्वारा कोई ऐसा नियम प्रचलित किया गया है कि इंटर और हाईस्कूल की योग्यता वाले अभ्यर्थियों के रहते हुये जूनियर हाईस्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का नार्मल ट्रेनिंग तथा उम्मेदवार शिक्षक के लिये चयन न किया जाय ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री केशभान)—
जी नहीं, किन्तु हाईस्कूल एवं इंटर पास अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाती है।

*२—श्री उमाशंकर—
क्या यह भी सत्य है कि जब सी० टी० की ट्रेनिंग प्रचलित थी तब यह परिपाटी थी कि इंटर पास ही उक्त प्रशिक्षण में लिये जाते थे, और इससे उच्चतम शिक्षा प्राप्त लोगों को उक्त प्रशिक्षण में नहीं रक्खा जाता था ?

श्री केशभान—
सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री उमाशंकर--

क्या माननीय मंत्री जी कृपाकर यह बतलावेंगे कि जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ जगह रख रखा है और हमारे नीचे के स्तर में परिपाटी रही है कि जूनियर हायर सेकेन्डरी पास लोगों को अक्सर इन अपर प्राइमरी स्कूलों में जगह मिलती थी, अब उन्हें इस कम्पीटीशन में लाकर इस तरह उसकी मदद को खत्म कर दिया गया है, सरकार इस बात पर गौर करेगी कि कोई संरक्षण उनको मिलेगा ?

श्री केशभान--

जो प्राथमिकता देने का निश्चय किया गया है, सरकार अभी उस पर अटल है।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पिछले वर्ष जो ट्रेनिंग हुई थी उसमें इंटर-मीडियेट, हाईस्कूल और जूनियर हाईस्कूल के कितने-कितने अभ्यर्थियों को चुना गया था ?

श्री केशभान---

इसके लिये अलाहिदा सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री उमाशंकर--

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बतायेंगे कि सूचना किस बात की एकत्रित की जा रही है ?

श्री केशभान---

इंटर पास ही लिये जाते थे, ग्रेजुएट नहीं। इसकी परिपाटी के बारे में सूचना इकट्ठा की जा रही है।

श्री उमाशंकर---

इस सूचना को इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा और जब से सवाल पूछा गया तब से अब तक क्या किया जा रहा था ?

श्री केशभान--

इस प्रश्न में कोई नियम की बात तो पूछी नहीं गयी है, परिपाटी के बारे में पूछा गया है। परिपाटी को मालूम करने में कई वर्षों का रिकार्ड देखना होगा।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

मंत्री जी ने इंटर और हाईस्कूल पास वालों को प्राथमिकता देने के लिये पालिसी अपनायी है लेकिन नियमों में मिनीमम क्वालीफिकेशन नार्मल पास रखी गयी है। लेकिन आजकल बेकारी को देखते हुए हाईस्कूल पास नार्मल ट्रेनिंग के लिये आसानी से भरती किये जा सकते हैं, तो फिर इस जूनियर हाईस्कूल क्वालीफिकेशन को हटा ही क्यों नहीं दिया जाता है ? क्या इस प्रकार से लिख कर मंत्री जी गलतफहमी को दूर करने की कृपा करेंगे ?

श्री केशभान---

जूनियर हाईस्कूल मिनिमम क्वालीफिकेशन रखी गयी है, वह उचित ही है। अभी यह आशा नहीं की जा सकती कि सर्वत्र इंटर और हाईस्कूल मिल ही जायेंगे। कुछ पिछड़े हुए क्षेत्रों में अभी लड़कियां नहीं मिलती हैं इसलिये जो क्वालीफिकेशन रखी गयी है वह उचित ही है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

क्या हाईस्कूल को प्राथमिकता देने के लिये सरकार एजूकेशन कोड में संशोधन कर देगी ?

श्री केशभान---

जूनियर हाईस्कूल मिनीमम क्वालीफिकेशन है, उसके नीचे वाले नहीं लिये जायेंगे, ऊपर वाले तो लिये ही जा सकते हैं। इसलिये संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)--
जूनियर हाईस्कूल पास कितने लोगों को किस आधार पर लिया गया है ?

श्री केशभान--
सारे उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को लिया गया, वह तो इस समय मालूम नहीं लेकिन यह ठीक है कि जूनियर हाईस्कूल भी लिये गये हैं।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)--
जो नया सरक्यूलर सरकार ने भेजा है उससे इलाहाबाद जिले में एक गलतफहमी पैदा हो गयी है क्योंकि एक भी जूनियर हाई स्कूल नहीं लिया गया है और इसी वास्ते वहां के अध्यक्ष ने उस कमेटी से त्यागपत्र दे दिया है, तो क्या सरकार फिर से कोई सर्क्यूलर जारी करके इसको स्पष्ट करेगी कि जूनियर हाई स्कूल भी लिये जायं और हाई स्कूल तथा इंटरमीडियेट को प्राथमिकता दी जाय ?

श्री केशभान--
स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, सर्क्यूलर स्पष्ट है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जूनियर हाई स्कूल है और हाईस्कूल तथा इंटरमीडियेट को प्राथमिकता देनी चाहिये। ऐसा नहीं है कि जूनियर हाई स्कूल वर्जित हैं।

श्री रघुनार्थसिंह--
क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष नार्मल ट्रेनिंग के लिये सरकार द्वारा मनोनीत किये गये छात्राध्यापकों में कितने जूनियर हाईस्कूल पासशुदा लिये गये ?

श्री केशभान--
इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री बैजनाथ सिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--
क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले में कितने ट्रेनीज को सरकारी स्टाइपेंड दिया गया है ?

श्री केशभान--
इसकी सूचना नहीं है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--
क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी को यह मालूम है कि हरदोई जिले में जूनियर हाई स्कूल को तो लिया ही नहीं गया है और हाई स्कूल, थर्ड डिवीजनर को भी नहीं लिया गया है ?

श्री केशभान--
ऐसी कोई सूचना नहीं है।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--
श्रीमन्, चूंकि यह एक महत्वपूर्ण पालिसी मैटर सरकार के लिये है और अब असेम्बली की बैठक जुलाई में जाकर होगी, तो क्या सोमवार को माननीय शिक्षा मंत्री जी से सरकार की पालिसी को बतलाते हुए, एक निश्चित वक्तव्य दिलाने की कृपा आप करेंगे ?

श्री केशभान--
पालिसी तो स्पष्ट की जा चुकी है।

श्री हरीशकुमार गंगवार--
यह देखते हुये कि इस सरक्यूलर के जाने के बाद प्रदेश भर में जो विद्यार्थी जूनियर हाई स्कूल पास कर चुके थे, उनको शायद ही कहीं ट्रेनिंग में लिया गया है, तो क्या सरकार इस प्रकार के आदेश जारी करेगी कि फर्स्ट डिवीजनर या सेकेंड डिवीजनर जूनियर हाई स्कूल का भी काफी कोटा निश्चित कर दिया जाय और उनको लिया जाय ?

श्री केशभान--

इस प्रकार के सरक्यूलर की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि गत वर्षों में जूनियर हाई स्कूल के समक्ष संस्कृत की प्रथम परीक्षा को मान्यता मिल चुकी है और उसके अनुरूप संस्कृत में प्रथमा पास विद्यार्थी नार्मल ट्रेनिंग के लिए लिये जाते थे, यदि ऐसी स्थिति है तो माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने प्रथमा पास विद्यार्थी नार्मल ट्रेनिंग के लिये चुने गये या नामजद किये गये।

श्री केशभान--

मिनिमम क्वालिफिकेशन के अन्तर्गत तो यह है। लेकिन पूरे प्रदेश भर में कितने लिये गये, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री उमाशंकर--

प्रश्न संख्या २ के संबंध में जो माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि सूचना एकत्र की जा रही है, तो वह सूचना कब तक एकत्र होकर यहां आ जायेगी ?

श्री केशभान--

अभी ठीक निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है लेकिन कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसकी सूचना मिल जाय।

परसपुर क्षेत्रीय समिति का चकबन्दी विषयक प्रस्ताव

*३--श्री शांतिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले की परसपुर क्षेत्रीय समिति ने, अपनी किसी पिछले माह की बैठक में, चकबन्दी त्रुटियों तथा उससे उत्पन्न कठिनाइयों पर सरकार का ध्यान कुछ प्रस्तावों के द्वारा आकर्षित किया है ? यदि हां, तो उन प्रस्तावों की एक प्रति क्या सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)--

परसपुर क्षेत्रीय समिति ने दिनांक १० जनवरी, १९६३ की बैठक में प्रस्ताव संख्या ९ व १०, चकबन्दी आदि के संबंध में पास किये थे। उक्त प्रस्तावों की† प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

*४--श्री शांतिचन्द्र शुक्ल--

क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रस्तावों के संबंध में सरकार का विचार क्या है और उसे करने में प्रगति क्या है ?

श्री बृजबिहारी--

जहां तक चकबन्दी विभाग का संबंध है प्रस्ताव ९ में ग्राम पसका में चकबन्दी करने का सुझाव है। इस ग्राम की भूमि पर नदी के कटाव का विशेष प्रभाव है और यहां की भूमि प्रतिवर्ष दीर्घ अवधि के लिये जलमग्न रहती है। अतः उसमें चकबन्दी करना संभव नहीं है। इसी प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि ट्यूबवेल से सिंचने वाले क्षेत्र में नालियों की व्यवस्था नहीं की गई है। सामान्य रूप से नालियों की व्यवस्था की गई है। यदि किसी गांव में कोई कमी रह गई है तो आवश्यक व्यवस्था करने का प्रयत्न किया जायेगा। परसपुर समिति से इस संबंध में संबंधित ग्रामों की सूची मांगी गई है।

---

†छापी नहीं गई।

प्रस्ताव नं० १० में उल्लिखित तालाब आदि से सिंचाई के लिये नाली बनाने व ओसराबन्दी निश्चित करने का कार्य चकबन्दी योजना में नहीं किया जाता है क्योंकि आवश्यक सुविधायें चकबन्दी अधिनियम की धारा ३० के प्राविधान के अनुसार पूर्ववत् उपलब्ध रहती हैं।

श्री शांतिचन्द्र शुक्ल--

यदि वहां चकबन्दी करना सम्भव नहीं है, तो क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि वहां के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुये कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां रामायण लिखी है और उनके गुरू, बाबा नरहरिदास का भी टीला है जहां पर उनके हाथ की रामायण भी उपलब्ध है और वहां पर महीनों तक मेला लगता है, तो क्या सरकार उस जमीन को रिजर्व करके मेले को देगी ?

श्री बृजबिहारी--

मेला लगाने की व्यवस्था तो गांव समाज करता है, उससे सरकार का कोई संबंध नहीं है।

श्री शांतिचन्द्र शुक्ल--

हमारे जिले में जो नालियों की व्यवस्था सामान्य रूप से थी और हमारे जिले में जहां चकबन्दी हुई है वहां जो नलकूपों की गूलें थी उनको बनाने का कोई उपाय नहीं हुआ है, जो चकबन्दी से गड़बड़ हो गई है, जबकि चकबन्दी समिति में इंजीनियर और एस०ओ०सी० बैठते हैं। तो क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी कि जहां चक बन गये हैं और गूलें नहीं बनी हैं और जिनके लिये जमीन नहीं छोड़ी गई है और कठिनाई हो रही है, इस पर सरकार विचार करेगी ?

श्री बृजबिहारी--

पानी ले जाने के लिये जो गूल बनाने के नियम होते हैं उनमें तो "ईजमेंट का राइट" होता है, उसके अनुसार जहां से पानी जाता रहा है वह जायगा ही।

श्री शांतिचन्द्र शुक्ल--

जहां पर चकबन्दी हो गई है और जहां पुराने जमाने से एक तरीका चला आ रहा था कि भाई चारे से तय हो जाता था कि फलां को पहला पानी मिलेगा, फलां को दूसरा मिलेगा, इस तरह से एक ओसरेबन्दी का तरीका था लेकिन चक कटने के बाद वह चीज खत्म हो गई और चक अलग हो गये। इससे सार्वजनिक कुओं और तालाबों से पानी लेने में दिक्कत और नुक्सान हो रहा है, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही करेगी कि लोगों को पानी मिल सके ?

श्री बृजबिहारी--

पानी मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जिस रास्ते से पानी जाता रहा है नलकूप या तालाबों का, वह जायगा ही। कोई झगड़ा हो भी, तो वह आपस में तय हो सकता है। इसमें सरकार क्या कर सकती है ?

श्री राजेन्द्रसिंह--

प्रस्ताव में चकबन्दी की कौन सी त्रुटियां और कठिनाइयां बताई गई हैं और उनमें से कौन-कौन सी दूर कर दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बृजबिहारी--

जो त्रुटियां बतलाई गयीं थीं और चकबन्दी में ठीक से काम होने की शिकायत थी उसे दूर कर दिया गया और सबको संतोष हो गया।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

जगह-जगह गूलें और नालियां नहर से ली जाती हैं वह लोगों की जमीन से निकाली जाती हैं और उनको लोगों की जमीन के अन्दर चक बनाते वक्त शामिल कर लिया जाता है जिससे हकतल्फी होती है।

श्री बृजबिहारी--

चकबन्दी अधिनियम की धारा ३० में उल्लिखित है कि जिस तरफ से पानी आदि की निकासी होती रही है उसी प्रकार से वह काम होता रहेगा।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

चक में नाली या गूल निकालते वक्त जो जमीन ली जाती है वह गांव समाज की जमीन से क्यों नहीं ली जाती, किसान के रकबे में से क्यों काटी जाती है?

श्री बृजबिहारी--

इसमें व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं जिनके कारण उसको शामिल नहीं किया जाता है।

श्री जे० पी० मिश्र--

अधिक अन्न उपजाओ योजना के लिये ड्रेनेज की योजना और पानी की समस्या को फिर दोबारा अतिरिक्त जिलाधीश से जांच कराने की सरकार कृपा करेगी?

श्री बृजबिहारी--

मैंने निवेदन किया कि कोई समस्या ही नहीं है। पानी की निकासी की कोई समस्या अगर किसी गांव में होगी और उसके लिये कोई सुझाव दिया जायगा, तो सरकार उस पर विचार करेगी।

इन्टर क्लासेज के टीचरों को एल० टी० ग्रेड

*५--श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित) तथा श्री बृजेश्वरसहाय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट इंटर कालेजों में कितने ऐसे अध्यापक हैं जो इंटर क्लास को पढ़ाते हैं और उनको वेतन ग्रेड एल० टी० का ही मिलता है? अगर ऐसा है, तो क्यों?

श्री केशभान--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री बृजेश्वरसहाय--

क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि १५ मार्च को यह प्रश्न स्थगित किया गया था और अभी तक सूचना नहीं आयी है, तो यह कब तक प्राप्त हो जायगी?

श्री केशभान--

इसमें जो सूचना मांगी गयी है वह पूरे प्रदेश के लिये है कि इंटर क्लास को जो पढ़ाते हैं उनको वेतन ग्रेड एल० टी० का ही मिलता है और ऐसा है, तो क्यों है। इसमें बहुत डिटेल की आवश्यकता है और यह आशा की जाती है कि यह सूचना जल्द से जल्द आ सकेगी।

एच० टी० सी०, जे० टी० सी० के लिए पिछड़ी व अनुसूचित जातीय अभ्यर्थी

*६--श्री गंगाधर भंडारी (जिला चमोली), श्री कैलाश (जिला देवरिया) तथा श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर, देवरिया, बनारस, बलिया, गाजीपुर और जौनपुर में कितने-कितने व्यक्ति एच० टी० सी० और जे० टी० सी० में सरकार द्वारा नामजद किये गये हैं तथा कितने आवेदन-पत्र आये थे?

श्री केशभान--

सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६०९ पर)

*७—श्री गंगाधर मैठाणी, श्री कैलाश तथा श्री बांकेलाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इसमें कितने अनुसूचित जाति तथा कितने पिछड़े वर्ग के हैं ?

*८—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इसमें पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के भी आवेदन-पत्र खारिज किये गये हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री केशभान—

अभ्यर्थियों को जाति-पांति के आधार पर मनोनीत नहीं किया जाता। इसलिये अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग के मनोनीत व्यक्तियों का कोई पृथक रिकार्ड नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

जब विभागों में १८ प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखने का आदेश है, तो इसमें न रखने के क्या कारण हैं ?

श्री केशभान—

यह चुनाव केवल सरकार के मनोनीत सदस्यों द्वारा होता है इसलिये इसमें संख्या निर्धारित नहीं है। प्रापर चैनल से चुनाव होकर जो आते हैं उनके लिये १८ फीसदी संख्या निर्धारित है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जब जिलों को आदेश हैं कि वह १८ फीसदी स्थान सुरक्षित रखें, तो सरकार सुरक्षित क्यों नहीं रखती है, इसका क्या कारण है ?

श्री केशभान—

प्रत्येक ट्रेनिंग कालेज के लिये ५ मनोनीत करने का विधान है। इसलिये १/६ संरक्षण करने का प्रश्न नहीं होता। इस वक्त तक यही रहा है।

श्री कल्पनाथसिंह—

गोरखपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर में कितने जूनियर हाई स्कूल व्यक्ति ऐसे हैं जिनको इस ट्रेनिंग में लिया गया है ?

श्री केशभान—

इसके लिये अलग से सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री कैलाश—

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि यह चुनाव किस आधार पर हुआ ?

श्री केशभान—

जो यह प्रार्थना-पत्र आते हैं उन पर विचार कर के मनोनयन किया जाता है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जौनपुर में कितने जूनियर हाई स्कूल व्यक्तियों को उन्होंने नामजद किया ?

श्री केशभान—

मैंने पहले ही जवाब दे दिया कि हर एक जिले के बारे में विवरण नहीं मांगा गया है और न इसकी सूचना यहां पर है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

जिला परिषदों से जो अध्यापक ट्रेनिंग के लिये चुने जाते हैं उसमें हरिजन बहुत कम लिये जाते हैं। तो क्या सरकार जिनको नामिनेट करती है उनमें अधिक से अधिक हरिजनों को नामिनेट करने की कृपा करेगी ?

श्री केशभान---

जिलों से जो चुन कर आते हैं उनमें उनकी संख्या निर्धारित है। जब उसमें ही कम आते हैं तो उसके लिये प्रयास किया जाता है। यहां पर ऐसा करने का कोई विचार नहीं है।

श्री रघुवीरसहाय कथवार (जिला फतेहपुर)---

एजुकेशनल बोर्ड में केवल जूनियर हाई स्कूल को नार्मल ट्रेनिंग में लेने का प्राविधान है। इसके बावजूद उन्हें इस प्रदेश में इस वर्ष नार्मल ट्रेनिंग के लिये किसी जिले से नहीं चुना गया, इसका क्या कारण है?

श्री केशभान---

यह सत्य नहीं है कि केवल हाई स्कूल लिये गये और जूनियर हाई स्कूल नहीं लिये गये।

सेरिया ग्राम के बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*९---श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले की गरौठा तहसील में सेरिया ग्राम के बाढ़-पीड़ितों को सन् १९६१ व १९६२ में कितना रुपया सहायता में दिया गया और कितने रुपये की हानि बाढ़ से हुई थी?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---

सन् १९६१ में अत्यधिक वर्षा के कारण लगभग ५०,५९५ रु० की हानि हुई थी। सन् १९६२ में हानि नहीं हुई। बाढ़ पीड़ितों में ९,५५६ रु० गृह निर्माण के लिये अनुदान तथा अहेतुक सहायता के रूप में वितरित किये गये हैं।

रामभरोसे आर्य इन्टर कालेज, राजा का रामपुर में कृषि सम्बन्धी उपकरण

*१०---श्री बृजेश्वर सहाय---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राम भरोसे आर्य इन्टर कालेज, राजा का रामपुर (एटा) को कृषि कक्षा के लिये मान्यता प्राप्त होने से पूर्व शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित समस्त न्यूनतम सामग्री एवं उपकरण से, जो परिपूर्ण किया गया था वह सामग्री तथा उपरकण अब विद्यालय में मौजूद है या नहीं क्या सरकार इसका निरीक्षण करके बताने की कृपा करेगी?

श्री केशभान---

प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार कुछ उपकरण खो गए हैं और अब विद्यालय में मौजूद नहीं हैं।

श्री बृजेश्वरसहाय---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसका निरीक्षण जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा कराया गया या नहीं?

श्री केशभान---

निरीक्षण कराया गया लेकिन मूल रजिस्टर प्रधानाचार्य दे नहीं सके, जिसकी वजह से उसका फिजिकल वेरीफिकेशन नहीं हो सका।

श्री बृजेश्वरसहाय---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने रजिस्टर मांगा और प्रधानाचार्य उपस्थित न कर सके, तो जब मान्यता दी गई थी उस समय कितना सामान मौजूद था और अब कितना सामान मौजूद है?

श्री केशभान---

जांच करने के बाद ठीक-ठीक बताया जा सकेगा। जब तक जांच न हो जाय तब तक ठीक नहीं बताया जा सकता है। प्रधानाचार्य ने जो सूचना दी है उसके अनुसार बताया जा सकता है कि कितना सामान खोया है।

श्री बृजेश्वरसहाय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कृषि के लिये प्रेक्टिकल एक्जामिनेशन होते हैं और मान्यता दी गई है और सामान है नहीं तो विद्यार्थियों की परीक्षा किस प्रकार से होगी ?

श्री केशभान—

प्रेक्टिकल परीक्षा के लिये तो जहां केन्द्र होगा वहां व्यवस्था की होगी ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस सामान का फिजीकल वेरीफिकेशन कब तक करायेंगे ?

श्री केशभान—

प्रधानाचार्य को आदेश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द रजिस्टर प्रस्तुत करें । जब वे रजिस्टर प्रस्तुत करेंगे तो जल्दी से जल्दी जांच करायेंगे ।

[२९ मार्च, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

[१०वें बुधवार के लिये प्रश्न १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

फतेहपुर जिले में हरिजन कलेक्शन अमीन

*२—श्री रघुवीर सहाय कैथवार—

जिला फतेहपुर में हरिजन अमीन के संबंध में दिनांक १४ दिसम्बर, १९६२ के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या ३६ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिले में अनेक जूनियर हाई स्कूल व हाई स्कूल उतीर्ण हरिजन उपलब्ध होने व प्रार्थना-पत्र देने पर भी ६० स्थायी व २७ साल भर वाले अमीनों में १८ प्रतिशत के हिसाब से हरिजनों को न रख कर केवल ८७ में केवल ३ ही हरिजन अमीन रखने का क्या कारण है ?

श्री बृजबिहारी—

कलेक्शन अमीनों की संख्या में हरिजनों की नियुक्त कम होने का कारण यह है कि कलेक्शन स्कीम जब १९५२ में प्रारम्भ हुई तभी जिन अमीनों की नियुक्ति हो चुकी थी वही अमीन बराबर कार्य कर रहे हैं । राजकीय आदेशानुसार उन्हीं अमीनों की नियुक्ति की गई थी जो पहिले से सिंचाई की वसूली व सीजनल अमीन के पद पर अधिक समय से वसूली का कार्य करते चले आ रहे थे । संभवतः उस समय सुयोग्य हरिजन उपलब्ध न हुये होंगे । अब इस कमी को पूर्ण करने का पूरा-पूरा प्रयास किया जा रहा है ।

*३—श्री रघुवीर सहाय कैथवार—

क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ३१ सीजनल अमीनों में भी १८ प्रतिशत के हिसाब से हरिजनों को न रख कर केवल तीन ही सीजनल हरिजन अमीन रखने का क्या आधार है ?

श्री बृजबिहारी—

सीजनल अमीनों में भी हरिजन वर्ग की नियुक्ति की प्रतिशत में कमी का मुख्य कारण यह है कि हरिजन इस पद के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हुये । इस दिशा में भी उनकी संख्या बढ़ाने का प्रयास जारी है ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब प्रश्न में अनेकों शिक्षित हरिजनों के उपलब्ध होने की सूचना दी गई है तो फिर यह जवाब कि उस समय हरिजन उपलब्ध नहीं रहे होंगे, इसका क्या आधार है ?

श्री बृजबिहारी—

श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि १९५२ में इतने हरिजनों की संख्या उपलब्ध नहीं थी । अतः जो नियुक्तियां हुई उनमें मजबूरी थी । अब प्रयास किया जाता है और ज्यों-ज्यों हरिजन मिलते रहते हैं त्यों-त्यों उनकी नियुक्ति की जाती है ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

श्रीमन्, मैं अर्ज करता हूं कि मैंने प्रश्न में सूचित कर दिया था कि हरिजन पहले से उपलब्ध थे लेकिन इसके बावजूद यह जवाब देना कि हरिजन उपलब्ध नहीं रहे होंगे, "नहीं थे", जवाब नहीं है ? इसका तत्व क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष—

(मंत्री से) आपने जवाब दिया है कि नहीं रहे होंगे, तो डेफिनिट न कहने का क्या आधार है ?

श्री बृजबिहारी—

श्रीमन्, जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें यह लिखा हुआ है कि नहीं रहे होंगे, उस वक्त का रिकार्ड नहीं रहा होगा। इसके आधार पर हमने उत्तर दिया है।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार का कोई ऐसा आदेश है कि अगर कहीं पर भी शिक्षित हरिजन उपलब्ध न हों तो सुरक्षित स्थानों को रिक्त रखा जाय ? यदि हां तो फिर फतेहपुर जिले में स्थानीय कर्मचारियों के आदमियों को अमीन की जगहों पर क्यों भर दिया और हरिजन क्यों नहीं रखे गये ?

श्री बृजबिहारी—

श्रीमन्, अब नियम बन गया है। १९५२ में जब नियुक्तियां की गई थीं सम्भव है उस समय उम्मीदवार नहीं रहे होंगे। लेकिन अब जैसे मिलते जाते हैं नियुक्ति की जाती है और कमी पूरी कर दी जाती है। यह बयान सदन में कई बार दिया गया है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले सालों से लगातार यह सवाल उठ रहा है कि माल विभाग में १८ फीसदी हरिजनों की सीटें पूरी नहीं हो रही हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुये कि अब पढ़े-लिखे हरिजन उपलब्ध हो रहे हैं, तो क्या सरकार ऐसा आदेश देगी कि अब १८ फीसदी पर स्टिक न करके उतने हरिजन लिये जायेंगे जिससे १८ फीसदी की पिछली कमी भी पूरी हो जाय ?

श्री बृजबिहारी—

इसके लिये माननीय माल मंत्री वक्तव्य दे चुके हैं। इसके लिये जगहें भी छोड़ दी जाती है। जहां तक होता है परसेंटेज पूरा करने का निरन्तर प्रयास होता है।

श्री सहदेव सिंह (जिला इटावा)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अभी जो सीजनल अमीनों की नियुक्तियां हुई थीं, उनमें कितनी दरख्वास्तें आयी थीं और कितनी हरिजनों की थीं ?

श्री बृजबिहारी—

यह भी उसी समय का और वही क्रम चल रहा है। अगर उनकी संख्या चाहते हैं तो नोटिस की आवश्यकता है।

श्री सहदेवसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अब जब डिमांड बहुत बढ़ गयी है, अमीनों की संख्या भी हर जिले में दो, तीन, चार गुना हो गयी है, तो फतेहपुर में जितने अमीन १९५२ में थे उतने ही १९६२ में बने हुये हैं ?

श्री बृजबिहारी—

जितनी अमीनों की संख्या में वृद्धि हुई है उसी क्रम से नियुक्तियां भी होती हैं।

श्री सहदेवसिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो दरख्वास्तें सीजनल अमीनों की जगहों के लिये आयीं थीं वह कितनी थीं और उनमें हरिजनों के कोई प्रार्थना-पत्र थे या नहीं ?

श्री बृजबिहारी—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री राजेन्द्र सिंह—

इस बात को देखते हुये कि सीजनल अमीनों के लिये कोई नोटिफिकेशन नहीं होता [illegible] प्रार्थना-पत्र तहसीलदार द्वारा नहीं मांगे जाते हैं और अनियमितताओं के अनुसार व्यक्तिगत आधार पर चुने जाते हैं, क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि तहसील के छोटे से छोटे कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से नाम मांगे जायं और सीधे तौर से नियुक्ति न की जाय ?

श्री बृजबिहारी—

एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से ही मंगाया जाता है। अब जितनी नियुक्तियां होती हैं उसके बाद होती हैं।

घाटमपुर तहसील में ए० सी० ओ०, कुंवरपुर के विरुद्ध जांच

*४—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला कानपुर की तहसील घाटमपुर के अन्तर्गत ए० सी० ओ०, कुंवरपुर के विरुद्ध किन-किन विभागीय उच्च अधिकारियों को कब और कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये ? उनकी जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और उनके विरुद्ध अब तक क्या विभागीय कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

*५—श्री शिवनाथसिंह (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि ए०सी०ओ०, कुंवरपुर के विरुद्ध जांच करने हेतु डी०डी०सी० गये थे ? यदि हां, तो उन्होंने प्रार्थना-पत्र की जांच करके कितने समय में उच्च अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

*६—श्री शिवनाथसिंह (अनुपस्थित)—

क्या ए० सी० ओ०, कुंवरपुर के शिकायती-पत्र में निर्णय न देने के कारण किसी विधायक द्वारा मंत्रियों व अधिकारियों को विरोध-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

*७-९—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये।]

विज्ञान अध्यापकों की कमी

*१०—श्री रघुनाथसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर गया है कि इस राज्य के इन्टर कालेज की कक्षाओं के विज्ञान अध्यापकों की कमी की परेशानी आये दिन शिक्षा संस्थाओं को उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो विज्ञान जैसे उपयोगी विषय की पढ़ाई सुचारुरूप से की जाने के लिये क्या वे अविलम्ब कदम उठायेंगे ? यदि हां, तो वे कदम क्या होंगे ?

श्री केशभान—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रघुनाथसिंह---

क्या शासन मंत्री जी यह बतायेंगे कि विज्ञान के अध्यापकों की कमी से होने वाली परेशानी की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान जाने की सूचना एकत्र की जा रही है अथवा इस कमी की पूर्ति के लिये अविलम्ब कदम उठाने के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है ? इस प्रश्न के दो पहलू हैं, किस पहलू की सूचना एकत्र की जा रही है ?

श्री केशभान---

अध्यापकों की कठिनाई है यह तो सूचना मिली है, लेकिन कितनी कमी है, उसके लिये क्या क्या विधान करना पड़े, क्या वित्तीय असर पड़ेगा, क्या सब सोचा जा रहा है, इसके लिये आंकड़ों की जरूरत होगी। इसी लिये कहा गया है कि सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रघुनाथसिंह---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह सूचना कब तक मिल जायगी और सदन को इस सूचना से कब तक अवगत कराया जायगा ?

श्री केशभान---

मेरा खयाल है यह बहुत ही जल्द अवगत करायी जा सकेगी।

बिन्दकी तहसील के बंथरा गांव में चकबन्दी सम्बन्धी आपत्तियां

*११---श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)---

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम बन्थरा, तहसील बिन्दकी, जिला फतेहपुर की आबादी तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रयोजनों के लिये सुरक्षित भूमि, अब कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के चकों में प्रविष्ट कर दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त भूमि किन कारणों से किन-किन व्यक्तियों के चकों में दी गयी और उक्त प्रयोजन की भूमि गांव के किन-किन नम्बरों में दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

आवश्यक सूचना †सदन की मेज पर रख दी गई है।

*१२---श्री रामकिशोर वर्मा (अनुपस्थित)---

उक्त बन्थरा गांव में ए० सी० ओ० द्वारा बनाये गये चकों की संख्या क्या है ? तथा सी० ओ० के यहां कितनी आपत्तियां प्रस्तुत की गयीं, उसमें कितनी खारिज की गयीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

बन्थरा ग्राम में ए० सी० ओ० द्वारा बनाये गये चकों की संख्या ३४४ है। सी० ओ० के यहां कुल १३८ आपत्तियां प्रस्तुत की गई जिनमें से २६ आपत्तियां खारिज की गईं।

आजमगढ़ जिले में तृतीय श्रेणी में हाई स्कूल में उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अध्यापक

*१३---श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष तृतीय श्रेणी में हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण जिला परिषद्, आजमगढ़ के अप्रशिक्षित अध्यापक प्रशिक्षित करने के लिये नहीं भेजे गये ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री केशभान---

गत वर्ष जिला परिषद्, आजमगढ़ से ७१ अप्रशिक्षित अध्यापकों के नामों की प्रशिक्षण हेतु संस्तुति की गई थी किन्तु इनमें से ३५ हाई स्कूल तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने के कारण नहीं चुने जा सके।

---

†छापी नहीं गई।

*१४—श्री दौलतलाल—

क्या सरकार ने जिला परिषदों को इस तरह का कोई आदेश दिया है कि हाई स्कूल परीक्षा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण व्यक्ति अप्रशिक्षित अध्यापक के पद पर नहीं नियुक्त किया जायगा ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री केशभान—

जी नहीं, किन्तु प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाती है ।

श्री दौलतलाल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि परिषद् के अध्यापकों के होते हुये उन्हें वरीयता न दे करके बाहरी व्यक्तियों को वरीयता क्यों दी गई ?

श्री केशभान—

इसके लिये तो अलग से सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री दौलतलाल—

सूचना तो प्रश्न के उत्तर में मौजूद है । आपने कहा है कि ३५ तृतीय श्रेणी के प्राप्त प्रशिक्षणार्थ नहीं भेजे गये । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब परिषद् के अध्यापक मौजूद थे तो प्रशिक्षण के हेतु उनको न भेजकर बाहरी व्यक्तियों को भेजने का क्या कारण था ?

श्री केशभान—

अध्यक्ष महोदय, इसमें कहीं यह प्रेफरेंस नहीं दिया गया है कि जो लोग पहले से अध्यापक हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाय और जो बाहर से आयें उनको न दिया जाय । कोई ऐसा निश्चित नियम या आदेश नहीं है ।

श्री दौलतलाल—

मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि परिषद् के अध्यापकों को प्रशिक्षित करना जरूरी है जो एक साल से अध्यापन कार्य कर रहे हैं या बाहरी व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है ?

श्री केशभान—

जो लोग परिषद् में कार्य कर रहे हैं उनके लिये कोई जरूरी नहीं है कि वे नार्मल ट्रेनिंग के लिये अभी से भेजे जायं । उनके लिये कोई शार्ट टर्म ट्रेनिंग या मोबाइल ट्रेनिंग का इन्तजाम करने के ऊपर सरकार विचार कर रही है । इसलिये उनको प्रेफरेंस देने पर जोर दिया जाय यह जरूरी नहीं समझा गया ।

श्री उमाशंकर—

माननीय मंत्री जी कृपा कर यह बतायेंगे कि गवर्नमेंट से जो उम्मीदवार नामजद किये गये हैं उनमें ऐसे आदमी हैं जो जूनियर हायर सेकेन्डरी स्कूल थर्ड डिवीजन में पास हैं, यदि हां, तो कितने ऐसे हैं ?

श्री केशभान—

अध्यक्ष महोदय, संख्या के बारे में पहले ही बतला दिया गया कि ऐसी संख्या नहीं बतलायी जा सकती । लेकिन जूनियर हाई स्कूल पास भी हैं ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी इस प्रश्न के ऊपर विचार करेंगे कि यह समस्या सिर्फ आजमगढ़ की ही नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश की है ? बहुत से अनट्रेन्ड अध्यापक ८—८, ७—७, ६—६, ३—३, और २—२ साल से परिषदों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनको ट्रेन्ड नहीं माना जा रहा है । तो इसके ऊपर आप विचार करेंगे कि कम से कम जो तीन साल से आपकी सर्विस कर रहें हैं और अनट्रेन्ड हैं उनको ट्रेन्ड मान लिया जाय और इसका पूरे सूबे के पैमाने पर आदेश प्रसारित कर दिया जाय ?

श्री केशभान---

कई वर्ष से जो प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा दे रहे हैं उनकी समस्या से सरकार परिचित है और उस पर वह सोच-विचार कर रही है कि कैसे उसका समाधान किया जाय।

श्री कल्पनाथसिंह---

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में जूनियर हाई स्कूल पास व्यक्तियों को जो नाम निर्देशित किया गया है उनकी संख्या कितनी है ?

श्री केशभान---

इसके लिये मैंने बार-बार कहा कि सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मन्त्री जी ने कहा कि मुझे सूचना है कि लोग लिये गये हैं तो वही बता दें कि उसका आधार क्या है ?

श्री केशभान---

अध्यक्ष महोदय, पूरे उत्तर प्रदेश भर में जूनियर हाई स्कूल भी लिए गए हैं, यह हमारे सरकारी रेकार्ड्स बताते हैं।

*१५—१७—श्री कल्पनाथसिंह---

[ये प्रश्न शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

*१८—श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)---

[प्रश्न शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

कन्सालिडेशन विभाग के अस्थायी कर्मचारी

*१९—श्री शीतलप्रसाद (जिला गोंडा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के कन्सालिडेशन विभाग के चकबन्दी अधिकारी व सहायक चकबन्दी अधिकारी तथा कन्सालिडेटरों की सर्विसेज का कन्सालिडेशन समाप्त होने पर भी सरकारी नौकरी में बनाये रखने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

श्री बृजबिहारी---

प्रदेश में कन्सालिडेशन का कार्य अभी १० वर्ष से अधिक समय तक चलने की सम्भावना है। अतएव अभी इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई नीति निर्धारित नहीं की है।

श्री शीतलप्रसाद---

क्या सरकार को पता है कि इस कंसालिडेशन विभाग में काफी भ्रष्टाचार की गुंजाइश है परन्तु जिन व्यक्तियों ने दस साल तक ईमानदारी से काम किया है उनको सरकार स्थायित्व प्रदान करने की कृपा करेगी ?

श्री बृजबिहारी---

नियम के अन्तर्गत जो स्थायी करने के योग्य हैं उनको स्थायी किया जायगा, किन्तु उसके लिये अभी समाप्त करने का जो प्रश्न आया है वह तो अभी प्रीमेच्योर है। अभी तो दस वर्ष तक इस कार्य के चलने की सम्भावना है।

श्री शीतलप्रसाद---

क्या सरकार को पता है कि कंसालिडेशन विभाग ऐसा विभाग है जिसका प्रदेश के समस्त काश्तकारों से सम्बन्ध है और उसमें जो सहायक चकबन्दी अधिकारी हैं उनको चक काटने की जिम्मेदारी होती है और अगर वह चाहें तो एक ही हलके से लाखों रुपया पैदा कर सकते हैं और अक्सर ऐसा होता भी है। तो जिन लोगों ने ईमानदारी से काम किया है उनको अगर सरकार किसी प्रकार से सहूलियत नहीं देगी तो यह आम रिवाज होगा कि लोग ज्यादा से से ज्यादा रुपया जमा कर नौकरी छोड़ कर घर पर बैठ जायंगे। इस बात को देखते हुये क्या

सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जिन लोगों ने ईमानदारी से काम किया है उनको किसी दूसरे डिपार्टमेन्ट में प्रमोशन दे कर भेजने की कृपा करे ?

श्री बृजबिहारी--

मैंने निवेदन किया कि यह प्रश्न उठता नहीं है। ये लोग १० वर्ष तक कार्य करते रहेंगे। अगर उसके बाद यह विभाग समाप्त हो गया तो तब यह प्रश्न पैदा होगा और उस पर विचार किया जायगा। उस समय उनकी सर्विस के सम्बन्ध में विचार किया जायगा।

श्री राजेन्द्रसिंह--

बहुत से कंसालिडेटर सन् १९५२ या १९५५ से कंसालिडेशन विभाग में काम कर रहे हैं और उनको काफी अनुभव है, लेकिन फिर भी ए० सी० ओ० के पद के लिये नयी एप्लीकेशन्स मांगी जाती है। तो क्या इस प्रकार से न करके ए० सी० ओ० के पद के लिये पुराने कंसालिडेटर्स को प्रमोशन दे कर उनका उत्साह बढ़ाया जायगा ?

श्री बृजबिहारी--

इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है।

*२०--श्री अष्टभुजा (जिला गोरखपुर)--

[८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*२१--श्री मनसाराम (जिला मैनपुरी) तथा श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)--

[हटा दिया गया।]

बदायूं जिला परिषद् के अध्यापकों का बीमा

*२२--श्री नारायणसिंह (जिला बदायूं)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अन्तरिम जिला परिषद्, बदायूं के अध्यापकों से जबरदस्ती बीमा कराया जा रहा है ?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)--

जी नहीं।

*२३--श्री नारायणसिंह--

क्या यह सत्य है कि अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष की धर्मपत्नी स्वयं ही एजेन्ट हैं और उनके दबाव के कारण यह बीमा हो रहा है ?

आचार्य जुगलकशोर--

जी नहीं।

हाई स्कूल ऐण्ड इन्टरमीडियेट परीक्षाओं के परीक्षक

*२४--श्री रघुनाथसिंह--

क्या शिक्षा मंत्री २१ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न १०० के उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने जो समिति नियुक्त की है उसने अपने दायित्व को पूर्ण करने की दिशा में कितनी प्रगति की है ?

आचार्य जुगलकिशोर--

समिति ने अपना कार्य (deliberations) ३१ जनवरी, १९६३ को समाप्त कर दिया है।

*२५--श्री रघुनाथसिंह--

यह समिति कब बनी और उसका प्रतिवेदन कब तक प्राप्त हो जायेगा ? समिति का प्रतिवेदन तैयार करने में कितना व्यय होने का अनुमान है ?

नोट--तारांकित प्रश्न १९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

आचार्य जुगलकिशोर--

समिति का गठन ३१ अगस्त, १९६१ को हुआ था और उसका प्रतिवेदन शीघ्र ही प्राप्त होने की संभावना है। समिति पर लगभग २९,५०० रुपया व्यय हुआ है।

*२६--श्री बालोजी अग्रवाल--

[हटा दिया गया।]

आगरे में यमुना पुल निर्माण योजना

*२७--श्री बालोजी अग्रवाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा नगर महापालिका कार्यकारिणी समिति का प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है, जिसमें मांग की गयी है कि आगरा में यमुना नदी पर बनने वाले पुल को तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया जाय? यदि हां, तो क्या सरकार इस पुल के निर्माण पर विचार करेगी?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--

जी हां।

पुल निर्माण का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

घोसी तहसील में गांव सभा, बस्ती की भूमि

*२८--श्री सत्यनारायण पाण्डेय तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास प्रश्नकर्त्ता के १३ सितम्बर, १९६२ के लिखित पत्र के साथ गांव सभा, बस्ती, वर्सोनिधियांव गांव, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ का ३१ जनवरी, १९६२ का प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है जिसमें लावारिस भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा नाजायज कब्जा करने से रोकने तथा जिलाधिकारियों द्वारा सम्पत्ति की रक्षा करने की मांगें की गयी हैं? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन-सी कार्यवाही की गयी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी हां। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं क्योंकि उस विषय में वाद, न्यायालय के विचाराधीन है।

*२९--श्री सत्यनारायण पाण्डेय तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--

[७वें शुक्रवार के लिये प्रश्न १०१ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया।]

दुबारी ग्राम के किसानों का शिकायती-पत्र

*३०--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा १३ सितम्बर, १९६२ का लिखित कोई पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है जिसके साथ ग्राम दुबारी, जिला आजमगढ़ के किसानों का ५ मई, १९६२ को लिखित आवेदन-पत्र भी संलग्न था जिसमें पंचशाला बन्दोबस्त के कार्यकर्त्ताओं की शिकायत की गयी है? यदि हां, तो उस की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और परिणाम क्या हुआ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

प्रश्न में उल्लिखित पत्र प्राप्त हुआ था। उसके साथ संलग्न प्रार्थना-पत्र में दियेहुए आरोपों की जांच सुपरवाइजर कानूनगो ने की। आरोप निराधार पाये गये।

बिलग्राम-कन्नौज सड़क

*३१--श्री जे० पी० मिश्र--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिलग्राम-कन्नौज सड़क, जिसका सर्वे लगभग २ वर्ष पहले हो चुका और टेन्डर्स एस्टिमेट प्रपोजल्स स्वीकार हो जाने के बाद व

सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर, पी० डब्लू० डी०, सर्किल ४ की रिपोर्ट उसके औचित्य की आ जाने के बाद भी, सरकार किसी और अधिक खर्च वाले रूट को निकालने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--

बिलग्राम-कन्नौज मार्ग के स्वीकृत संरेखण के विरोध में कुछ आपत्तियां की गई थीं जिनके फलस्वरूप छानबीन करने के पश्चात् सरकार के सामने कुछ अन्य संरेखणों के सुझाव रखे गए। यह सब अभी सरकार के विचाराधीन हैं और कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

*३२--श्री जे० पी० मिश्र--

क्या कारण है कि सरकार इसी सड़क के सम्बन्ध में सीतापुर डिवीजन में पी० डब्लू० डी० अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित ए० बी० सी० तीन प्रपोजल्स में, बी-प्रपोजल जो कि सब से उचित, सस्ता, कम मिट्टी का काम, कम से कम कलवर्ट्स, काश्तकारों की कम से कम भूमि व मुआवजा, कम एलाइनमेंट आदि-आदि की सुविधा है, क्यों नहीं अब तक स्वीकार कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल--

सरकार मामले पर विचार कर रही है।

*३३--श्री जे० पी० मिश्र--

क्या यह बात सही है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा ओवरसियर पी० डब्लू० डी०, बिलग्राम-कन्नौज रोड को पटा लेने के बाद, ओवरसियर ने एलाइनमेंट कब्रिस्तान से हो कर गुजरेगा, ऐसी गलत रिपोर्ट दी है, जिससे प्रपोजल बी, हेल्ड अप हो गया है, जब कि कब्रिस्तान एलाइनमेंट के कहीं पड़ोस नहीं है---क्या सरकार इस किस्म के कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने को व प्रपोजल बी को स्वीकार करने को तैयार है ?

श्री गिरधारीलाल--

Alignment 'B' में कुछ कब्रें आती हैं, ऐसी रिपोर्ट सरकार को मिली है।

दहगवां ग्राम समाज की भूमि

*३४--श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)--

विधान सभा के प्रथम सत्र (१९६२) के १०वें शुक्रवार के प्रश्न संख्या ३३ के उत्तर के क्रम में क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि जमींदारी विनाश के पूर्व से भूमि गणेशीलाल, बांकेलाल, अशर्फीलाल के पास है तो इन्तखाब खतौनी ग्राम दहगवां, जिला बदायूं में उल्लिखित एस० डी० ओ०, सहसवान के आदेश दिनांक ९ नवम्बर, १९५९ में उक्त भूमि ग्राम समाज की सम्पत्ति कैसे बनायी गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

एस० डी० ओ० सहसवान का ९-११-५९ का आदेश अदालती आदेश है जिसके विषय में टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।

*३५--श्री उल्फतसिंह यादव--

उक्त तिथि के प्रश्न ३२ के उत्तर से सम्बन्धित क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब बेदखली की अवधि ६ साल है परन्तु उजरदारी-पत्र ४ साल में ही आया तो फिर यह किस कारण से अस्वीकृत किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

एस० डी० ओ० के अदालती आदेश द्वारा अस्वीकृत हुई। उक्त आदेश के औचित्य पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा।

*३६----श्री उल्फतसिंह यादव--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एक प्रस्ताव द्वारा ग्राम समाज दहगवां ने श्री अशर्फी-लाल के नाम जब वे स्वयं ग्राम समाज के प्रधान हैं, नियम विरुद्ध जमीन क्यों दे दी और उनको बेदखल कब तक किया जायेगा ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--

उनको इस भूमि में लाइसेन्सी के अधिकार पूर्व से ही थे। केवल उन्हीं को जारी रखा गया। यह नियमों के प्रतिकूल नहीं है।

गुमड़ी घाट पुल पर यातायात में कठिनाई

*३७----श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)--

क्या सरकार को यह पता है कि गोंडा जिले में उतरौला-गोंडा मार्ग पर गुमड़ी घाट का पुल इस प्रकार तिरछा बना हुआ है कि आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं और बसें आदि बड़ी कठिनाई से निकल पाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके पुनर्निर्माण की योजना रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल--

गुमड़ी घाट का पुल अवश्य तिरछा बना हुआ है जिससे यातायात में कठिनाई होती है। इस समय इस पुल के पुनः निर्माण की कोई योजना नहीं है।

*३८----श्री मेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--

[हटा दिया गया।]

माध्यमिक विद्यालयों के लिपिकों को चिकित्सा सुविधायें

*३९----श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या शिक्षा मंत्री १४ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १ और २ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि आवश्यक नियम तैयार हो गये हैं ? यदि हां, तो सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर--

जी नहीं। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*४०----श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वार्षिक व्यय ३,८३३ लिपिकों पर कितना पड़ेगा और इससे लिपिक कब से लाभान्वित होंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर--

अभी प्रश्न ही नहीं उठता।

मछली शहर इण्टर कालेज के लिए प्रशासक

*४१----श्री माताप्रसाद--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर ने सन् १९६२ ई० में रिपोर्ट सरकार को भेजी है कि इन्टर कालेज, मछली शहर में कोई कमेटी कार्य नहीं कर रही है अतः क्या सरकार एक प्रशासक की नियुक्ति करने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर--

जी हां।

प्रशासक की नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन है।

कन्या जूनियर हाई स्कूल, बैजोई को मान्यता

*४२—श्री शिवदानसिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री को मालूम है कि कस्बा बैजोई, जिला मुरादाबाद में कन्या जूनियर हाई स्कूल की मान्यता के प्रार्थना-पत्र पर जून, १९६२ में कन्या विद्यालय निरीक्षिका निरीक्षण के लिए गयी थीं? अगर हां, तो मान्यता के प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही हुई?

आचार्य जुगलकिशोर—

हीरादेवी तोताराम कन्या जूनियर हाई स्कूल, बैजोई, जिला मुरादाबाद का निरीक्षण दिनांक १० व ११ अगस्त, १९६२ को सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका द्वारा किया गया था। दिनांक २७-२-६३ को अस्थाई मान्यता प्रदान की जा चुकी है।

*४३-४५—श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

[८वें शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

फर्रुखाबाद जिले में छात्रवृत्ति रुकना व स्कूलों के समय में परिवर्तन पर विचार

*४६—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के कितने ऐसे विद्यार्थी कक्षा ९, १० के हैं जिनका नाम छात्रवृत्ति पाने वालों की सूची में आया है परन्तु जिला निरीक्षक कार्यालय अथवा लिपिकों की गलती से उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है और सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है?

आचार्य जुगलकिशोर—

फर्रुखाबाद जिले में कक्षा ९ में केवल ४ छात्र ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति की स्वीकृति जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रदान की है परन्तु उन्हें अब तक छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। इसका कारण यह है कि संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को अनेक बार स्मरण कराने पर भी विद्यार्थियों से संबंधित छात्रवृत्ति बिल जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में प्रति हस्ताक्षर हेतु उपलब्ध नहीं हो सके हैं। अब विशेष वाहकों द्वारा इन बिलों को मंगाने की व्यवस्था की जा रही है।

(२) कक्षा १० में ऐसा कोई छात्र नहीं है।

*४७—श्री दयाराम शाक्य—

क्या शिक्षा मंत्री ७ दिसम्बर १९६२, के प्रश्न संख्या ६१ के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक क्या सरकार ने प्राइमरी, अपर प्राइमरी विद्यालयों के ग्रीष्मावकाश तथा उसके पश्चात् खुलने के समयों में परिवर्तन किया है? यदि नहीं, तो क्या कारण है?

आचार्य जुगलकिशोर—

इस प्रश्न के प्रत्येक पहलू पर विचार किया जा रहा है, अभी तक इस पर निर्णय नहीं हुआ है।

मुस्लिम हायर सेकेंडरी स्कूल, मऊनाथ भंजन केन्द्र के निरीक्षकों को भत्ता न मिलना

*४८—श्री अमजद अली (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के हायर सेकेंड्री स्कूलों के उन अध्यापकों का जिन्होंने १९६१-६२ की बोर्ड परीक्षाओं में इनवेजिलेटरी की थी अभी तक कोई भत्ता नहीं मिला है? यदि हां, तो क्यों और वह भत्ता कब तक सरकार देने का विचार कर रही है?

आचार्य जुगलकिशोर—

बोर्ड की १९६१–६२ की परीक्षा में आजमगढ़ जिले के मुस्लिम हायर सेकेंड्री स्कूल, मऊनाथ भंजन केन्द्र पर जिन अध्यापकों ने वाह्य निरीक्षक (outside irrigilator) के रूप में निरीक्षण कार्य किया था उनका यात्रा एवं दैनिक भत्ते का बिल पारित कर दिनांक २५–९–६२ को केंद्र व्यवस्थापक के पास भुगतान हेतु भेज दिया गया है। जिले के अन्य केंद्रों के बिल आपत्तियों के साथ केंद्र व्यवस्थापकों के पास वापस भेजे गये जो अभी तक आपत्ति निवारण के पश्चात् लौटे नहीं हैं। जब तक बिल प्राप्त न हो जायें, भुगतान संभव नहीं है।

बस्ती जिले में दाखिल खारिज के मुकदमे

*४९—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में हाकिम परगना बांसी, हाकिम परगना नौगढ़, हाकिम परगना खलीलाबाद व हाकिम परगना हरैया, बस्ती व डुमरियागंज के न्यायालय में कितने दाखिल खारिज (mutation) के मुकदमें इस समय पेंडिंग हैं और कब से ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बस्ती जिले के भिन्न भिन्न परगनाधीशों के इजलासों में १५-३-६३ तक पेंडिंग दाखिल खारिज (mutation) के मुकदमों का ब्योरा संलग्न तालिका के अनुसार है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६१० पर)

मोहम्मदी तहसील में हरिजन कलेक्शन अमीन

*५०—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी की तहसील मोहम्मदी में अभी फरवरी मास, सन् १९६३ में कलेक्शन अमीन तथा चपरासियों के चुनाव में कितने व्यक्ति लिये गये तथा उनमें कितने हरिजन थे ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

जिला खीरी की तहसील मोहम्मदी में, फरवरी, १९६२ में कलेक्शन अमीन तथा चपरासियों के चुनाव में १० अमीन तथा १० चपरासी लिये गये। इसमें से १ अमीन तथा ३ चपरासी हरिजन थे।

*५१—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

[८ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*५२—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर) तथा श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

[७वें बुधवार के लिये प्रश्न १०५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ में उपसहायक विद्यालय निरीक्षक

*५३—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ अन्तरिम जिला परिषद् में दस-दस और बारह-बारह वर्षों से कितने उपसहायक विद्यालय निरीक्षक पड़े हुये हैं और कितने ऐसे हैं जो अपने निवास क्षेत्र में ही नियुक्त हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—

केवल एक (श्री रामनगीना वर्मा)।

केवल एक (श्री रामसुमेर दुबे)।

कलेक्शन विभाग, बस्ती में हरिजन

*५४—श्री श्यामलाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कलेक्शन अमीन बस्ती जिले में कुल कितने हैं और उनमें कितने हरिजन हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बस्ती जिले में स्थाई (Apr. or Permanent) कुल १६९ कलेक्शन अमीन हैं। इनमें से ३ हरिजन हैं। इनके अतिरिक्त १६९ सीजनल अमीन हैं जिनमें से ९ हरिजन हैं।

*५५—श्री श्यामलाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले में कितने कलेक्शन चपरासी हैं और उनमें कुल कितने हरिजन हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बस्ती जिले में कुल १६९ वर्ष भर रहने वाले कलेक्शन चपरासी हैं उनमें से ३४ चपरासी हरिजन हैं। इनके अतिरिक्त ३३८ सीजनल चपरासी हैं जिनमें से ३९ हरिजन हैं।

*५६—श्री श्यामलाल—

क्या हरिजनों का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

पूर्ण वर्ष रहने वाले चपरासी के पद पर हरिजनों की संख्या निर्धारित कोटे से अधिक है। परन्तु सीजनल चपरासी तथा अमीनों के पद पर हरिजनों का कोटा पूरा नहीं ह। इसका कारण यह है कि १९५४ ई० के आरम्भ में जब एकीकृत संग्रह योजना (Integrated Collection Scheme) प्रारम्भ हुई तब पूर्ण वर्षीय अमीन के पद के लिये किये गये चुनाव में नियमानुसार ठीक पाये गये हरिजन सदस्यों का अभाव रहा। इसी प्रकार अबकी बार भी जब सीजनल अमीन तथा चपरासी क पद का चुनाव किया गया तब भी हरिजन् सदस्यों के प्रार्थना-पत्र कोटे के अनुसार पूरे नहीं पड़े। अतएव अन्य जाति के लोगों को जगह दी गई।

*५७–५९—श्री चन्द्रजीत यादव—

[८ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

तराई

*६०—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पूर्वीय उत्तर प्रदेश में कितने जिले आते हैं जो तराई के जिले कहलाते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कोई जिला तराई का जिला नहीं कहलाता। हां, कुछ जिलों में वह क्षेत्र जो तराई क्षेत्र समझा जाता है सम्मिलित अवश्य है।

सीतापुर जिले में लेखपालों का भत्ता, सुपरवाइजर कानूनगो व रजिस्ट्रार की उन्नति.

*६१—श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले के कितने लेखपालों का वह भत्ता जो कि तहसील हेडक्वार्टर पर दो दिन से ज्यादा रुकने पर बारह आने रोज के हिसाब से मिलता है कितने दिनों से नहीं दिया गया है, कितनों का देना शेष है और अभी तक न देने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--

केवल तहसील सीतापुर के ३९ लेखपालों का नवम्बर १९६१, दिसम्बर १९६१, तथा जनवरी, १९६२ का उक्त भत्ता देना शेष है। भत्ते के भुगतान में विलम्ब का कारण यह है कि संबंधित लेखपालों ने भत्ते के दावे अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये तथा उनमें कुछ अशुद्धियां थीं जिनका निराकरण आवश्यक था।

*६२--श्री शारदानन्द--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सीतापुर में सुपरवाइजर कानूनगो तथा रजिस्ट्रारों की नियुक्ति या तरक्की किस आधार पर की जाती है ? क्या निकट भूत में किसी की नियुक्ति उपरोक्त जगहों के लिये की गयी है ? यदि हां, तो कब ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--

सुपरवाइजर कानूनगो के पद पर सुपरन्यूमरेरी कानूनगो नियुक्त किये जाते हैं। सुपरवाइजर कानूनगोओं की तरक्की सदर कानूनगो के पद पर ज्येष्ठता और दक्षता (seniorty and efficiency) के आधार पर तथा नायब तहसीलदार और कानूनगो इन्सपेक्टर के पद पर योग्यता (merit) के आधार पर होती है। रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर पदोन्नति द्वारा सहायक रजिस्ट्रार कानूनगोओं की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति साधारणतः ज्येष्ठता के आधार पर की जाती है, पर यदि कोई सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो अयोग्य समझा जाता है तो उसकी पदोन्नति रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर नहीं की जाती। जो सुपरवाइजर कानूनगो वृद्धता अथवा शारीरिक असमर्थता के कारण अपने पद का फील्ड वर्क कर सकने में असमर्थ है, उनकी भी नियुक्ति रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर की जा सकती है। रजिस्ट्रार कानूनगो की किसी पद पर तरक्की नहीं होती। अभी हाल में सीतापुर जिले में सुपरवाइजर कानूनगो और रजिस्ट्रार कानूनगो के पदों पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई।

*६३--श्री शारदानन्द--

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उपरोक्त जगहों पर नियुक्ति जूनियारिटी तथा सीनियारिटी के माध्यम से होती है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--

उत्तर प्रश्न ६२ के उत्तर में सम्मिलित है।

नार्मल स्कूल, तिलहर का स्थानान्तरण

*६४--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर के तिलहर कस्बे से नार्मल स्कूल क्यों हटाया गया जब कि उसकी इमारत वहीं बनाने के लिये पचहत्तर हजार रुपया भी स्वीकृत कर दिया गया था ?

आचार्य जुगलकिशोर--

तिलहर में नार्मल स्कूल के भवन निर्माण हेतु कोई धन स्वीकृत नहीं किया गया था। तिलहर में चलने वाले राजकीय नार्मल स्कूल के लिये स्थायी भवन ददरौल में बनवाया गया है। अतः स्कूल तिलहर से ददरौल स्थानान्तरित कर दिया गया।

*६५--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जब तहसील शाहजहांपुर ददरौल में नया नार्मल स्कूल खुल गया है, शाहजहांपुर नगर के नार्मल स्कूल को तिलहर जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर स्थानान्तरित करने या नया नार्मल स्कूल खोलने की कृपा करेगी जिससे तिलहर तहसील की जनता की मांग भी पूरी हो सके ?

आचार्य जुगलकिशोर—

जी नहीं, दो नार्मल स्कूल होने से जिले की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है।

फफूंद-मुरादगंज सड़क, यमुना पर शेरगढ़ पुल

*६६—श्री सुखलाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह जिला इटावा में तीसरी पंचवर्षीय योजना में बीझलपुर-त्रेला सड़क मुरादगंज से फंफूंद तक सड़क पक्की करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—

इस सड़क के फफूंद-मुरादगंज भाग का ५ मील का निर्माण सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है इस पर कार्य शीघ्र आरम्भ होने की आशा है। शेष सड़क के निर्माण की इस समय कोई योजना नहीं है।

*६७—श्री सुखलाल—

क्या सरकार इटावा, तहसील औरैया शेरगढ़ घाट यमुना नदी पर पीपों का पुल बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। इस पुल का आगणन तैयार हो रहा है और उसकी तैयारी तथा स्वीकृति के बाद ही कार्य आरम्भ होगा।

*६८—श्री नाथूराम शिक्षक—

[हटा दिया गया।]

हैदरगढ़ तहसीलदार द्वारा जबरदस्ती चन्दा वसूल करने की शिकायत

*६९—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार को पता है कि १३ फरवरी, १९६३ को जिला बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ के तहसीलदार ने सुरक्षा कोष की वसूली में निम्नांकित ग्रामों में लोगों को मार-मार कर चन्दा वसूल किया है ?

जिसकी शिकायत मुख्य मंत्री को दी जा चुकी है ? यदि हां, तो उसपर क्या कार्यवाही हुई ?

(१) त्रिवेदी गंज, (२) जीरास, (३) मेलवल, (४) सुबेहा, (५) मड़ियावां, (६) बिबियापुर, (७) भीती का पेठ, आदि।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ऐसी शिकायत मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुई थी। उसकी तुरन्त जांच कराई गई।

*७०—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या यह भी सत्य है कि तहसीलदार ने त्रिवेदीगंज की बाजार भी लुटवा ली है और अनेकों को मारा है ? यदि हां, तो क्या सरकार तहसीलदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

साहित्यकारों को सहायता

*७१—श्री नियामतुल्ला अंसारी (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उर्दू और हिन्दी के साहित्यकारों और कवियों को कला के जरिये देश की सेवा करने के सिलसिले में सरकार कोई मासिक वजीफा देती है ? यदि हां, तो दोनों भाषा के कितने साहित्यकारों और कवियों को वजीफा दिया जाता है और क्या सरकार उनके नाम, पतों की रकम सहित बताने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—

जी हां । इस समय हिन्दी के पांच तथा उर्दू के आठ साहित्यकारों तथा कवियों को मासिक आर्थिक सहायता दी जा रही है । साहित्यकारों एवं कवियों के मान एवं प्रतिष्ठा को ठेस न लगे, इसलिये इस प्रकार की सहायता गोपनीय ढंग से दी जाती है । अतः खेद है कि उक्त १३ व्यक्तियों के नाम तथा प्रत्येक को अलग-अलग दी जाने वाली सहायता की राशि बताना संभव नहीं है ।

*७२—श्री निज़ामतुल्ला अंसारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एक बार वजीफा दिये जाने के बाद क्या वह बन्द भी कर दिया जाता है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों का वजीफा पुनः जारी करने पर विचार करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—

मासिक आर्थिक सहायता की अवधि की समाप्ति पर प्रत्येक मामले पर शासन विचार करता है एवं जिन मामलों पर उचित समझा जाता है सहायता पुनः जारी कर दी जाती है ।

डलमऊ तहसील में बाग सम्बन्धी मुकदमा

*७३—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद रायबरेली-तहसील डलमऊ, थाना सरेनी के अन्तर्गत ग्राम दलापुर में फारेस्ट कानून के अन्दर १ जनवरी, १९६३ से ८ फरवरी, १९६३ तक कितने मुकदमें दर्ज किये गये और उनमें क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

एक भी नहीं ।

*७४—श्री गुप्तारसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त मुकदमों में कोई ऐसा भी मुकदमा दर्ज है जिसमें पटवारी के कागजातों में बाग दर्ज है मगर उसमें फलदार वृक्ष केवल एक ही है ? यदि हां, तो क्या यह बाग माना जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

प्रश्न नहीं उठता ।

*७५—श्री गुप्तारसिंह—

क्या सरकार उपरोक्त बाग के संबंध में वहां के लेखपाल के ऊपर कोई कार्यवाही करेगी जिसने उस बाग से लगान बांधने की रिपोर्ट नहीं की और उसी गांव में लेखपाल रहता भी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

प्रश्न नहीं उठता ।

नर्सरी व किंडरगार्टन स्कूलों के अनुदान पर आपत्ति

*७६—श्री रघुनाथसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के नर्सरी, मान्टेसरी और किन्डरगार्टन स्कूलों को जहां धनी सम्पन्न लोगों के बच्चों को व्यवस्थित मनोवैज्ञानिक पद्धति पर व्यय-साध्य शिक्षा दी जा रही है, राज्य सरकार द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में अपनी ओर से लाखों रुपये का विशेष अनुदान क्यों दिया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर—

इन स्कूलों के आय-व्यय को दृष्टि में रखते हुये अनुदान दिया जाता है । १९६१-६२ में इस प्रकार के स्कूलों को केवल १,१०,८३२ रु० की सहायता दी गई थी ।

*७७—श्री रघुनाथसिंह—

क्या विशेष वर्ग के बच्चों की विशेष शिक्षा व्यवस्था वाले इन विशेष स्कूलों का चलना और उन्हें विशेष अनुदान देते चलना समाजवादी समाज की रचना के घोषित उद्देश्य के मेल में है ? क्या ऐसे स्कूलों का चलते रहना शिक्षा मंत्री को कभी खटकता नहीं ?

आचार्य जुगलकिशोर—

नर्सरी और किंडरगार्टन स्कूलों में किस विशेष वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं इस विषय की सूचना सरकार के पास नहीं है।

*७८—श्री रघुनाथसिंह—

क्या वे उपरोक्त स्कूल स्थानीय निकायों और जिले के शिक्षाधिकारियों की देख-रेख में उसी प्रकार आते हैं, जैसे अन्य प्रारम्भिक पाठशालायें ?

आचार्य जुगलकिशोर—

जी हां।

*७९-८०—श्री उल्फतसिंह यादव—

[८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

सैनिकों के आश्रित बच्चों को शिक्षा सहायता

*८१—श्री रघुनाथसिंह यादव—

राज्य के मृतक, विकलांग और लापता सैनिकों के बच्चों की पढ़ाई में जो सहायता करने की घोषणा सरकार ने की है तो क्या उसमें यह आशय भी निहित है कि जो बच्चे अभी आगे पढ़ना आरम्भ करने योग्य अवस्था के होंगे उनके प्रति भी सरकार इसी प्रकार अभिभावकत्व का रूप अपनावेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—

वर्तमान निर्णय के अनुसार जो बच्चे इस समय प्राइमरी से डिग्री कक्षाओं में शिक्षा पा रहे हैं उन्हीं को यह सुविधा दी जा रही है। औरों को दिये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

उन्नाव जिले में गंगा मार्ग में परिवर्तन

*८२—श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार को यह भी पता है कि उन्नाव जिले की ओर गंगा नदी की धारा प्रायः ४ मील हट गई है और इसी कारण उन्नाव जिले के सैकड़ों ग्राम धारा की चपेट में आ गये हैं और बार बार कटते जा रहे हैं ?

*८३—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला उन्नाव में कुल कितने ग्राम धारा हटने से प्रभावित हुये हैं और उनके निवासियों को क्या सुविधा दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

बस्ती जिले में चकबन्दी सम्बन्धी शिकायतें

*८४—श्री श्यामलाल—

क्या सरकार बस्ती जिले में सदर तहसील में जहां कहीं भी चकबन्दी हुई है वहां हरिजनों के पेड़, झोपड़ी अथवा झोपड़ी के सामने की जमीन दूसरे के चक में दे दी जाने के बारे में उन शिकायतों की एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जो प्रश्नकर्ता द्वारा गत जून, १९६२ से जनवरी, १९६३ तक कलेक्टर और एस० ओ० सी०, बस्ती को दी गयी है ? कितनी शिकायतें दूर हुयीं क्या यह भी सरकार बताने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस आशय की एक सूची †सदन की मेज पर रख दी गई है तथा उसमें कथित शिकायतों पर की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण भी उल्लिखित है ।

*८५—श्री केदारनाथ भार्गव (जिला मथुरा) तथा श्री ईश्वर शरण—

[८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

सहसवान तहसील में कलेक्शन नायब तहसीलदार

१—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं, तहसील सहसवान में वर्तमान कलेक्शन के नायब तहसीलदार कितनी अवधि से हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जिला बदायूं की तहसील सहसवान में दो कलेक्शन नायब तहसीलदार, सर्वश्री सुरेशचन्द्र सक्सेना तथा रघुराज सिंह हैं जो उक्त तहसील में क्रमशः ११ जुलाई, १९६१ तथा २६ मई, १९६२ से नियुक्त हैं ।

२—श्री रघुनाथसिंह—

[८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

३—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया ।]

विज्ञान शिक्षा के लिए प्रयोगशालाओं की कमी

४—श्री रघुनाथसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर गया है कि नगरों में स्थित अनेक अच्छे हायर सेकेण्डरी स्कूलों और इन्टर कालेजों तक में ६वीं से ८वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई विज्ञान के विषय में इन कक्षाओं के लिये प्रयोगशालाओं के अभाव में अधूरी और त्रुटिपूर्ण हो रही है ? यदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्री जिला विद्यालय निरीक्षकों को आदेश देंगे कि वे इस ओर अविलम्ब ठोस कदम उठावें ?

आचार्य जुगलकिशोर—

ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

५—श्री रघुनाथसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर गया है कि पढ़ने वाले लड़कों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण सामान्यतः कालेजों में संख्या ७०-७५ तक विद्यार्थी एक-एक कक्षा में रखे जाने लगे हैं जिससे लेखन और संशोधन का कार्य नहीं के बराबर हो पाता है ? यदि हां, तो इस अव्यवस्था को दूर करने के लिये मंत्री जी ने कुछ कदम उठाया है या अविलम्ब उठायेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर—

ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

---

†छापी नहीं गयी ।

शिकोहाबाद तहसील के कुछ ग्राम प्रधानों व लेखपाल के विरुद्ध शिकायतें

६—श्री गणेशचन्द्र काछी—

मेरे १ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २४ व २५ के उत्तर के क्रम में जिसको कि आश्वासन समिति ने अपने १०वें प्रतिवेदन में पूर्ण मान लिया है, क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि संबंधित परगनाधीशों को क्या दण्ड दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सम्बन्धित परगनाधीश की चरित्रपंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि की गई ।

७–१०—श्री ऊदल तथा श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

[८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

११–१२—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये ।]

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६३ जो विधान सभा द्वारा २७ मार्च, १९६३ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २८ मार्च, १९६३ को वापस प्राप्त हो गया है ।

'नेशनल हेराल्ड' में कार्यवाही गलत छपने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान 'नेशनल हेराल्ड' में आज के अंक में छपे हुये समाचार-पत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । आपकी सूचना के लिये मैं उसको पढ़ देना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष—

वह किस संबंध में है ?

श्री रामलखन शुक्ल—

कल यहां जो प्रोसीडिंग हुई है उसका मिसरिप्रेजन्टेशन हुआ है । कल जो यहां पर हिन्दी वर्सेस अंग्रेजी के विषय में जो कार्यवाही हुई है वह इसमें बिलकुल उलटी छपी है....

श्री उपाध्यक्ष—

वह आप लिखकर भेज दीजियेगा, तो उस पर विचार हो जायगा ।

संयुक्त समाजवादी दल को समाप्त करने के निर्णय के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आज एक पत्र लिखकर अध्यक्ष महोदय को दिया है । मेरी अपील के हक को मानकर स्वयं यू० एस० पी० की मान्यता का दूसरे वक्त कल अध्यक्ष महोदय ने फैसला कर दिया है । जब उन्होंने मेरी अपील को विशेषाधिकार समिति में भेजा है तो उसका स्वतः ही निराकरण हो जाता है....

श्री उपाध्यक्ष—

वह मामला तय हो गया है । अब आप कृपाकर बैठ जायं ।

श्री दीपनारायणसिंह—

दूसरे यह कि किसी ने.....

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप, दीपनारायणसिंह जी, बैठ जाइये, कोई इजाजत नहीं है ।

तृतीय विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का प्रथम प्रतिवेदन

*श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रतिनिहित विधायन समिति के सभापति की हैसियत से उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का प्रथम प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं । अभी प्रतिवेदन की केवल पांडुलिपि सदन की मेज पर रखी गयी है । इसकी प्रतियां मुद्रित करके बाद में वितरित की जायेंगी ।

वर्तमान समिति का निर्माण १० मई, १९६२ को हुआ था । उत्तर प्रदेश विधान सभा ने २९ मई, १९६२ को एक संकल्प पारित किया जिसके अनुसार सभापति, विधान परिषद् से यह निवेदन किया गया कि यदि वे सहमत हों तो विधान परिषद् के चार सदस्यों को उक्त समिति में संयुक्त सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये मनोनीत करने का कष्ट करें । सभापति, विधान परिषद् ने चार सदस्यों को १९६२–६३ की विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति में कार्य करने के लिये मनोनीत किया । तदनुसार समिति के सदस्यों की संख्या १५ से बढ़ कर १९ हो गई ।

समिति की पहली बैठक २६ मई, १९६२ को हुई जब माननीय श्री मदन मोहन वर्मा, अध्यक्ष, विधान सभा ने इसका उद्घाटन किया । श्री अध्यक्ष महोदय ने इस समिति का उद्घाटन करते समय विशेष रूप से प्रतिनिहित विधायन पर संसदीय नियन्त्रण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला ।

समिति के सम्मुख बहुत कार्य करने को अवशेष था । भूतपूर्व प्रतिनिहित विधायन समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी थी, यद्यपि उसने बहुत-सी विज्ञप्तियों पर विचार समाप्त कर लिया था । इस समिति को उन विज्ञप्तियों पर पुनः विचार करना पड़ा; परन्तु भूतपूर्व समिति द्वारा किये गये कार्य से उसे बहुत सहायता मिली और इस समिति के लिये यह संभव हो सका कि उस कार्य को इस थोड़े समय में समाप्त कर ले । हमारी इच्छा थी कि हम इस समिति के प्रतिवेदन को और शीघ्र सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते, परन्तु खेद है कि अचानक भारत पर चीन के आक्रमण के फलस्वरूप संकटकालीन परिस्थिति उत्पन्न हो गयी और उसका प्रभाव समिति के कार्यकलाप पर भी पड़ा । कई बार समिति की अपनी बैठकों के कार्यक्रम भी राष्ट्रीय आपात के कारण स्थगित करने पड़े । इन सब कठिनाइयों के होते हुये भी समिति ने अधिक से अधिक विज्ञप्तियों पर विचार-विमर्श किया और बहुत थोड़े समय में अपना कार्य समाप्त किया । इसका विशेष श्रेय समिति के सभी सदस्यों को है जिन्होंने हर समय पूर्ण सहयोग प्रदान किया और छुट्टियों और इतवार को भी सहर्ष कार्य किया । समिति से सम्बद्ध सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं । उन्होंने कार्य को नये और सुव्यवस्थित ढंग से समिति के सम्मुख प्रस्तुत कर हमारे लिये संभव किया कि हम थोड़े समय में अधिक से अधिक काम को निपटा सकें । प्रायः उन्होंने कार्यालय के समय के बाहर तथा छुट्टियों में भी कार्य किया, जो सराहनीय है ।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन में शोर बहुत हो रहा है, शोर न हो ।

श्री रतीपाल—

श्रीमन्, सभापति जी से कह दें कि संक्षेप में पढ़ दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

संक्षेप में नहीं, उन्होंने करीब करीब पढ़ दिया।

श्री बृजभूषण शरण—

प्रस्तुत प्रतिवेदन समिति के उस कार्य से संबंध रखता है जिसे उसने अपनी दिनांक २६ मई, १९६२ से २८ मार्च, १९६३ के मध्य हुई बैठकों में प्रतिपादित किया। इस अवधि में समिति ने कुल २८ बैठकें कीं और विभिन्न नियमावलियों और संशोधनों के संबंध में जो सिफारिश की, उनका उल्लेख प्रतिवेदन में है।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास नियम ५२ की तीन सूचनायें आयी हैं। उनमें से एक श्री हरीशकुमार गंगवार की है जो कानपुर में शराब और ताड़ी की गद्दियों के बारे में है। वह कोई इम्पार्टेन्ट नहीं प्रतीत होती और न उसमें कोई अविलम्बनीयता ही है, इसलिये मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, कानपुर में तीन व्यक्ति मर चुके हैं और हत्यायें की जाती हैं। उसमें यह भी कहा गया है कि फुटपाथ पर शराब बिक रही है। वह बहुत इम्पार्टेन्ट है।

श्री उपाध्यक्ष—

जी नहीं, मैंने उसे तय कर दिया है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

जहां चार चार मौत हो जायें तब भी आप उसे इतना इम्पार्टेन्ट नहीं समझते कि नियम ५२ के अन्तर्गत लिया जा सके, तो केवल वक्तव्य ही मंत्री जी से दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, वक्तव्य दे दिया जाय।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

वे तो हैं ही नहीं तो आपने कहा किससे ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो एक ही बात है। उनकी ज्वाइन्ट रिस्पांसिबिलिटी है।

अब दूसरा श्री रामअधार कनौजिया का है। इसमें जरवल रोड, बहराइच के गन्ना मिल के बारे में कहा गया है कि वहां बाकी रह गया है। यह स्थानीय मामला है इसलिये उसे अस्वीकार कर दिया है।

एक दूसरा है, श्री मेवालाल जी का, जोकि इलाहाबाद जिले में कहीं आंधी-पानी आया है। वह भी स्थानीय मामला है, इसलिये उसको भी अस्वीकार कर दिया गया है।

बरेली जिले में चेचक फैलने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

*समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चेचक के संबंध में निम्न सूचना देता हूं—

"सरकार ने सहायक निदेशक संक्रामक रोग शाखा, को बरेली जिला एवं नगर में चेचक की वास्तविक स्थिति की जानकारी के लिये भेजा था। उनकी रिपोर्ट के अनुसार बरेली जिले में बीमारी का जोर नवम्बर, १९६२ में हुआ। जिला स्वास्थ्य अधिकारी, बरेली की रिपोर्ट के अनुसार नवम्बर, १९६२ से मार्च १६, १९६३ तक ४५१ व्यक्ति बीमारी से ग्रसित हुये तथा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव]

१३७ व्यक्तियों की मृत्यु हुई । सहायक निदेशक ने यह महसूस किया कि जनता चेचक की बीमारी की सूचना अनिच्छा पूर्वक देती है जिसके परिणामस्वरूप जिला स्वास्थ्य अधिकारी को अपने क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं की सूचना पर ही निर्भर रहना पड़ा है । इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त संख्या ठीक ही है, परन्तु यह अवश्य है कि जिले में चेचक की बीमारी है ।

सहायक निदेशक ने यह भी बताया कि जिले के १५ विकास खंडों में से १३ विकास खंडों के ७२ ग्रामों में बीमारी का प्रसार हुआ जिनमें आलमपुर, जफराबाद, पश्चिमी फतेहगंज, कैरा और मूंजीपुरा मुख्य हैं ।

वर्तमान समय में बीमारी १८ ग्रामों में है जो निम्नांकित ७ विकास खंडो के अन्तर्गत आते हैं । नाम विकास खंड: कैरा–५, पश्चिमी फतेहगंज–५, आलमपुर जफराबाद–३, मझिगवा–१, भुट्टा–२, बिथरीचैनपुर–१, मीरगंज–१, कुल योग १८ ग्राम ।

इसके अतिरिक्त बीमारी चिकेन पाक्स और मीजल्स के रूप में भारी संख्या में जिले के अन्दर फैली है, जिसको लोग अक्सर चेचक कह कर ही संबोधित करते हैं ।

बीमारी को काबू में लाने के लिये जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने टीके लगाने का कार्य जोरों के साथ प्रारम्भ किया । इस कार्य को करने के लिये निम्नांकित क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता लगे हुये हैं: स्थाई वैक्सीनेटर–१४, अपरन्टिस वैक्सीनेटर–१, अस्थाई वैक्सीनेटर–१०, संक्रामक सहायक –६, और नर्सिंग सहायक–१ ।

नवम्बर, १९६२ से मार्च २३, १९६३ तक जिले में १,१६,८८८ टीके लगाये गये । जिला स्वास्थ्य अधिकारी जनता में टीके लगवाने की प्रेरणा को सभी प्रकार से प्रोत्साहित कर रहे हैं । टीके लगाने के लिये समुचित मात्रा में वैक्सीन भेजी जाती है ।

जिला मैजिस्ट्रेट, बरेली ने भी २३ मार्च, १९६३ से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में टीके लगाने की विधि को लागू कर दिया है ।

—बरेली नगर—

बरेली नगर में भी नवम्बर, १९६२ से बीमारी चल रही है । नवम्बर, १९६२ से मार्च २३, १९६३ तक इस बीमारी से ३२ व्यक्ति ग्रसित हुए तथा ८ व्यक्तियों की मृत्यु हुई ।

सहायक निदेशक संक्रामक रोग शाखा ने यह महसूस किया कि उपरोक्त संख्या से अधिक व्यक्ति ग्रसित या मरे होंगे, क्योंकि जनता में चेचक की बीमारी को न बताने की धारणा सी है । शहर में जितने प्राथमिक एवं पुनर्मेदिक (प्राइमरी री-वैक्सिनेशन) टीके लगाए गए, उनकी संख्या निम्नलिखित विधि से है :

जनवरी से दिसम्बर, १९६२ तक ५,९८० प्राथमिक और २०,४०० पुनर्मेदिक, जनवरी, से मार्च २३, १९६३ तक, ५,८५६ प्राथमिक और ५५,७४६ पुनर्मेदिक । १९६२ तक कुल योग २६,३८० और १९६३ तक कुल योग ६१,६०२ । कुल योग ८७,९८२ ।

टीके लगाने के कार्य के लिए ३ स्थाई वैक्सीनेटरों के अतिरिक्त ५ अस्थाई वैक्सीनेटर भी रक्खे गए हैं तथा वैक्सीन समुचित मात्रा में नगर स्वास्थ्य अधिकारी को दे दी गई है ।

सहायक निदेशक ने नगर प्रमुख लोगों तथा सम्वाददाताओं से बीमारी के सिलसिले में बातचीत की, जिन्होंने नगर की स्वच्छता के विषय में जोर दिया और बताया कि कूड़े इत्यादि को नगर से हटाने का समुचित प्रबंध नहीं है ।

सहायक निदेशक ने अध्यक्ष, नगरपालिका एवं जिला मजिस्ट्रेट से भी बीमारी के विषय में बातचीत की । सहायक निदेशक ने १०:१५ अस्थाई वेक्सीनेटरों को २ मास की और नियुक्ति के लिए कहा तथा जनता में टीके लगाने से होने वाले लाभ को सिनेमा तथा लाउड-स्पीकर द्वारा प्रचार करने को कहा, जिसे अध्यक्ष, नगरपालिका, बरेली ने स्वीकार किया । भारतीय चिकित्सा संघ के अध्यक्ष ने भी यह कहा कि व्यक्तिगत चिकित्सक (प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स)

भी इस कार्य में सहयोग देंगे। इससे यह आशा की जाती है कि उपरोक्त सभी लोगों के सहयोग से बीमारी की स्थिति को शीघ्र ही काबू में कर लिया जायगा।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी को सहायक निदेशक ने इस विषय पर ध्यान रखने को कह दिया है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस रिपोर्ट में इस चेचक की बीमारी के नगर में फैलने के कोई विशेष कारण भी बताये गए हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

श्रीमन्, इसका विशेष कारण नहीं है। जैसाकि मैंने कई मामलों पर अर्ज किया कि चेचक का एक सरकिल सा है और वह फैल गई है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि नगर में फैलने का इसका मुख्य कारण सफाई का न होना है ? वहां पर ७६ ऐसे डलाव हैं जहां पर कि कूड़ा सड़ता रहता है। जो काम वहां पर किया जाना चाहिए, वह नहीं होता है। उस डलाव में मैला भी सड़ता रहता है। २८ डलाव में से ४ ही काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में नगर में फैली हुई गन्दगी ही प्रमुख कारण बताई गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के विषय में वह क्या काम कर रहे हैं ? आप को बता दूं कि एम० ओ० एच० के खिलाफ भी एक प्रस्ताव पास हो चुका है।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

श्रीमन्, यह ठीक है कि कूड़ा इकट्ठा रहता है। सफ़ाई का इंतजाम ठीक नहीं है। मगर कोई कारण यह चेचक का नहीं है। क्योंकि अगर यह सत्य है, तो जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं, अब की साल ही नहीं, वहां तो हमेशा से वह गन्दगी थी। वहां यह गन्दगी चेचक में सहायक जरूर हो सकती है, फिर भी यह चेचक का मुख्य कारण नहीं हो सकती। वहां पर चेयरमैन से यह कह दिया गया है कि वह सफाई कराने की ओर ध्यान दें और वह शीघ्र से शीघ्र कराई जानी चाहिए। इसके लिये वह कोशिश करें।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, यह देखते हुए कि जो वैक्सिनेटर की संख्या ८ बताई गई है जिनमें से ३ स्थाई और ५ अस्थाई हैं, यह संख्या कम है। इसी प्रकार जो देहात की वैक्सिनेटर की संख्या बताई गई है, वह भी कम है। वहां पर बीमारी प्रबल रूप धारण करती जा रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार वह समाप्त नहीं हो चुकी है। वहां पर बहुत अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। क्या सरकार ऐसी स्थिति में कोई विशेष उपाय या एक दल नियत करने पर विचार करेंगी, जिससे कि वहां पर जिले में बीमारी रुक सके ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

श्रीमन्, जब तक कोई डेफिनिट इन्फार्मेशन न हो, तब तक यह कहना कि रिपोर्ट सही नहीं है, मुनासिब बात नहीं है। अगर वह बतावें आकर कि फलां फलां गांव में प्रकोप है, उसके अलावा, तो मैं जरूर उसका प्रबंध करूंगा।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जितनी संख्या प्रभावित लोगों की बतायी गयी है और जो मृत्यु की संख्या बतायी गयी है, उसमें कितना प्रतिशत ऐसा है जिसको वैक्सीन लग चुका है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

जितने लोगों को वैक्सीनेट किया है वह बता दिया। जो प्रतिशत है वह वहां की जनसंख्या के हिसाब से जोड़ लीजिये।

श्री दयाराम शाक्य--

मैंने पूछा कि जो प्रभावित हैं और जिनकी मृत्यु हो चुकी हैं, उनमें कितने ऐसे थे जिनके वैक्सीन लग चुका है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है, मेरे पास संख्या नहीं है ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इतनी मृत्यु होने का क्या यह भी कारण है कि जो टीका लगाया गया है वह उचित ढंग से नहीं लगाया गया, दवा उचित ढंग से नहीं सप्लाई की गयी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

वहां जिले से मेरे पास एक पत्र आया है और उसमें साफ तौर से कहा गया है कि जिन लोगों को टीका लगाया गया उनमें से अनेक लोग ग्रसित हुए हैं और उनकी मृत्युएं हुई हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी जांच करायेंगे कि यह ठीक है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

आप किस पत्र का हवाला दे रहे हैं, मुझे दिखलावें ।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)--

इस बात को देखते हुए कि वहां के लोकल सदस्यों को ऐसी जानकारी है तो क्या मन्त्री जी जांच करायेंगे कि बरेली जिले में जितने लोग बीमार पड़े टीका लगाने से, उनकी संख्या कितनी थी और जिनकी मृत्यु हुई उनकी कितनी थी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

अगर एक डेफिनिट इन्फार्मेशन मेरे पास आवे तो उसके बाद कहा जा सकता है ।

श्री राजेन्द्रसिंह--

श्रीमन्, जो लोग बीमार पड़े और मरे, उनके टीका लगा था या नहीं, यह बता दिया जाय ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

इसकी जांच कराना मैं जरूरी नहीं समझता ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

क्या यह सही है कि अगर किसी के इनफेक्शन हो गया और बजाहिर न मालूम हो, उसके बाद टीका लगाया जाय तो उसके लिए खतरनाक साबित होगा ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

वह तो मैं अर्ज नहीं कर सकता, डाक्टरी बात है ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--

क्या मन्त्री जी को शिकायत मिली है कि टीके के सीरप में कोई ऐसी गड़बड़ी है जिसकी वजह से बहुत जगह टीका जिनको लगाया जाता है उनका शरीर सुन्न हो गया है और आजमगढ़ से एक हफ्ते पहले एक मरीज बलरामपुर अस्पताल में आया हुआ है, वहां डाक्टरों ने जवाब दे दिया था, एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया, उसका शरीर टीका लगाने के बाद सुन्न हो गया, तो ऐसी कोई शिकायत आई है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

ऐसी कोई शिकायत मेरे पास तो नहीं आयी ।

प्रतिनिहित विधायन समिति के लिये विधान परिषद् के ४ सदस्यों के मनोनयन के सम्बन्ध में संकल्प

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सभापति, विधान परिषद् से यह निवेदन किया जाय कि यदि विधान परिषद् सहमत हो तो वे उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (१९६३–६४) में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के ४ सदस्यों को मनोनीत करके उनके नाम भेजने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सभापति, विधान परिषद्, से यह निवेदन किया जाय कि यदि विधान परिषद् सहमत हो तो वे उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (१९६३–६४) में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के ४ सदस्यों को मनोनीत करके उनके नाम भेजने का कष्ट करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी २९ मार्च, १९६३ की बैठक में यह निश्चय किया कि निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उनके पारण के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित किया जाय :

१—उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६२ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार तथा उसका पारण—१ अप्रैल, १९६३ को .....१ घंटा।

२—उत्तर प्रदेश कर विधि संशोधन विधेयक, १९६३ पर विचार तथा उसका पारण—१ अप्रैल, १९६३ का शेष समय तथा ३ व ४ अप्रैल, १९६३।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण के सम्बन्ध में संकल्प

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला पिठौरागढ़)—

श्रीमन्, मैं यह संकल्प उपस्थित करता हूं कि यह सदन निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिये कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है :

१—उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६२ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ—
१ अप्रैल, १९६३ को.....१ घंटा।

२—उत्तर प्रदेश कर विधि संशोधन विधेयक, १९६३।
१ अप्रैल, १९६३ का शेष समय तथा ३ व ४ अप्रैल, १९६३।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिये कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है :

१—उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६२, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ—
१ अप्रैल, १९६३ को.....१ घंटा।

[श्री उपाध्यक्ष]

२---उत्तर प्रदेश कर विधि संशोधन विधेयक, १९६३---

१ अप्रैल, १९६३ का शेष समय तथा ३ व ४ अप्रैल, १९६३।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नव-नियोजित समाजवादी दल में सम्मिलित होने वाले अन्य सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष---

मुझे सूचना मिली है, माननीय सदस्यों ने मुझे लिख कर भेजा है, कि निम्नलिखित माननीय सदस्य संयुक्त समाजवादी दल में सम्मिलित हो गये हैं:---

(१) श्री सहदेवसिंह, (२) श्री रघुनाथसिंह, (३) श्री नत्थूसिंह, (४) श्री कोतवालसिंह भदौरिया, (५) श्री रतीपाल, (६) श्री भीमाप्रसाद, और (७) श्री रामायण राय।

श्री रामायणराय---

यह संख्या कितनी हो गई कुल मिलाकर ?

श्री उपाध्यक्ष---

पहले ३१ थे, ७ आज यह हो गये, अब कुल संख्या ३८ हो गयी।

श्री रामसुन्दर पांडेय द्वारा व्यवस्था का प्रश्न

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है। एक कार्यवाही सदन में हुई, उस पर माननीय सदस्यों ने सप्लीमेंटरी करना चाहा, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने उसकी इजाजत नहीं दी। दो तीन दिन बाद जब अखबारों में प्रकाशित हो गया तो ४-५ दिन बाद अध्यक्ष जी ने उसको कार्यवाही से निकाले जाने का आदेश दे दिया। अब तक की परिपाटी यह रही है कि अगर कोई कार्यवाही सदन में अवैधानिक हुई है अध्यक्ष की नजरों में तो उसको अध्यक्ष, जी द्वारा फौरन ही कार्यवाही में से निकाले जाने की आज्ञा हुई है और यह कार्यवाही उसके प्रकाशन के पहले ही हुई है। लेकिन इस केस में प्रकाशन के चार दिन बाद उसको कार्यवाही में से निकाले जाने की आज्ञा हुई है अतः उसके प्रकाशन पर कोई असर नहीं पड़ सकता। मैं इस संबंध में आप की व्यवस्था चाहता हूं कि इस प्रकार ४-५ दिन बाद, प्रकाशन हो जाने के पश्चात्, उसको कार्यवाही में से निकाल देने के पश्चात् उसके प्रकाशन पर क्या असर पड़ता है तथा अब तक की जो परिपाटी फौरन निकाल देने की रही है, वैसा क्यों नहीं किया गया ?

श्री उपाध्यक्ष---

स्पीकर साहब ने क्या कार्यवाही की है इसके बारे में मुझे कोई निश्चित जानकारी नहीं है कि उन्होंने उसके निकालने के आदेश दिये हैं अथवा नहीं, इसलिये इस सम्बन्ध में, मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

आप हमारे इस संदेश को माननीय अध्यक्ष तक पहुंचा दें।

श्री उपाध्यक्ष---

आप लिख कर भेज दें, मैं उनको भेज दूंगा।

श्री रामसुन्दर पाँडेय---

दूसरी बात यह है कि नियमावली के नियम ३४ के बारे में एक दिन इस सदन में वाद विवाद हुआ था। आपने कहा था कि माननीय अध्यक्ष जी के सामने इसको प्रस्तुत कर दिया जायगा। लेकिन आज दो माह के करीब हो गये अभी तक उसको अध्यक्ष जी के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग यहां नहीं थे, इसलिये उसको नहीं लिया गया था, अगल दिन ले लिया जायगा।

उत्तर प्रदेश वृहत् जोत कर विधेयक, १९६३†

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

(माननीय मन्त्री जी का नाम पुकारे जाने पर) उपाध्यक्ष महोदय, यह फाइनेंशियल बिल है। इसके साथ न तो राज्यपाल महोदय की सिफारिश ही पेश की गयी है और न फाइनेंशियल मेमोरेंडम ही दिया गया है। इसलिये यह पेश नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके लिये तो कार्यमंत्रणा समिति ने भी तय कर दिया है कि इसको आज पेश हो जाना चाहिये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

इन दोनों चीजों की अनुपस्थिति में अवैधानिक रूप से किस प्रकार से वह लिया जा सकता है?

श्री उपाध्यक्ष—

गवर्नर साहब की स्वीकृति आ गयी है। मैं उसको पढ़ कर सुनाये देता हूं। वह इस प्रकार है—

"भारतीय संविधान के अनुच्छेद २०७ के खंड (१) के अनुसार मैं, विश्वनाथ दास, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, यह सिफारिश करता हूं कि उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर विधेयक, १९६३ उत्तर प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित किया जाय।"

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

लेकिन श्रीमन्, आर्थिक ब्योरा जो उसके साथ प्रस्तुत किया जाता है, उससे माननीय सदस्य वंचित रह गये हैं। उसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई है?

समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—

उनका रिकमेंडेशन तो आ गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कहते हैं कि फाइनेंशियल मेमोरेंडम और होना चाहिए।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

इसको तो मैं इस समय नहीं बतला सकता हूं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

आप देखें कि माननीय मंत्री जी ने न तो राज्यपाल महोदय की सिफारिश को प्रस्तुत किया और न इसमें फाइनेंशियल मेमोरेंडम ही दिया है, तो मैं समझता हूं कि यह ग़लत है।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी बात नहीं है। राज्यपाल का रिकमेंडेशन तो आ ही गया है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

वह तो आप के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जब कि माननीय मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जरूरी नहीं है।

---

†२ मार्च, १९६३ की कार्यवाही में छपा है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

इसलिये जरूरी है कि जब किसी बिल को माननीय मंत्री जी की तरफ से प्रस्तुत किया जाय, तो सिफारिश के साथ उनको पढ़ना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें सीधा लिखा है कि गवर्नर की रिकमेंडेशन मिल गयी है, तब कोई सवाल नहीं रहा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

तो फिर बिल चेयर की तरफ से पेश कर दिया जाया करे।

श्री राजेन्द्रसिंह—

श्रीमन्, जब तक मेमोरेंडम न आ जाय, तब तक के लिये इस बिल को स्थगित कर दिया जाय।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, आप अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और अगर सरकार की गलती है कि बिल के साथ फाइनेंशियल मेमोरेंडम नहीं लगा है, तो जब तक वह न आ जाय तब तक के लिये सदन को ऐडजर्न कर दिया जाय।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

जहां तक मेमोरेंडम का सम्बन्ध है, अगर एडिशनल खर्चा करने की बात हो, तब तो उसके होने की बात समझ में आती है, लेकिन यह तो जो कुछ होगा, टैक्स होगा, इसमें एडिशनल खर्चा नहीं होगा, इसलिये फाइनेंशियल मेमोरेंडम की आवश्यकता नहीं है।

श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि बिना फाइनेंशियल मेमोरेंडम के यह बिल नहीं आ सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

फाइनेंशियल मेमोरेंडम की आवश्यकता उस वक्त होती है जब कि धाराओं के अन्तर्गत कोई खर्चा करने की बात हो। चूंकि माननीय मंत्री जी कहते हैं कि उस पर कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, इसलिये फाइनेंशियल मेमोरेंडम की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि यह सही बात है। इसलिये इसका पोस्पोनमेंट नहीं हो सकता।

श्री राजेन्द्रसिंह—

कलेक्शन सम्बन्धी कागजात बनाये जायेंगे तो उसमें कुछ न कुछ खर्चा जरूर होगा। वह खर्चा चाहे एक नये पैसे का हो या १०० रुपये का हो। इसके अलावा यदि खर्चा नहीं होता है तो भी कम से कम क्या आय होगी इसको भी मेमोरेंडम में रखा जाता है।

श्री सहदेवसिंह—

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि चूंकि उस पर कोई खर्चा नहीं होगा इसलिये फाइनेंशियल मेमोरेंडम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब तक यह न लिखा हो कि खर्चा नहीं होगा तब तक इसको कैसे मान लिया जाय कि उस पर कोई खर्चा नहीं होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

जहां खर्चे की कोई बात न हो, वहां फाइनेंशियल मेमोरेंडम की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजेन्द्रसिंह—

नियम के अनुसार आय का ब्योरा भी फाइनेंशियल मेमोरेंडम में रहता है और उसे रखा जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

वह नहीं रखा जाता।

श्री नेकराम शर्मा—

माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि इसमें कोई खर्चा नहीं है इसलिये फाइनेंशियल मेमोरेंडम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन श्रीमन्, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी से गवर्नर की सिफारिश के बारे में भी जब पूछा गया तो वे इसका जवाब नहीं दे पाये।

श्री उपाध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में नियम में लिखा हुआ है।

श्री रामायणराय—

प्रक्रिया नियमावली के नियम १२१ को आप देखें, इसमें लिखा हुआ है—"जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा।"

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें कोई व्यय नहीं है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया।

श्री रामायणराय—

तो किसी के कथन मात्र से ही सदन कैसे मान ले ?

श्री उपाध्यक्ष—

हि इज ए रिस्पांसिबिल मिनिस्टर (He is a responsible Minister)।

श्री रामायणराय—

वह तो ठीक है। लेकिन किस तरह से सदन आश्वस्त होगा इस विधेयक के विषय में.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो गवर्नमेन्ट के ऊपर है कि वह समझे कि इस पर कोई व्यय होगा या नहीं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, आप ने कहा कि He is a responsible Minister, तो क्या और सदन के सदस्य रेस्पांसिबिल नहीं हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, ऐसी बात नहीं है, सभी रेस्पांसिबिल हैं। बाकी यह तो मिनिस्टर ही बता सकते हैं कि इस पर कोई खर्चा होगा या नहीं, अब आप बैठ जायं।

श्री राजेन्द्रसिंह—

तो यह बताया जाय कि बिना खर्च किये यह वसूल कैसे होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं। अब मंत्री जी पेश करें।

*श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाय।

जहां तक इस बिल के उसूलों का सम्बन्ध है यह सदन ऐसा टैक्स का कानून पहले पास कर चुका है सन् १९५७ में, पहले एग्रीकल्चरल टैक्स लगता चला आ रहा था, पहले एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगाया गया और फिर उसको रिपील करके उसको वृहत् जोत-कर के रूप में लगाया गया, उसके बाद सीलिंग का कानून पास हुआ और बाद में उसको भी रिपील कर दिया। अब इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि कैसे साधन बढ़ाये जायं। इसलिये आज यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव]

विधेयक विचार करने के लिये पेश किया जा रहा है। इसके सिद्धान्तों पर ज्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है और इस पर जो संशोधन और सुझाव आये हैं मैंने उनको देखा है, और जो कुछ भी उन संशोधनों के फेवर में कहा जा सकता है उस पर विचार करने के बाद, जो कुछ मेरी समझ में आयेगा वह मैं क्लाजवाइज विचार के समय निवेदन करूंगा। ज्यादातर उन संशोधनों की या तो आवश्यकता नहीं है या उन संशोधनों को लाने का जो आशय है वह इसमें पहले से मौजूद है। एक संशोधन क्लाज १० का श्री कृष्णपाल सिंह का है। वह उचित है और उसको मैं स्वीकार कर लूंगा और बाकी संशोधनों के विषय में जब खंडशः विचार होगा तब मैं निवेदन करूंगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि अब इस पर विचार सदन करे।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर विधेयक, १९६३ को सदन की एक प्रवर समिति को भेज दिया जाय, जिसको विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन एक मास के अन्दर दे दे।'

इसके पहले कि मैं इस पर कुछ कहूं, एक बात मैं अभी तक नहीं समझ सका हूं कि अभी हमारे मित्रों ने जो लीगल क्वेश्चन उठाया, उस पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसमें कोई व्यय न होगा। परन्तु यह बजट हमारे सामने है, सम्भव है इसको मैं ठीक न समझ सका हूं, लेकिन इसमें १,४८,१०० रुपया है जो अनुमानित खर्च है जो लैंड होल्डिंग्ज टैक्स में जायगा। इसकी उगाही में यह खर्च होगा। आपने जो कुछ कहा है वह सोचकर कहा होगा, उसको मैं शायद न समझ सका हूं। कृपा करके मंत्री जी इसका जवाब दे दें कि यह खर्च किस चीज का है, तो मैं आगे बढ़ूं और यही इस समय हमारे माननीय सदस्यों की भी इच्छा है।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

१,४८,१०० रुपया बजट में इस मद में है, तो वह कैसे कहते हैं कि कोई व्यय इस में नहीं होगा ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

बजट का जरा पेज बता दिया जाय।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

पहला ही पेज है।

श्री नेकराम शर्मा--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब माननीय त्रिपाठी जी ने बजट में यह खर्चा दिखा दिया और खर्चा पेश कर चुके हैं और माननीय मंत्री कहते हैं कि खर्चा नहीं होगा, तो यह गलतबयानी है। यह ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न बनता है। या तो वह इसका विरोध करें या फिर मेरा ब्रीच आफ प्रिविलेज का नोटिस स्वीकार करें।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

मेरा खयाल है कि जो पहले के वृहत् जोतकर के काश्तकार हैं उनके सिलसिले में यह है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी जो कहते हैं उसे मान कर चलिये।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

इतना महत्वपूर्ण बिल है और उस पर हर चीज मानत चलें।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर किसी तरह का विवरण देने की जरूरत होगी तो वह आ जायगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

संभव है हम यह साबित कर सकें कि उनकी आमदनी और खर्च में मेल नहीं बैठता। वह यह कहते हैं कि टैक्स नहीं लगना चाहिये। ऐसी स्थिति में विवरण जब तक न मिल जाय, विवाद करने से कोई फायदा नहीं, कोई सहयोग हम नहीं दे सकते और न कुछ सुझाव ही दे सकते हैं।

श्री सहदेवसिंह--

जो पुस्तिका प्रकाशित हुई है उसका प्रमाण लिखित रूप से पेश कर दिया गया है, तो फिर समझ में नहीं आता कि जब टैक्स वसूल किया जायगा तो खर्च क्यों नहीं होगा, और प्रमाण स्वरूप बजट में १ लाख रुपया डिमांड भी किया गया है। इसे स्थगित किया जाना चाहिये वर्ना मैं प्रिविलेज का प्रश्न माननीय मंत्री जी के विरुद्ध उठाता हूं।

श्री नेकराम शर्मा--

माननीय मंत्री सदन की कार्यवाही स्थगित करके सदन में बैठकर इस तरह से अध्ययन नहीं कर सकते। अध्ययन करने के लिये या तो वह समय लें, लेकिन हाउस में बिना कार्यवाही चले बैठे रहें, इस प्रकार वह अध्ययन नहीं कर सकते।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

जहां तक विधेयक का संबंध है, फर्स्ट रीडिंग हो चुकी है। अब वह केवल अपने संशोधन पर बोल सकते हैं। प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठा सकते। जहां तक ग्रान्ट के बारे में बात कही जा रही है वह इस पर लागू नहीं होती। वृहत् जोतकर की आलरेडी स्वीकृति थी। पुराने वृहत् जोतकर के संबंध में जो व्यय है वह इसमें लागू होगा और कोई खर्चा नहीं होने जा रहा है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

इससे पहले माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि लार्ज लैंड होल्डिंग्स टैक्स सब समाप्त हो गये। फिर से इसी आशा में यह टैक्स आ रहा है और नायब तहसीलदार फिर नियुक्त हो गये और स्थानीय स्टाफ फिर से नियुक्त हो गया, पुराने एरियर्स की वसूली करने के लिये। हमने तो प्रस्तुत कर दिया, लेकिन कानूनी अड़चन पड़ गयी। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि ऐसे ही कार्य के चलाने में जब अनियमित चीजें होती हैं, तो बड़ा असन्तोष होता है। अगर आप मेमोरेंडम दें और हमें इतना अवसर दें कि हम समझें, तो इसमें क्या नुकसान है? इसमें टेक्निकल होने की क्या बात है? इसलिये मंत्री जी थोड़ा-सा समय ले लें, वरना फिर प्रिविलेज का मोशन मूव हो जाता है कि बजट के खिलाफ बात कही।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि टेक्निकल बात तो आपकी है। ज्ञापन आपने मांगा, वह जरूरी उसी सूरत में है जब कि एक्सपेंडीचर हो। उन्होंने कहा कि एक्सपेंडीचर नहीं है और आपने उसमें दिखाया। अब इसका जवाब वे देंगे। अब वह पेश हो गया, आपको मैंने बुला लिया।

श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)--

उपाध्यक्ष महोदय, गलत बयानी के ऊपर कोई प्रस्ताव अगर पेश हो जाय, तो आप हमें प्रिविलेज मोशन लाने की अनुमति देंगे?

श्री उपाध्यक्ष--

अगर होगा, तो आयेगा।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

वित्त मंत्री जी भी यहां मौजूद हैं, उनसे पूछ लिया जाय कि इसमें खर्चे का प्राविधान है या नहीं?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

राजस्व मंत्री जी आज अस्वस्थ हैं और मैं उनकी जगह पर काम कर रहा हूं। तो मैं इसको देख लूं फिर जवाब दूंगा। इसलिये २ बजे यह मैटर लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

अब हम उठते हैं। अगर आप चाहें तो अमेंडमेंट ले लें ताकि समय का उपयोग हो सके: (अब तो २ बजे ही बैठिये की आवाजें) तो अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १२ बजकर २१ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ४ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

विभिन्न समितियों के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय अध्यक्ष ने जो कमेटियों का निर्माण किया है, उनके नामों की घोषणा मैं कर रहा हूं---

कार्य परामर्शदात्री समिति

१---श्री अनारसीदास
२---श्री राधोप्रसाद त्रिपाठी
३---श्री रामायणराय
४---श्री नरसिंहनारायण पांडेय
५---श्री सीखालाल
६---श्री नवरंगसिंह
७---श्री नेकराम शर्मा
८---श्री भगवानदास यादवेन्दु
९---श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा
१०---श्री नवलकिशोर
११---श्री वीरसेन
१२---डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी
१३---श्री बंशीधर पांडेय

याचिका समिति

१---श्री होतीलाल अग्रवाल, उपाध्यक्ष, चेयरमैन
२---श्री नित्यानन्द पांडेय
३---श्री माताप्रसाद
४---श्री जियाउर्रहमान (उपनाम बक्कन)
५---श्री गंगासिंह
६---श्री छत्रपति अम्बेश
७---श्री गंगाप्रसाद सिंह
८---डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी
९---श्री मोहनलाल आचार्य
१०---श्री हरिनाथ तिवारी
११---श्री सहदेवसिंह
१२---श्री राधेश्याम शर्मा
१३---श्री शराफत हुसैन रिजवी
१४---श्री काशीनाथबहादुरपाल
१५---राजा विक्रमशाह

विशेषाधिकार समिति

१---श्री होतीलाल अग्रवाल, उपाध्यक्ष, चेयरमैन
२---श्री नवलकिशोर
३---श्री देवेन्द्रसिंह
४---श्री कृष्णानन्दराय
५---श्री अमजद अली
६---श्री हिम्मतसिंह
७---श्री सालिग्राम जायसवाल
८---श्री चन्द्रजीत यादव
९---श्री रघुनाथ सिंह
१०---श्री मूलचन्द शास्त्री

प्रतिनिहित विधायन समिति

१---श्री बृजभूषण शरण
२---श्री शौकतहमीद खां
३---श्री महावीरसिंह
४---श्री टम्ब्रेश्वरी प्रसाद
५---श्री रामसूरत प्रसाद
६---काजी जलील अब्बासी

७—श्री वशिष्ठनारायण शर्मा
८—श्री माधोनारायण
९—श्री नौरंगलाल
१०—श्री बाबूलाल
११—श्री विजयसिंह
१२—श्री भोखालाल
१३—श्री नरोत्तमसिंह
१४—श्री कमलासिंह यादव
१५—श्रीमती सुशीला रोहतगी

आश्वासन समिति

१—कुंवर श्रीपाल सिंह
२—श्री गणेशचन्द्र काछी
३—श्री शिवमंगल
४—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी
५—श्री श्रीपति मिश्र
६—श्री बैजनाथ सिंह वैद्य
७—श्री एस० जी० दत्त
८—श्रीमती सियादुलारी
९—श्री सईद अमहद अंसारी
१०—श्री राजेन्द्रसिंह
११—श्री केशरीप्रसाद पांडेय
१२—श्री चन्द्रबली सिंह
१३—श्री मुन्नूसिंह
१४—श्री ऊदल
१५—श्री जसरामसिंह

पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति

१—श्री होतीलाल अग्रवाल, उपाध्यक्ष (चेयरमैन)
२—श्री नियामतउल्ला अंसारी
३—श्री हरीसिंह
४—श्री बृजमोहनलाल गुप्त
५—श्रीमती किश्वरआरा बेगम
६—श्री रामलखन शुक्ल
७—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल
८—श्री गुलाबसिंह
९—श्री किशोरीलाल अग्रवाल
१०—श्री सूबेदारसिंह
११—श्री झारखंडेराय
१२—श्री दीपनारायण सिंह
१३—श्री सत्यनारायण पांडेय
१४—श्री केशवसिंह
१५—श्री शिवनाथसिंह
१६—श्री भानुप्रतापसिंह
१७—श्री रामसुन्दर शास्त्री
१८—श्री सत्यवीर कुंवर
१९—श्रीमती शकुन्तला नायर
२०—श्री रामसिंह (सहारनपुर)

काउंसिल से यह हैं—

१—डाक्टर ईश्वरीप्रसाद
२—कुंवर महावीरसिंह
३—श्रीमती सावित्री श्याम
४—श्री मदन मोहन
५—श्रीमती कुदसिया बेगम (बेगम ऐजाज रसूल)

नियम समिति

१—श्री हुकुमसिंह विसेन
२—श्री सैयद अली जहीर
३—श्री बनारसीदास
४—श्री जगदीश प्रसाद
५—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट
६—श्री बेचनराम
७—श्रीमती सुशीला रोहतगी
८—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा
९—श्री कल्पनाथसिंह
१०—श्री अवधेशकुमार सिनहा
११—श्री बिशनलाल
१२—श्री भगवान सहाय
१३—श्री झारखंडे राय

[श्री उपाध्यक्ष]

आवास मंत्रणा समिति

१—श्री होतीलाल अग्रवाल, उपाध्यक्ष (चेयरमैन)
२—श्री रामसूर्ति
३—श्री बनारसीदास
४—कुमारी श्रद्धादेवी
५—श्री देवीदत्त छिनवाल
६—श्री बसन्तलाल शर्मा
७—श्री बंशीधर मिश्र
८—श्री रामचरण शाह
९—श्री भगवानदास
१०—श्री नेकराम शर्मा
११—श्री बाबूसिंह
१२—श्री प्रेमसिंह
१३—श्री बालोजी अग्रवाल
१४—श्री हलीमुद्दीन
१५—श्री बंशीधर पांडेय

श्री नेकराम शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम जो आपने घोषित किया कार्य मंत्रणा समिति में, मैं अपना नाम उससे वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

तो लिख कर भेज दीजियेगा ।

श्री नेकराम शर्मा—

आपने मुझ से पूछा नहीं था । मैं अपना नाम वापस लेता हूं ।

श्री कल्पनाथसिंह—

इस सिलसिले में एक निवेदन है । यह जो स्थायी समितियां हैं और हाउस की कमेटियां हैं सब के बारे में नामनिर्देशन पत्र लिये गये थे । रूल्स में कहीं यह नहीं है कि हाउस अपने प्रस्ताव द्वारा सदस्यों को नामजद कर सकेगा, बल्कि यह है कि चुनाव द्वारा होंगे । यह हो सकता था अगर चुनाव का नियम निलम्बित कर दिया गया होता और उसके बाद प्रस्तुत किया गया होता, तो मेरा ऐसा खयाल है कि यह बात उचित होती । मुझ को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ टेक्निकल भूल हो गयी है और इस पर मैं यह चाहूंगा कि आप हमारी व्यवस्था का प्रश्न माननीय अध्यक्ष को सूचित कर दें और इस पर विचार करके फिर अपनी व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप शायद उस समय यहां उपस्थित नहीं थे । यह प्रश्न उठा था । माननीय अध्यक्ष ने इस पर अपनी रूलिंग द दी है । कोई सवाल बाकी नहीं है ।

श्री कल्पनाथसिंह—

रूलिंग क्या है, जरा सुना दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

रूलिंग उस दिन की कार्यवाही में है, देख लीजिये ।

श्री कल्पनाथसिंह—

कोई प्रस्ताव हुआ था इस हाउस में कि फलां रूल सस्पेंड कर दिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

पूरा एक रेजोल्यूशन था । उसमें सब कुछ था ।

उत्तर प्रदेश वृहत् जोत कर विधेयक, १९६३ (क्रमागत)

*श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न यह है कि यह जो विधेयक इस वक्त विचाराधीन है, जिसको मैंने पेश किया है, उसके साथ वित्तीय ज्ञापन होना आवश्यक था या नहीं और उसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

न होने के कारण इस विधेयक पर इस समय विचार किया जा सकता है या नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नियम १२१ की भाषा यह है—"जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा .....

श्री नेकराम शर्मा—

प्वाइंट यह था कि खर्चा बजट में मंजूर किया है, और आप कहते हैं कि हम खर्च करने नहीं जा रहे हैं।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

वही जवाब देने जा रहा हूं। "जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खंडों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायगा और उसमें उस आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायगा जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो।

(२) विधेयकों के जिन खंडों या उपबन्धों में लोक निधियों में से व्यय अन्तर्ग्रस्त हो वे अपेक्षाकृत मोटे अक्षरों या वक्राक्षरों में छापे जायेंगे।"

प्रश्न यह है कि इसमें कोई खर्चा है या नहीं। इसमें ऐसी धाराएं हैं, इन धाराओं में कोई हवाला देकर बता सकते हैं कि फलां-फलां धारा में यह यह खर्चा होगा? अगर ऐसी बात नहीं है और कोई ऐसी धारा नहीं है जिसमें हम दिखा सकें कि हम यह खर्च करने जा रहे हैं और उसका यह एस्टीमेट है तो इस नियम १२१ की आवश्यकता नहीं है। अगर आप देखें तो आर्टिकिल २०७ में लिखा हुआ है—

"A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor, and a Bill making such provision shall not be introduced in a Legislative Council."

इसकी उपधारा (३) में लिखा हुआ है—

"A Bill which, enacted and brought into operation, would involve expenditure from the Consolidated Fund of a state shall not be passed by a House of the Legislature of the state unless the Governor has recommended to that house the consideration of the Bill."

'इनवाल्विंग एक्पेंडीचर' का शब्द है। उससे यह नहीं मतलब होता कि जिस बिल में कोई भी खर्चा हो, वरना आर्टिकिल २०७ के मानी यह हो जायेंगे कि हर विधेयक जिसमें कोई खर्चा हो उसमें रेकमेंडेशन की जरूरत पड़ जायगी। इनवाल्विंग एक्सपेंडीचर, 'व्यय अन्तर्ग्रस्त हो' उससे यह मतलब है कि ऐसा व्यय जिसका हवाला धाराओं में दिया जायगा। यदि ऐसा नहीं है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नियम १२५ में यह दिया हुआ है—

"यदि किसी विधेयक के पुरःस्थापन करने की अनुज्ञा के प्रस्ताव का विरोध किया जाय तो अध्यक्ष, यदि वे ठीक समझें, प्रस्तुत करने वाले सदस्य और प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के पश्चात् बिना और वाद-विवाद के प्रश्न रख सकेंगे:'

परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाय कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायिनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष उस पर पूर्णरूपेण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेंगे।"

नियम १२६ यह है—"नियम ११७ में दी गयी प्रक्रिया के अन्तर्गत अथवा विधेयक के पुरःस्थापन की अनुज्ञा प्राप्त हो जाने के उपरान्त विधेयक 'भार साधक सदस्य" द्वारा पुरःस्थापित किया जायेगा"। अंग्रेजी में है 'शैल बी इंट्रोड्यूस्ड'। यह बिलकुल इम्परेटिव है। उसके बाद कोई गुंजायश नहीं रह जाती। नियम १२१, नियम १२५ के पहले है। जब विधेयक छपे और जिन क्लाजेज में खर्चा था, जिन धाराओं में वह धारायें मोटे अक्षरों में नहीं छापी गई, तो यह पुरःस्थापन के समय उज्र किया जा सकता था कि यह ठीक नहीं है, इसमें कोई

[श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव]

मेमोरेंडम नहीं लगा हुआ है, इसकी आज्ञा न दी जाय। लेकिन जब एक मर्तबा पुरःस्थापन की आज्ञा दे दी जाय, तो यह लिखा हुआ है कि 'शैल बी इन्ट्रोड्यूस्ड।' अब इसके बाद जिस नियम के अनुसार मैंने इसे इस समय पेश किया है वह नियम १३० है जिसमें यह लिखा है कि 'किसी विधेयक के पुरःस्थापन के उपरान्त या किसी अनुवर्ती अवसर पर विधेयक भार-साधक सदस्य निम्नलिखित प्रस्तावों में कोई एक प्रस्तुत कर सकेगा, अर्थात्

(क) उसे सभा द्वारा तत्काल ही या भविष्य में किसी ऐसे दिन जिसे उसी समय निर्धारित किया जायगा, विचारार्थ ले लिया जाय।" तो मैंने सदन से प्रार्थना की है कि धारा १३० के अनुसार इसे विचारार्थ ले लिया जाय। यदि यह आपत्ति थी, तो यह आपत्ति उस समय होनी चाहिये थी जब कि यह बिल इन्ट्रोड्यूस हुआ था। तो उस वक्त यह तय हो जाता कि इसमें फाइनेंशल मेमोरेंडम की आवश्यकता है या नहीं है, और अगर उस समय मेरी यह बात न मानी जाती जो कि मैं अभी कह रहा हूं कि इसमें क्लाजेज का हवाला नहीं है, इसमें ऐसे विधेयकों का खयाल किया गया है जिसमें कि हम एडीशनल खर्च करते हैं और जो हम क्लाजेज से बता सकें कि हम फलां क्लाज द्वारा इतना खर्चा करेंगे, तब यह आपकी बात मानी जाती, और उस वक्त मुझको आज्ञा न दी जाती इसके पुरःस्थापन की। अब इसका कोई स्टेज नहीं रह गया है।

जहां तक बजट की बात है वह जैसा मैंने पहले कहा था इसके खंड २ के पृष्ठ ७० पर आप देखें, यह लिखा हुआ है कि "आय-व्ययक वर्ष की मांग १,४९,००० है जब कि इसकी तुलना में गत वर्ष की मांग २,२० थी। इस प्रकार ७१, की कमी दिखलाई पड़ती है। ..."उत्तर प्रदेश वृहत्-जोतकर अधिनियम के निरसित होने के परिणामस्वरूप यह आशा है कि आय-व्ययक वर्ष में कर्मचारियों की वर्तमान संख्या को कम करना संभव होगा।" तो यह जितना खर्च है, जो उस मद में दिया हुआ है, १ लाख ४९ हजार वह उस अधिनियम के संबंध में है जो कि अब निरसित कर दिया गया है और इसी तरह से इसमें दिया हुआ है---"वृहत् जोत कर अधिनियम के निरसित होने के कारण कर निर्धारण तथा वसूली से संबंधित कार्य में कमी होने के परिणामस्वरूप जिला स्तर पर कर्मचारी वर्ग तथा आकस्मिक व्यय में पर्याप्त कमी करना संभव होगा।"

तो मैं निवेदन करूंगा कि जितना बजट में है वह तो उस अधिनियम के संबंध में है जिसे कि हम रिपील कर चुके हैं और इसका कोई इससे सरोकार नहीं है। अब फाइनेंशल स्टेटमेंट की आवश्यकता होती तो पहले विधेयक जब पास किया था, सन् ५७ में तब कोई ऐसा फाइनेंशल मेमोरेंडम का नियम नहीं था, वरना यह मिसाल होती कि उस समय जब हमने यह अधिनियम पेश किया था तो फाइनेंशियल मेमोरेंडम लाये थे और अगर उस समय लाये होते तो इस समय भी लाते। मगर उस समय तो यह नियम था नहीं। अब इस समय जो प्रश्न है वह इस नियम के इंटरप्रिटेशन का है और मैं उसका इंटरप्रिटेशन यह ठीक समझता हूं कि जब तक क्लाजेज में रिफर न करें तब तक इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री राजेन्द्रसिंह---

श्रीमान्, माननीय मंत्री जी ने नियम १२१ का हवाला दिया। उसको यदि मैं पढ़ के आपको बताऊं ...

श्री उपाध्यक्ष---

वह तो उन्होंने ही पढ़ दिया है।

श्री राजेन्द्रसिंह---

उसके अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना अत्यावश्यक है। उसमें जहां पर यह कहा गया है कि उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर व्यय उसमें अन्तर्ग्रस्त हो तो····

श्री राजेन्द्रसिंह--

उसमें है, "जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खंडों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायगा।" यानी वित्तीय ज्ञापन तो होगा, लेकिन 'विशेषतया' शब्द यह इंडीकेट करता है कि उसमें आय और व्यय दोनों का स्टेटमेंट होगा, लेकिन व्यय की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायगा। अगर यह मंतव्य न होता तो व्यय की ओर विशेषतया शब्द का क्यों प्रयोग किया जाता ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह बिलकुल साफ है कि नियम १२१ के अन्तर्गत अगर व्यय अन्तर्ग्रस्त होगा तो ज्ञापन की जरूरत है, अन्यथा नहीं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

वह पुस्तक मेरे पास नहीं है। आप इसको देखें कि मैं मंत्री जी के स्टेटमेंट के आधार पर कहता हूं कि व्यय इसमें निहित है। आप इस बात पर भी राजी हो जांय कि अगर मैं इस विधेयक के लिये यह साबित कर दूं कि इसमें व्यय निहित है तो आप सहमत हो जायेंगे। आप इस बात पर विचार करें कि इसमें यह लिखा हुआ है कि वृहत् जोतकर अधिनियम के निरस्त होने के परिणामस्वरूप यह विधेयक है। उसमें पूर्व कर्मचारियों की संख्या, दूसरे काम करने वालों की संख्या बराबर रहेगी। इसके पढ़ने से मेरा अभिप्राय यह है कि जो खर्चा आपने पहले दिया है वही आगे भी होगा और वह इस कारण कि यह लार्ज होल्डिंग्स ऐक्ट अभी तक तो इंफोर्स था, वह अब रिपील हो गया। उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो बचा-खुचा है उसके संबंध में तो खर्चा होगा। इस दृष्टि से आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें भी खर्चे की आवश्यकता होगी। इसलिये मैं आपके ऊपर ही यह बात छोड़ता हूं कि आप न्याय करें। इसके आप सेक्शंस देखने का कष्ट करें। इसमें प्रेस्क्राइब्ड फार्म बनेंगे। खंड ९ के अन्दर एक स्टेटमेंट तैयार होगा। इसी सेक्शन के अन्तर्गत एक नायब तहसील-दार पूरा खाता महीनों तैयार करेगा। उसमें भी खर्चा होगा। रिकवरी जितनी होगी उसके लिये भी खर्चा होगा। क्या कारण है कि यह बिल जो पहले चल रहा था उसमें तो इतना खर्चा होता था और उसके बचे खुचे के लिये कुछ खर्चा न हो ? यह बिल नया इन्ट्रोड्यूस हो रहा है और पता नहीं कितने वर्ष तक चलेगा। तब आप कहते हैं कि इसमें कोई खर्चा नहीं होगा। मैं इसको आपके स्टेटमेंट पर ही छोड़ता हूं।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि मेरा पहला आरगुमेंट स्टैंड करता है। पहले यह कहा था कि आपने सीलिंग ऐक्ट लगा दिया। उससे लार्ज होल्डिंग्स की संख्या कम हो गई। उस सीलिंग ऐक्ट की वजह से डिवीजन हो गये। जिनके पास ७० एकड़ जमीन थी उसने उसको टुकड़ों में कर दिया और उससे ग्रोवर भी अलग हो गये। उसका नतीजा यह हुआ है कि पहले जो एक ऐसी ४०० एकड़ का बाग रखता था अब उसके १० हिस्से हो गये हैं····

श्री कृष्णानन्दराय--

यह आप प्रस्ताव पर बोल रहे हैं या दूसरी बात कह रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपका कहना यह है कि उसमें खर्चा अवश्य होगा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

जब एसेसी की संख्या बढ़ गई और दूसरा ऐक्ट आ गया और प्रोसीजर भी वही और खर्चा भी होगा तो मैं इसका निर्णय माननीय उपाध्यक्ष के ऊपर ही छोड़ता हूं कि इसमें मेमोरेंडम देना चाहिये या नहीं ?

श्री नेकराम शर्मा---

मैं राजस्व मंत्री जी से केवल एक बात पूछना चाहता हूं। अभी सदन में उन्होंने यह कहा था कि खर्चा नहीं होगा। तो वह इस बात को स्पष्ट बतायें कि इसमें खर्चा होगा या नहीं ?

श्री रक्षपालसिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के अन्दर इत्तफाक से जो गलती हो गई उसको मंत्री जी डिफेंड करना चाहते हैं। इस विधेयक के खंड २६ को आप देखें उसमें यह दिया हुआ है कि इस अधिनियम के अधीन कोई भी नोटिस अथवा अधियाचन पत्र उसमें उल्लिखित व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा तामील किया जा सकता है मानों वह कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन जारी किया गया सम्मन हो। अब इसके बाद इसके इसी खंड के (२७) 'ञ' को देखा जाय जिसमें यह लिखा है कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित लेखा-बहियों तथा अन्य रजिस्टरों, विवरणियों तथा विवरण-पत्रों को रखने की प्रक्रिया और उनके प्रपत्र। इन सब के बारे में सरकार नियम बनायेगी जिसके अन्दर खर्चा होगा। यह जो बातें हैं यह पुराने लार्ज होल्डिंग टैक्स के अन्दर भी रखी गई थीं। उन सब कामों के लिये कर्मचारी और उनका एक दफ्तर भी रहेगा जिसके लिये अलग से खर्चा होगा। बाबू उस काम के लिये रहेंगे जो इस काम को देखेंगे। इसमें यह सब बातें उसके इन्तजाम के लिये रख दी गयी हैं। तो यह सब खर्च इस कानून के लगाने से निश्चित रूप से पड़ने वाला है। पता नहीं मंत्री जी क्यों अपनी गलत बात को उपस्थित करने की जिद कर रहे हैं।

(मंत्री जी के बुलाने पर)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, मुझे सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

अब काफी बहस हो गयी है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

आप मंत्री जी को सुनकर निर्णय दे देंगे कि फिर कैसे होगा ? यह तो बड़ी अजीब बात है। एक मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

अच्छा, कहिये।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि जब पुरःस्थापित हुआ था तब यह आब्जेक्शन आना चाहिये था। पुरःस्थापन के समय आपने देखा कि यह प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया गया था कि इस पर महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति है या नहीं। चेयर की तरफ से यह बताया गया था कि उनकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। तो जिस वक्त अनुज्ञा मांगी गयी थी पुरःस्थापन की उस समय भी मंत्री जी साफ नहीं थे कि महामहिम की अनुमति है या नहीं और न उन्होंने कहा कि वे राज्यपाल महोदय की सिफारिश से इस बिल को पेश करते हैं। मंत्री जी ने ठीक वही शब्दावली पढ़ी जो आज के एजेंडे में छपी हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस बात पर बड़ा भ्रम था और वह निवारण हुआ चेयर की तरफ से। हालांकि मंत्री जी की तरफ से उसे होना चाहिये था। उसके बाद से लगातार इस पर बहस चली आ रही है। यह बहस समय से विपरीत नहीं है, समय के अन्तर्गत है और यह कांस्टीट्यूशनल प्वाइंट उठाया गया कि इस पर वित्तीय ज्ञापन दिया जाय क्योंकि यह धन विधेयक है। आपको श्रीमन्, याद होगा कि आप तो दूसरी व्यवस्था दे चुके थे जब कि मंत्री जी ने खड़े होकर कहा कि अगर हाउस ऐडजर्न कर दिया जाय तो इस पर बात सोचा

जाय। इसलिये निवेदन करता हूं कि मंत्री जी के मन में भी स्वतः हिलोरें उठने लगी थीं कि इस पर वित्तीय ज्ञापन देने की आवश्यकता है या नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी, जो आज मौजूद हैं या कार्यवाहक मंत्री जी, सदन को आश्वस्त करेंगे कि अगले साल के लेखे-जोखे में या सप्लीमेंटरी बजट में भी, कहीं पर कोई इस प्रकार से खर्चा एक पेंसिल खरीदने के लिये भी नहीं होगा। और .....

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

१ मिनट मुझे भी दें।

श्री उपाध्यक्ष—

जी नहीं। इस तरह से ४३१ सदस्य हैं। कहां तक इस तरह चलेगा ?

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, मैं अभी अपना "और" वाला वाक्य पूरा नहीं कर पाया और वह यह है कि न कलेक्शन में या न उसके सेक्रेटेरियट में यहां पर, उसके लिये स्टाफ पर, न दौरे पर, न सम्मन या नोटिस जारी करने पर, न जजमेंट की कापी लेने पर एक नया पैसा भी खर्च होगा और न कहीं दिखाया जायगा। अगर इन सब बातों से मंत्री जी इस सदन को आश्वस्त कर दें तो जहां तक मेरा व्यक्तिगत मत है, उनसे मैं सहमत हो जाऊंगा।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मुझे एक मिनट दे दीजिये और केवल एक बात कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा, जल्दी से कहिये।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, जो खर्चे वाली बात है, उसमें मैं मंत्री जी का ध्यान खंड ५ की तरफ दिलाना चाहता हूं। उसमें आप पढ़ लें, साफ लिखा है कि "जो वैल्यू कैलकुलेशन होगा, वह रेवेन्यू वैल्यू मानी जायगी और हेरिडेटरी (मौरूसी) लगान के ऊपर मानी जायगी। ३० एकड़ से ज्यादा होल्डिंग वालों की पूरे सूबे में सर्वे किया जा रहा है। १२॥ गुना मौरूसी लगान में आप देखें कि फिर मौरूसी वैल्यू निकालेंगे। इस वक्त जो सर्वे कराने जा रहे हैं तो फिर आप यह कैसे कह देंगे कि उसमें खर्चा नहीं होगा और .....

(व्यवधान)

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शायद माननीय सदस्यों ने उसको समझा नहीं, जो कि मैंने कहा। मेरे यह कहने का मतलब नहीं है कि उस में खर्चा नहीं होगा। सवाल यह है कि उसमें वित्तीय ज्ञापन लाना चाहिये या नहीं। वित्तीय ज्ञापन, जिसमें वह अन्तर्ग्रस्त होने वाले खंडों की ओर विशेष ध्यान दिलाया जायगा। यदि आप अंग्रेजी को देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि .....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

सवाल यह है कि जिस विधेयक की वजह से उसमें अगर वर्किंग में खर्चा होगा, यह निहित है, तब तो ज्ञापन की जरूरत है और अगर खर्चा नहीं है, जैसा कि आपने कहा, तो बात दूसरी है।

(व्यवधान)

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

उसमें आप देखें कि....

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथसिंह---

एक प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप विराजें। अब कुछ नहीं, आप काफी कह चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त हो। एक बात और दूसरी यह कि उसके बाद हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगावेंगे, उसमें ध्यान दिलाना पड़ेगा। "Which shall invite particular attention to clause" यदि कोई विधेयक पास करें तो....

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आपने खर्चे के विषय में आज्ञा दी, तब वह उसके विरुद्ध कैसे बोल सकते हैं?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने आप लोगों को काफी सुना और अब आप दूसरों को भी बोल लेने दीजिये। आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

श्रीमन्, अगर आप देखें तो जमींदारी ऐक्ट हमने पास किया, उसमें खर्चा निहित है। हम कोई भी ऐक्ट पास करते हैं, जो यहां से विधेयक पास करते हैं, उसमें खर्चा निहित जरूर करना पड़ता है। उसमें उसके निहित होने से, जिसमें कि खर्चा हो, मैं यह कह रहा था और मैंने आपका ध्यान आर्टिकल २०७ की ओर दिलाया भी था। वह है कि "involving expenditure इक्सप्रेशन" जो रूल १२१ है, उसके साथ-साथ जिसमें यह है "which shall refer to clauses"। अगर "इन्वाल्विंग" एक्सप्रेशन रेफर नहीं कर सकता तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी ऐक्ट देखें, हाई कोर्ट ऐक्ट पास किए या जमींदारी एबालिशन ऐक्ट को देखें या अब जो हम पास करने जा रहे हैं और पास करते हैं, उनमें सब में कुछ न कुछ खर्चा होता है और हुआ है। जब तक हम क्लाजेज से न रिलेट कर सकें, तब तक हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लगाने की आवश्यकता नहीं है।

अब मैं यह अर्ज करता हूं कि इस स्टेज पर, सिवाय इसके कि इसमें जो लिखा हुआ है "a Bill shall be introduced" हमारे लिये कोई चारा नहीं है। जैसे कानून में, कानूनदां यह समझते हैं कि....

(व्यवधान)

श्री नेकराम शर्मा---

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

एक व्यवस्था का प्रश्न चल रहा है, दूसरा नहीं हो सकता।

श्री नेकराम शर्मा---

श्रीमन्, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है। मैंने हाउस आफ कामंस की रूलिंग पढ़ी है।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, यह बेजा बात है, आप विराज जाइये। एक व्यवस्था का प्रश्न चल रहा है जिस पर चार माननीय सदस्य बोल चुके हैं और अब मंत्री जी बोल रहे हैं। व्यवस्था का प्रश्न व्यवस्था के प्रश्न के बीच में नहीं उठ सकता।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

मैं अर्ज कर रहा था कि उपयुक्त जगह पर अगर आब्जेक्शन नहीं किया जाता, तो बाद में आपत्ति नहीं उठायी जा सकती। खर्चा तो हर विधेयक में होता ही है। तो इनवाल्विंग एक्सपेंडीचर के साथ-साथ पढ़ना पड़ेगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने लगेंगे कि "ह्विच शैल इनवाइट पार्टिक्युलर अटेंशन"। यह धारा १२१ है, "विशेषतया ध्यान दिलाया जायगा" अगर नहीं दिलाया जा सकता तो फाइनेंशियल मेमोरेंडम अगर बनाने बैठते तो क्या बनाते? जैसे सेल्स टैक्स का है, उसमें सेल्स टैक्स आफिसर मुकर्रर करते हैं। जैसे हमने प्रोटेक्शन आफ एंडाउमेंट प्रापर्टी ऐक्ट रखा, उसमें कमिश्नर अप्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से तो वह भी मनी बिल हो जाना चाहिये। यह जरूरी है कि जब फाइनेंशियल मेमोरेंडम हम बनाने बैठें तो क्लाजेज को रेफर कर सकें। अगर नहीं कर पाते हैं तो आवश्यक नहीं है कि मेमोरेंडम लगाया जाय।

यह सही है कि जबे आज्ञा दी गयी पुरःस्थापित करने की उस वक्त आब्जेक्शन उठाया भी नहीं गया। यह कहना कि मुझे शक हो गया था उस वक्त और मैं सोचने लगा था, यह उचित नहीं है। ईमानदारी की बात यह है कि वह उसी वक्त समझते थे कि कोई खराबी नहीं है और यह ठीक है। लिहाजा यह ठीक है और इस पर विचार किया जाय। रूल १३० के अनुसार मैंने पेश किया है उस पर सदन विचार करे।

श्री नेकराम शर्मा—

मेरा प्रश्न ह कि पहले माननीय राजस्व मंत्री ने कहा कि खर्चा नहीं होगा और दूसरा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि खर्चा होगा, तो अगर पहला बयान गलत है तो उसको स्वीकार करना चाहिये और दूसरा गलत है तब बहस हो सकती है। यह नहीं है कि अनुज्ञा मिल गयी। इसमें "शैल" का वर्ड है, बड़ा महत्वपूर्ण कांस्टीट्यूशनल प्वाइंट है। माननीय मंत्री जी बड़े उदार हैं, उन्होंने पहले भी हाउस को स्थगित करा दिया था। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं,उनसे वे कहें और वह इंटरवीन करें। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं और भुगतना पड़ता है गवर्नमेंट को। आपने स्वयं कहा कि खर्च होगा तो ज्ञापन होना चाहिये जैसी कि आपकी व्यवस्था हो चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, व्यवस्था नहीं हो चुकी है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

यदि हम कोई एसी बात बता सकें कि जो उनके क्लैरिफिकेशन को भी क्लैरिफाई कर दे तो आप उसे सुन कर ही अपना निर्णय दें। यहां पर यदि कोई विचार हो तो उससे यह स्पष्ट होना चाहिये कि हमने रूल आफ ला की कद्र की, टैक्नीकैलिटी से लाभ नहीं उठाना चाहिये।

श्रीमन्, बहस तो इस बात पर है कि यह फाइनेंशियल बिल है या नानफाइनेंशियल। जमींदारी एबालिशन ऐक्ट का जो हवाला दिया गया वह फाइनेंशियल बिल नहीं था। फिर हम परम्परा की भी कद्र करें। इस सदन में, जब माननीय हुकुमसिंह जी थे, एक बिल कोर्ट फीस बिल या कोई बिल था, उस पर सदन की कार्यवाही इसीलिये स्थगित कर दी गयी थी क्योंकि उसके साथ फाइनेंशियल मेमोरेंडम नहीं था। अब यह बात चूंकि विरोधी दल के मुंह से आ रही है, इसलिये इसको टाल दिया जाय, यह भावना नहीं होनी चाहिये। आपने इसको रफ करने का प्रयत्न किया, यह बात नहीं होना चाहिये। पहले आपने कहा कि एक्सपेंसेज

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

इन्वाल्व नहीं है, फिर कहा है, इस पर आपको सोचना चाहिये । नियम २१ पढ़ा गया उसको आप फिर देखें उसमें है "A Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular attention to clauses involving expenditure and shall also give an estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved in case the Bill is passed in to law."

तो श्रीमन्, मैं कह यह रहा था कि इसमें हर दूसरे तीसरे सेक्शन में कुछ न कुछ खर्चा इन्वाल्व है । पब्लिकेशन करायेंगे, नोटिफिकेशन करायेंगे, गजट करायेंगे, नोटिस भेजेंगे, नायब तहसीलदार नियुक्त होंगे, टिकट लगायेंगे, इसमें खर्चा तो होगा ही । इस पर रेकरिंग और नान-रेकरिंग दोनों ही प्रकार के खर्चे होंगे । अतः मेरी प्रार्थना है कि एक बात तो अपोजीशन की मान ली जाय इससे वातावरण बढ़िया हो जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी कृपया यह बतला दें कि यह फाइनेंशियल बिल है या नहीं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

यह मनी बिल है और इसका रेफरेंस है आर्टीकिल १९९ में....

श्री उपाध्यक्ष--

तो इसमें क्या दिक्कत है, मैं एक घंटे के लिये सदन एडजर्न कर दूं आप ज्ञापन दे दीजिये ? यह फाइनेंशियल बिल है, और उसमें ज्ञापन जरूरी मालूम होता है ।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)--

अभी तो आज के एजेंडे में देखें श्रीमन्, रूल्स पर भी विचार करना है । उन पर इस समय विचार कर लिया जाय पहले, उसके बाद इस बिल पर जब ज्ञापन आ जाय तो विचार कर लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह ठीक है । इस बिल में ज्ञापन जरूरी मालूम होता है, वह माननीय मंत्री जी दे दें, यह बिल बाद को ले लिया जायगा । (व्यवधान) देखिये, मेरी व्यवस्था यह है कि हम पहले रूल्स का काम करें और उसके बाद यह बिल ले लेंगे ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (क्षेत्र समितियों के सदस्यों को चुनने की) नियमावली, १९६३

श्री उपाध्यक्ष--

पहला संशोधन बाद में लूंगा ।

नियम ३

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (क्षेत्र समितियों के सदस्यों को चुनने की) नियमावली, १९६३, में यह संशोधन पेश करता हूं कि नियम ३ की चौथी लाइन में शब्द "सदस्यों" की जगह 'सदस्य' रखा जाय और उसके आगे के शब्द "की बैठक होगी और वे" निकाल दिये जायं । इसका मूल नियम यह है कि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथा-शीघ्र और तत्पश्चात् प्रत्येक बार जब धारा १८ की....

श्री उपाध्यक्ष—
आप जल्दी कीजिये ।

श्री कल्पनार्थसिंह—
अच्छा तो मैं इसे छोड़ता हूं, यह तो सबको मालूम ही है । मंत्री जी ने संशोधन पढ़ लिया होगा, वह उसे मानते हैं या नहीं, बता दें ?

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—
एक एक नियम आप लेते चलेंगे क्या ?

श्री उपाध्यक्ष—
एक एक लेंगे ।

श्री बंशीधर पांडेय—
उपाध्यक्ष जी, इसमें सरकार ने स्वयं कुछ संशोधन करने का विचार कर लिया है और उसे मैं बता दूं कि क्या तीसरा होगा । इसके स्थान पर यह होगा :

Returning officers: The District Election Officer shall be the returning officer for conducting election under these rules The returning officer may appoint one or more persons as assistant returning officer. Assistant returning officer, in the performance of his functions, shall also be competent to perform all of any of the functions of the returning officer. Returning officer may take such assistance from the clerical staff for conducting the elections as may be deemed necessary. The elections under these rules shall be held under the general superintendence of the Director of Elections, Local Bodies, U. P.

श्री कल्पनार्थसिंह—
जरा हिन्दी कर दें ।

श्री बंशीधर पांडेय—
इन रूल्स के मातहत जिला चुनाव अधिकारी रिटर्निंग अफसर होगा चुनाव कराने के लिये । वह एक या अधिक सहायक रिटर्निंग अफसर रख सकेगा जो उसके सभी या कोई कार्य कर सकेंगे और क्लैरिकल स्टाफ से आवश्यक सहायता ले सकेंगे । इन रूल्स के मातहत चुनाव यू० पी० के डाइरेक्टर आफ इलैक्शंस स्थानीय निकाय की देखरेख में होंगे ।

श्री कल्पनार्थसिंह—
मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि सरकार ने यह रखा है । मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री माधोनारायण मुद्गल (जिला मैनपुरी)—
मंत्री जी ने जो कहा उससे मेरी मंशा पूरी हो जाती है, इसलिये मैं नियम ३ में अपना संशोधन पेश नहीं करना चाहता हूं ।

नियम ४

श्री कल्पनार्थसिंह
पहले मंत्री जी से पूछ लें ।

श्री बंशीधर पांडेय—
Notice to members की जगह appointment of date हमने रखा है । अब तारीख निर्धारित होगी जिस दिन नामीनेशन होगा और उसी दिन स्क्रूटीनी और विदड्राल भी हो जावेंगे । फाइनल नाम की सूची प्रकाशित होकर चुनाव के लिये एक तारीख निर्धारित होगी ।

श्री कल्पनाथसिंह---

मैं अपना संशोधन पेश नहीं करना चाहता हूं ।

श्री माधोनारायण मुद्गल---

मैं भी अपना संशोधन पेश नहीं करना चाहता हूं चूंकि मेरा संशोधन भी कंसीक्वैन्शल है ।

नियम ५

श्री कल्पनाथसिंह---

श्रीमन्, आज्ञा हो तो....

श्री बंशीधर पांडेय---

५ में अब किसी संशोधन की आवश्यकता ही नहीं है ।

श्री कल्पनाथसिंह---

आप मंत्री जी से कह दें कि वह अपनी मंशा सुना दें । अगर मैं उनकी बात से कनविन्स हो जाऊंगा तो मूव नहीं करूंगा ।

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, अभी मैंने बताया कि नियम ५ में माननीय सदस्यों की यह इच्छा है "जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक क्षेत्र के सदस्य या सदस्यों के निर्वाचन के लिये एक सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगा जो नियम ४ (१) के अधीन विधि तथा उल्लिखित दिनांक, समय और स्थान पर चुनाव कराएगा" । इसके बारे में नियम ३ और ४ के सिलसिले में मैं बता चुका हूं कि हम क्या करने जा रहे हैं ।

श्री कल्पनाथसिंह---

श्रीमन्, एक गलतफहमी होती जा रही है । उन्होंने वे नियम अंग्रेजी में पढ़े और जल्दी जल्दी पढ़े । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अपनी तरफ से एक प्रस्ताव पेश करें कि सरकार की जो इच्छा है उसके अनुसार जो हिन्दी में नियम हैं उनको प्रकाशित कराया जाय और उसके बाद अगर माननीय सदस्य उनमें कोई संशोधन करना उचित न समझेंगे तो वे नियम पारित हो जायेंगे । यह कान्ट्रेडिक्शन सा हो रहा है कि कहीं मानते हैं और कहीं नहीं मानते । हमको ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी इसमें आमूल परिवर्तन की बात सोच रहे हैं । इसलिये पूरे के पूरे सरकार की मंशा के अनुसार नियम हमें नहीं मिलते तब तक कन्फ्यूजन रहेगा । उनको यह साफ तौर से बता देना चाहिये कि वे कौन-सी बात मानना चाहते हैं और कौन-सी नहीं मानना चाहते हैं ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---

माननीय मंत्री जी जो मुख्य-मुख्य चेन्ज करना चाहते हैं उनको एक बार ही बता दें, तो अच्छा होगा । फिर हम विचार कर लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी उन सब बातों को बता दें जिनके द्वारा उन्होंने रूल्स में चेंज किये हैं । अगर माननीय सदस्य उससे संतुष्ट हो जायेंगे तो फिर अपने संशोधन पेश नहीं करेंगे । इससे समय बच जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

नियमावली में जो संशोधन गवर्नमेंट करना चाहती है, वह पहले बता दें । अगर उनमें हमलोगों के संशोधन निहित होंगे तो बहस की कोई जरूरत ही न होगी । और जो उसके अलावा होंगे उन पर बहस हो जायगी । इसमें समय की बचत हो जायगी और हमारा और उनका सब का फायदा हो जायगा ।

श्री बंशीधर पांडेय--

अगर माननीय कल्पनाथसिंह जी हिन्दी में कहते हैं तो मैं उनको हिन्दी में बता दूंगा। मेरे पास हिन्दी में भी है। लेकिन अगर सब एक साथ लेने के बजाय एक एक क्लाज को ले लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। जो संशोधन माननीय सदस्य रखना चाहते हैं उनको पढ़ दें उसके बाद उन पर कुछ कहने की आवश्यकता होगी तो उस पर मैं कह दूंगा। अगर आप की आज्ञा है तो मैं बताये देता हूं।

नियमावली में सेक्शन ३ से लेकर ९ तक संशोधित किये गये हैं। अब वे निम्न प्रकार से हो जायेंगे। तीसरा होगा--निर्वाचन अधिकारी--जिला निर्वाचन अधिकारी इस नियम के अधीन निर्वाचन अधिकारी होगा।

२--निर्वाचन अधिकारी एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है।

३--सहायक निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी को उसके कृत्यों के सम्पादन में सहायता देगा और निर्वाचन अधिकारी के सभी या किन्हीं भी कृत्यों का सम्पादन करने के लिये सक्षम होगा।

४--निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन संचालित करने के लिये लिपिक कर्मचारियों से ऐसी सहायता ले सकता है जिसे वह आवश्यक समझें।

५--इन नियमों के अधीन निर्वाचन निदेशक (स्थानीय निकाय), उत्तर प्रदेश के सामान्य अधीक्षण के अधीन रहेंगे।

४--दिनांक का निश्चित करना--१--इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशीघ्र और तत्पश्चात् प्रत्येक बार जब धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (२) के अधीन किसी सदस्य को चुना जाना हो तो जिले का जिला मैजिस्ट्रेट एक लिखित आज्ञा द्वारा निम्नलिखित बातें निश्चित करेगा--

(क) नाम निर्देशन प्रस्तुत करने तथा उसके परीक्षण का दिनांक, जो जिला मैजिस्ट्रेट की आज्ञा के दिनांक से कम से कम सात दिन बाद का होगा।

(ख) वह दिनांक, और वे घंटे जिनके बीच, मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो कराया जायगा। यह दिनांक खंड (क) के अधीन नियत दिनांक के बाद तीसरे दिन से पहले का न होगा।

२--उपनियम (१) के अधीन आज्ञा जारी होने पर, निर्वाचन अधिकारी एक सार्वजनिक नोटिस (सूचना) देगा, जिसमें निम्नलिखित बातें दी होंगी--

(क) क्षेत्र समिति द्वारा चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या,

(ख) वह स्थान और दिनांक जब तथा वे घंटे जिनके बीच नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे,

(ग) वह स्थान तथा दिनांक जब तथा वे घंटे जिनके बीच, नाम-निर्देशन पत्रों का परीक्षण किया जायगा, और

(घ) यदि कोई मतदान कराया जायगा तो वह स्थान और दिनांक जब तथा वे घंटे जिनके बीच मतदान होगा।

३--प्रत्येक सदस्य को, उसके अन्तिम ज्ञात पते पर, प्रेषण प्रमाण-पत्र के अधीन डाक द्वारा नोटिस भेजा जायगा।

४--नोटिस की एक प्रति क्षेत्र समिति के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चिपकाई जायगी।

[श्री बंशीधर पांडेय]

५---नाम-निर्देशन---(१) उम्मीदवार का नाम-निर्देशन, प्रपत्र १ में नाम-निर्देशन-पत्र द्वारा किया जायगा ।

(२) प्रत्येक नाम-निर्देशन पत्र पर क्षेत्र समिति के दो सदस्य हस्ताक्षर करेंगे, एक प्रस्तावक के रूप में और दूसरा अनुमोदक के रूप में । उम्मेदवार भी, चुने जाने के लिये अपनी सहमति देने के प्रतीक स्वरूप, हस्ताक्षर करेगा ।

(३) यह अनिवार्य है कि उम्मेदवार सम्बद्ध क्षेत्र समिति का सदस्य हो ।

(४) प्रत्येक उम्मेदवार को अलग-अलग नाम-निर्देशन-पत्र द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा ।

(५) प्रत्येक नाम-निर्देशन-पत्र, नियम ४ के अधीन जारी किये गये नोटिस में निर्दिष्ट दिनांक, स्थान और घंटों के बीच उम्मेदवार या उसके प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा प्रस्तुत किया जायगा ।

६---नाम-निर्देशनों का परीक्षण---

(१) नाम-निर्देशनों के परीक्षण के समय उम्मेदवार उसका प्रस्तावक तथा अनुमोदक उपस्थित रह सकते हैं तथा निर्वाचन अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी यथा विधि प्राप्त नाम-निर्देशन-पत्रों की जांच करने के लिये उन्हें सभी सुविधायें देंगे ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

श्रीमन्, सरकार काफी संशोधन लायी है और जो हमें कापी दी गयी है उसमें भी उन्होंने बड़ा आमूल संशोधन किया है । अच्छा तो यह हो कि माननीय मंत्री द्वारा सभी संशोधनों की कापी हमें दे दी जाय । हम जो स्वीकार कर लेंगे उन पर तो कोई संशोधन लायेंगे नहीं, बाकी पर संशोधन लायेंगे । तो यह क्लाज बाई क्लाज हो रहा है, और इस सदन में आज तक ऐसा कभी नहीं नहीं हुआ है कि सारे संशोधन एकदम से पढ़ कर सुना दिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो माननीय कल्पनाथसिंह जी की रिक्वेस्ट पर हुआ । फिर मैं आपसे अर्ज करूं कि कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिये, क्लाज बाई क्लाज आप चाहें तो वैसे भी हो जायगा, लेकिन सवाल यह है कि सहूलियत के लिये और समय की बचत के लिये यह तरीका रखा गया है । फिर भी कोई रह जाय तो आप संशोधन मूव करें वरना न मूव करें ।

श्री कल्पनाथसिंह---

आपके आदेश पर हमारी सहमति हमेशा रहती है । मैं यह चाहता था कि छपी हुई प्रतियां बटें और उसके बाद यह बात आये ।

श्री उपाध्यक्ष---

छपने का सवाल नहीं होता ।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला मिर्जापुर)---

जो संशोधन नये लाये गये हैं वे हमें सर्कुलेट होंगे । १४ दिन में कोई अमेंडमेंट देना हो तो नहीं दे सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

इस वक्त जो नियम है उनमें आप संशोधन करने जा रहे हैं और उन पर अगर गवर्नमेंट का आश्वासन हो जाता है और बतला दिया जाता है कि वह यह करने जा रही है तो उसे मान लेना चाहिये ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

संशोधित रूप में नहीं आयेगा और विचार करने के लिये नहीं रखा जायगा तो वेलिडिटी कैसे हो जायगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

जब आपकी यहां अनुमति हो जायगी तो फिर संशोधन नहीं आयंगे, काम चलने लगेगा।

श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)--

हमको १४ दिन में संशोधन देने का अधिकार रहेगा अमेंडमेंट में न रहे तो बहस कर लें और रहे तो फिर कोई बात नहीं है। हम बाद में भेज देंगे।

श्री बंशीधर पांडेय--

इसमें भी नहीं रहेगा।

श्री नेक राम शर्मा--

संशोधन लाना चाहते हैं तो संशोधन प्रस्तुत किया जाय। इस एजेंडे में कोई संशोधन नहीं है। हमें प्रतिलिपि दे दीजिये। हम भी संशोधन कर सकें। नई परम्परा चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष--

समय की बचत के लिहाज से ऐसा किया जा रहा है। अगर आपकी सहमति हो जाती है और वापस ले लेते हैं तो फिर वह लेंगे। कायदे से १४ दिन के अन्दर आपको अमेंडमेंट करने का अख्तियार होगा और अगर आपकी मंशा के मुताबिक हो जायगा तो आप नहीं लायेंगे और काम ठीक हो जायगा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

चैलेंज हो सकता है। जो संशोधित रूप है १४ दिन उसे हमारे सामने रहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

आपकी मंशा पूरी होगी तो क्यों लेंग आप ?

श्री कल्पनार्थसिंह--

जो नियमावली दी गयी है और जिसका प्रकाशन सरकारी गजट म हुआ है वह करीब १४ फरवरी को हुआ और १४ दिन के अन्दर हमने अपने संशोधन भेज दिये। उसके बाद कोई दूसरी सूची हमको नहीं दी गयी और न दूसरा गजट दिया गया। यकायक हाउस के सामने यह बात आ रही है। उसके संशोधन पर सरकार स्वयं विचार कर रही है और उन संशोधनों को भी उसी गजट के अन्दर प्रकाशित करना चाहिये था और हमको यह अधिकार होना चाहिये था कि १५ दिन के अन्दर हम अपने संशोधन उपस्थित कर सकें। आवश्यकता हो तो हाउस में फिर बहस होनी चाहिये पास होने के बाद। मगर ऐसा नहीं हुआ हाउस में लाने के बाद। मैं यह समझता था माननीय मंत्री जी का ध्यान उधर जायगा। इसलिये मैंने यह कहा कि मंत्री जी से पूछ लीजिये। बात सीरियस है। मंत्री जी का ध्यान आकर्षित नहीं कर सका तो मजबूर हो कर यह बात मैं कह रहा हूं कि यह अवैधानिक कार्य होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

हमारे सामने सवाल यह है कि जो अमेंडमेंट आपने रखे हैं उन पर विचार हो रहा है। उनमें गवर्नमेंट के अश्योरेन्स पर आप उनको वापस करना चाहें तो वापस करें, प्रेस करना चाहें तो प्रेस करें। जो कुछ भी फैसला हो वह आज समाप्त हो जायगा। गवर्नमेंट अगर रूल्स बनाती है, तो वह आपके सामने पेश करेगी, लेकिन आनरेबिल अंडरस्टैन्डिग यह होनी चाहिये कि अगर आपकी मंशा पूरी हो जाय तो फिर अमेंडमेंट नहीं लायेंगे।

श्री कृष्णपालसिंह---

हम तो यह चाहते हैं कि हमारा अधिकार रहे। अगर ठीक होंगे तो हम ख्वामख्वाह थोड़े ही लायेंगे।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

जैसा आपने कहा, मान लीजिये हम सहमत भी हैं, लेकिन हमारे सामने होने चाहिये। मान लीजिये कि कोई एलेक्शन चैलेन्ज हुआ इस ग्राउन्ड पर कि जो अमेंडमेंट आये वह अमेंडमेंट के रूप में नहीं बल्कि फ्रेश आये तो सब एलेक्शन्स बेकार हो जायंगे। तो थोड़ी-सी बात के लिये क्यों सब गड़बड़ी की जाय।

श्री बंशीधर पांडेय---

मैं समझता हूं हमारे साथियों को काफी व्यापक पैमाने पर कुछ भ्रम हो चला है। रूल बनाने की पावर गवर्नमेंट को होती है। वह रूल बना कर उसको हाउस के सामने लाती है और १४ दिन के अन्दर लोग सुझाव देते हैं। रूल १४ फरवरी को बने थे। सरकार ने फिर सोचा कि उनमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सरकार ने एक एक्स्ट्रा-आर्डिनरी गजट में प्रकाशित कराया है और ३ अप्रैल तक आब्जेक्शन्स इन्वाइट किये हैं।

श्री कल्पनाथसिंह---

वह गजट सदन के सामने नहीं है।

श्री बंशीधर पांडेय---

गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके उनको गजट में प्रकाशित किया और आब्जेक्शन्स मांगे। इस बीच में हाउस का आदेश हुआ कि डिस्कशन होगा। अब अगर आप चाहते हैं तो मैं वह अमेंडमेंट्स बता दूं अन्यथा कोई बात नहीं है।

श्री रक्षपालसिंह---

सरकार ने रूल्स बनाये हैं, उनको गजट में प्रकाशित किया है और आब्जेक्शन्स मांगे हैं। इसके बाद बाहर के लोगों को और सदन के सदस्यों को मौका मिलेगा। तो अगर आज फाइनल हो जाने वाली बात हो तो हमारे संशोधनों को मंत्री जी रिजेक्ट कर देते और अपनी तरफ से दूसरा प्रस्ताव रखते और सदन स्वीकार कर लेता। उसके बाद न नोटिफिकेशन करने की जरूरत होती और सदन के द्वारा पास हो जाते। अब भी माननीय पांडेय जी हमारे सभी संशोधनों को रिजेक्ट कर दें और अपना प्रस्ताव रखें।

श्री उपाध्यक्ष---

जो रूल्स गजट हुये थे उनके बारे में आपने अमेंडमेंट्स दिये। अब अमेंडमेंट्स पर विचार हो रहा है। आज जो उसमें फैसला हो जायगा फिर गजट होगा। मैं समझता हूं कि जो कायदा है उसी तरह से आप चलिये। जो सेक्शन २३७ है उसमें यह है---

"Power of State Government to make rules—(1) The State Government may make rules consistent with this Act in respect of any matter or matters for which the power of making rules is expressly or by implication conferred by this Act, and may also make rules which are otherwise requisite for carrying out the purposes of this Act.

(2) Any rule made under sub-section (1) may be general for all Zila Parishads or all Kshettra Samitis or special for any one or more Zila Parishads or Kshetra Samitis to be specified, and shall not be made except after previous publication and shall not take effect until the same has been published in the Gazette.

(3) All rules made under this Act shall be laid for fourteen days before each House of the State Legislature as soon as they are made, and shall be subject to such modification as the Legislature may make therein."

श्री कल्पनाथसिंह--
पहले आपने जितना अंग्रेजी में पढ़ा है सब का हिन्दी कर दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--
मैं उसका सबस्टैन्स बता देता हूं ।

श्री कल्पनाथसिंह--
लाइन बाई लाइन जब तक हिन्दी नहीं बतायेंगे और मैं समझ नहीं पाऊंगा तो मैं कहूंगा क्या ?

श्री उपाध्यक्ष--
हिन्दी में यह कि स्टेट गवर्नमेंट इस कानून के मुताबिक नियम बनायेगी और उन मामलों पर जिनमें रूल मेकिंग पावर गवर्नमेंट को दी गई है, वह सीधे दी गई है या इम्प्लीकेशन से दी गई है जो इस कानून का मलतब पूरा करने के लिये जैसी जरूरत होगी वह नियम बनायेगी ।

दूसरा यह है कि यह नियम जो बनाये गये चाहे वे एक एक जिला परिषद् के लिये हों या एक क्षेत्र समिति के लिये हों या सबके लिये बनाये जा सकते हैं और उनका प्रीवियस पब्लीकेशन होगा और जब तक गजट में पब्लिश नहीं हो जायंगे, फाइनल नहीं होंगे ।

तीसरा यह है कि जो सैंक्शन के मुताबिक रूल बनाये जायंगे वे दोनों हाउस के सामने रखे जायंगे १४ दिन तक और उनमें संशोधन करने का राइट होगा । यह पहले गजट में प्रकाशित हो चुके हैं । नोटीफिकेशन यह है कि "उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, (उ० प्र० अधिनियम संख्या ३३, १९६१) की धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (२) के साथ पठित अधिनियम की धारा २३७ के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं । यह नियमावली उक्त अधिनियम की धारा २३७ की उपधारा के अनुसार विज्ञप्ति संख्या २३६६/२३--३३--३६ आर० ६२, दिनांक ९ जनवरी, १९६३ के साथ...."

श्री नेकराम शर्मा--
मान्यवर, इनके पढ़ने की जरूरत नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--
पहले प्रकाशित हो चुके हैं और फाइनल हो रहे हैं ।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--
उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस विषय में क्यों आपत्ति उठाई जा रही है । एक सहूलियत आपने हाउस को यह दी कि जो नियम अभी गजट में छपे हैं और जिनके लिये यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति है तो वह ३ तारीख तक सरकार के पास अपनी आपत्ति पहुंचा सकता है। तो यह सदन भी यदि कोई सुझाव इन नियमों के सिलसिले में देना चाहता है तो आज वे सुझाव सदन रख सकता है, क्योंकि नियम बनाने का आखिरी अधिकार सरकार को दे रखा है और ३ तारीख तक जब तक आपत्तियां नहीं आ जायंगी तब तक सरकार ने जो नियम प्रकाशित किये हैं वे फाइनल नहीं होंगे । सदन को यह सहूलियत मिल रही है और उसके अन्तर्गत यदि सदन कोई परिवर्तन चाहता है या सुझाव रखना चाहता है जिसे कोई और व्यक्ति भी, जो गजट में नियम छपे हैं उनके बारे में सरकार के पास अपने विचार भेज सकता है तो यह सदन भी अपने सुझाव उन नियमों के संबंध में दे सकता है । जब वे नियम फाइनल हो जायंगे और सदन बैठेगा तो वे नियम १४ दिन तक सदन की मेज पर रखे जायंगे । वह स्थिति तब आयेगी । आज तो यदि सदन सहयोग देना चाहता है और अपने सुझाव देना चाहता है तो दे, उससे सरकार को सहूलियत मिलेगी और जो सरकार नियम बनायेगी उन सुझावों के अन्तर्गत बनायेगी और बाद में वह कार्यान्वित भी हो सकते हैं । उसके उपरान्त यदि सदन बैठा होगा तो १४ दिन तक सदन की मेज पर रखे जायंगे । इस समय तो सदन से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो नियम आपत्तियों के लिए गये हैं, गजट में प्रकाशित

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

हो गये हैं, उनमें वह सुझाव दें जिससे उन सुझावों का स्वागत करते हुए, जहां आवश्यक परिवर्तन करने की आवश्यकता है, सरकार उनमें परिवर्तन करने की दिशा में अधिक विचार कर सके ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो कन्फ्यूजन है वह मैं दूर कर दूं । दो सेट्स आफ रूल्स हैं उनमें से एक सेट का पब्लिकेशन हो चुका है । वह फाइनलाइज हो चुके । हाउस में रखे गये, उन पर अमेंडमेंट्स आये हैं । दूसरे सेट आफ रूल्स वह हैं जो गवर्नमेंट ने बनाये हैं, जो प्रोपोज्ड है और उनका पब्लीकेशन हो चुका है । ३ तारीख तक आब्जेक्शन्स मांगे हैं । जब वह फाइनलाइज हो जायंगे तो हाउस के सामने फिर आयेंगे । वह तो आज नहीं ले रहे हैं । वह तो जब फाइनलाइज हो जायंगे तब आयेंगे ।

श्री कृष्णपालसिंह--

तो खंड ३ से ९, जिनका यह संशोधन कर रहे हैं, उनको हटा दिया जाय ।

श्री कल्पनाथसिंह--

आपने कहा कि दो रूल्स हैं । एक अमेंडमेंट है । दूसरा अभी प्रस्तुत है । वह पब्लीकेशन सदन की मेज पर रखा नहीं गया । अगर सदन की मेज पर रखा गया हो, तो बतायें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कहा है कि गजट में प्रकाशित किया गया है, ३ तारीख तक सुझाव मांगे गये हैं, इस वक्त जो हाउस में संशोधन उपस्थित हैं उन पर हाउस अपनी राय दे । अब प्रश्न यह है कि एक तो उनका यह कहना है कि ३ तारीख तक जो संशोधन बाहर से आयेंगे और वह फिर गजट में प्रकाशित होंगे उस पर १४ दिन की मियाद मिलेगी विचार करने की, यहां पर हाउस में बहस करने के लिए, इस प्रकार से आप दो दो बार हाउस का समय ले रहे हैं विचार करवाने के लिए । मेरे खयाल से यह अनुपयुक्त है । यह बात सही है कि सरकार बाहर के लोगों की राय तथा यहां के लोगों की राय लेकर नियमावली निश्चित करना चाहती है । तो आज इस पर विचार बन्द होना चाहिए । तब ३ के बाद जो भी समय नियत हो, उस समय विचार होना चाहिए । इधर यह भी सुनने में आया है कि १४ तारीख से चुनाव की तारीख नियत होने वाली है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बिराजिये, आपकी बात मैंने सुन ली ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

अगर १४ तारीख से चुनाव की कार्यवाही शुरू हो तो ३ तारीख को गजट में प्रकाशित न हो । दोनों बातें साथ नहीं चल सकतीं । या अगर ३ तारीख को प्रकाशित करना है तो १४ तारीख को बढ़ाइये आगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

नियमावली का कायदा यह है कि कानून से आपने अधिकार दिया । उन्होंने नियम बनाये । पब्लिश कर दिया उनको फाइनलाइज कर दिया । उन पर जो अमेंडमेंट्स हैं और दूसरी बातों को आप कन्फ्यूज न कीजिये ।

श्री कल्पनाथसिंह--

यह हाउस के सामने क्यों नहीं रखते ?

श्री उपाध्यक्ष--

हाउस के सामने तो रखा गया है, १४ दिन से है उसके सामने ।

श्री कल्पनाथसिंह--

दूसरा कहां रखा गया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

दूसरा जब फाइनल हो जायगा तब आपके सामने आयेगा। (व्यवधान) वह गजट में प्रकाशित हो गया है, उस पर आब्जेक्शंस आ जायेंगे, उसके बाद फाइनल जब हो जायगा तब आपके सामने आयेगा। अब इस समय जो फाइनल है जिस पर अमेंडमेन्ट्स हैं, उस पर आप बहस कीजिये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

उपाध्यक्ष जी, मेरा दुर्भाग्य है कि वह कुर्सी, वह जगह ही कुछ ऐसी है कि जहां बैठकर कल्पनाथसिंह जी सही बात को सही तरह से समझने की चेष्टा नहीं करते। एक तो नियमों का वह सेट है जो गजट में छप गया। सरकार ने उसे फाइनल कर दिया और हाउस के सामने वह है, उसमें जो आपको संशोधन करना है वह आपके विचारार्थ प्रस्तुत है और एक सेट वह है जो नियम बनाये और गजट में प्रकाशित किये, ३ तारीख तक उसमें आपत्तियां मांगी गई हैं, उसमें जो आपत्तियां आयेंगी या यह सदन जो भी सुझाव देगा उन नियमों के विषय में उनके ऊपर विचार करके यह नियम फाइनल किये जायेंगे और फिर सदन के सामने पेश किये जायेंगे और १४ दिन तक उसके सामने रहेंगे। सदन उसमें कोई परिवर्तन करना चाहेगा तो उसे उसका अधिकार रहेगा। अभी तो पहले सेट के ऊपर आपने संशोधन दे रखा है जिन्हें कि सरकार ने मान रखा है और छाप दिया है। आप उन पर विचार करना चाहते हैं तो कृपया उन संशोधनों पर विचार कर लीजिये और उनको ले लीजिये। जो ३ तारीख के बाद बनेंगे वह तो फिर आपके सामने विचारार्थ आयेंगे और १४ दिन मेज पर रखने के बाद उन पर विचार हो सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, अब साफ हो गया। अब चलते चलिये। पांचवें नम्बर को आप मूव करना चाहते हैं या नहीं ?

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, मंत्री जी अगर एक चीज का स्पष्टीकरण कर दें कि वह प्रमुख को और बी० डी० ओ० को सहायक निर्वाचन अधिकारी नहीं बनायेंगे, तो मैं उसको वापस लेता हूं।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, मैंने आपसे निवेदन किया कि रिटर्निंग आफिसर जो हमारा जिले का एलेक्शन आफिसर होगा, उसको बनायेंगे। यह बात सही है कि उसके नीचे सहायक रिटर्निंग आफिसर होंगे। लेकिन वह ऐसे लोग होंगे जो ब्लाक अधिकारी से ऊंचे अधिकारी होंगे। ब्लाक अधिकारी को हम उसमें इसलिये नहीं रख रहे हैं कि हो सकता है कि चुनाव में वह किसी दबाव में पड़ जाय। इसलिये उससे ऊंचे, एस० डी० ओ० या इंजीनियर आदि ऐसे लोग होंगे।

श्री कल्पनाथसिंह—

तो मैं इसको मूव नहीं करता हूं।

श्री माधोनारायण मुद्गल—

मैं भी पेश नहीं करता हूं।

नियम ६

श्री कल्पनाथसिंह—

समय बचाने के लिये श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि मंत्री जी यह कह रहे हैं कि ९ तक वह कुछ संशोधन कर रहे हैं, तो छठें के संबंध में वह बता दें कि उनकी क्या राय है तब उसे पेश न करूं।

श्री बंशीधर पांडेय—

इसमें १४ फरवरी वाले नियम में आप देखेंगे कि छठवां हमारा है गणपूर्ति का और उसकी जगह अब हम रखने वाले हैं नाम निर्देशन और परीक्षण का। तो वह तो पूरा क्रम बदल गया।

श्री कल्पनाथ सिंह---
यानी उसे निकाल दिया ?

श्री बंशीधर पांडेय---
उसको कन्फ्यूज न कीजिये । मैं बता रहा हूं छठें के स्थान पर नाम-निर्देशन और उनका परीक्षण यह रख रहे हैं । नाम-निर्देशन और परीक्षण के समय प्रस्तावक तथा उसका अनुमोदक उपस्थित रह सकता है । (व्यवधान) यह गणपूर्ति वाला निकाल कर के छठें की जगह पर रहेगा, नाम-निर्देशन और परीक्षण ।

श्री कल्पनाथसिंह---
क्या जो संशोधित नामावली होगी उसमें निर्वाचन के लिये गणपूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं होगी ?

श्री बंशीधर पांडेय---
देखिये, आप कन्फ्यूज न करें । जिस तरह से हम क्लाज वाइज चल रहे हैं उसी की जगह यह होगा ।

श्री उपाध्यक्ष---
उनका मतलब यह है कि जब बैठक नहीं होगी तो गणपूर्ति की बात ही नहीं होगी ।

श्री कल्पनाथसिंह---
अच्छा, तो मैं इसको पेश नहीं करता हूं ।

नियम ७

श्री उपाध्यक्ष---
यह भी उसी तरह का है ।

श्री बंशीधर पांडेय---
नियम ७ में नाम निर्देशन की बात है । हमारा ७ यह होगा "वैध नाम निर्देशन की सूची" पहले आपने नाम निर्देशन रखा है कि कैसे होगा । बैठक प्रारम्भ होने पर प्रमुख बहुत से सदस्यों के नाम आमन्त्रित करेगा । जब पहले यह होगा तभी वह वैध नामों की सूची का निर्देशन करेगा ।

श्री कल्पनाथसिंह---
मैं इसको मूव नहीं करता हूं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---
कल्पनाथसिंह जी अपने संशोधन पेश नहीं कर रहे हैं । माननीय मंत्री जी कुछ आश्वासन दे रहे हैं, तो वे आश्वासन के रूप में हैं या कोई संशोधन सदन के सामने है ?

श्री उपाध्यक्ष---
वह सदन के सामने नहीं रख रहे हैं । असल में यह चीज है कि वह तो पब्लिश हो चुके हैं फार आब्जेक्शन । कायदे की कार्यवाही चल रही है, लेकिन यह गवर्नमेंट की तरफ से आश्वासन है कि जो आपकी मन्शा है वह पूरी हो जायगी ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---
यह आश्वासन है ?

श्री उपाध्यक्ष---
जी हां ।

नियम ११

श्री कल्पनार्थसिंह—

मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि नियम ११ निकालकर निम्न प्रकार से लिखा जाय :

"नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक क्षेत्र के लिये मत-पत्रों की व्यवस्था करेगा। ये मत-पत्र उसी प्रकार के होंगे जैसे सभापतियों के पिछले निर्वाचन में काम में लाये गये थे।"

श्री बंशीधर पांडेय—

दरअसल हमें इसको स्वीकार करने में कठिनाई है। हमारा ११ यह है कि प्रत्येक सदस्य जो मत देना चाहे, उसे मतपत्र दिया जायगा जिसपर एक तरफ क्रमसंख्या, मुहर या प्रमुख के हस्ताक्षर होंगे। इसमें से 'प्रमुख' को निकाल कर यह किया कि 'निर्वाचन अधिकारी, या सहायक निर्वाचन अधिकारी'। इससे सारा मामला हल हो जायगा। यह कहना कि वे मतपत्र जो सभापति के चुनाव में प्रयोग में आये, यह ठीक नहीं। वह सभापति के चुनाव की दूसरी प्रणाली थी। सभापति के चुनाव में उनके सिम्बल थे। आप अब इसमें देखेंगे कि प्रमुख को हटा दिया गया है और इसलिये इसमें परिवर्तन किया गया है कि इसमें चुनाव नाम लेख करके किया गया है तो वह सीक्रेट बैलट से हो जायगा। इसलिये उसमें सभापति जैसी चुनाव पद्धति को अपनाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने कहा कि मूल नियम में से "प्रमुख" शब्द निकाल दिया जायगा और उसकी जगह पर 'निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी' रख दिया जायगा। और वह निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी अपनी मुहर लगाकर या दस्तखत करके मत पत्र मतदाता को देंगे। श्रीमन्, इसमें बड़े कन्फ्यूजन होने की गुंजायश है। यह सरकार बार-बार नियमों को बदलती है वोट के बारे में। इसमें वह सभापति वोट देने वाले हैं या वह वोटर वोट देनेवाले हैं जो गांव सभा के वोट में एक निश्चित प्रणाली से जीत कर आये हुये हैं और जिनको उस प्रणाली का ज्ञान है। ऐसे भी सभापति हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते और अंगूठे का निशान लगाते हैं। उनका वोट कोई दूसरा देता है। उनको सुविधा तब होती है जब मतपत्र पर उनके उम्मीदवार का नाम या निशान दोनों रहता। मैंने तो यह कहा है कि महज निशान रहे ताकि वह उस पर मुहर लगाकर अपने मन चाहे व्यक्ति को वोट दे सकें। इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत होगी वह यह कि निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी किसी व्यक्ति को यदि जिताना चाहेगा तो हैं कितने ही मतपत्रों पर हस्ताक्षर करके किसी भी मत-पत्र को बदल देंगे। इसकी कोई गारेंटी नहीं है कि वह ऐसा नहीं करेगा। श्रीमन्, यह बहुत बड़ा लूपहोल सरकार ने रखा है। यह नया चुनाव सिस्टम है। पिछले चुनाव में क्रास सिस्टम को स्वीकार किया गया था।

मैं आपके द्वारा इस सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि क्रास सिस्टम लाकर सरकार ने एकल संक्रमणीय मताधिकार का प्रयोग किया। आपने यह इसलिये किया कि आप अपनी पार्टी के आदमी को सेकेन्ड प्रिफरेंस ही मांग कर हारते हुये अपने उम्मेदवार को जिता लेंगे। यह आपने किया था। यह नाटक उस बार रचा गया। इस बार जब आपके उस नाटक की कलई खुल गई तो आपने कह दिया कि अब नयी परम्परा कायम होगी। इसमें निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी जिसके खिलाफ तमाम लोगों ने कोशिशें की होंगी उसी के दस्तखत से मतपत्र बनेगा, जब चाहे वह मतपत्र बदल ले या रिप्लेस कर दे या बिगाड़ दें, यह सारे अधिकार उसको प्राप्त होंगे। ऐसी दशा में यह बहुत ही कठिन है क्योंकि इनमें निर्वाचन की गोपनीयता और निष्पक्षता कहां रह सकेगी, इसमें बहुत बड़ा शुबहा होता है और मैं इन त्रुटियों के आधार पर यह कहना चाहता हूं कि आपकी ही जो पिछली पद्धति है उसको

[श्री कल्पनाथसिंह]

जब मैं कहता हूं तो आप उसका विरोध क्यों करते हैं ? श्रीमन, मैं आपके द्वारा इस सरकार से और इस सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अगर यह सरकार इस संशोधन को नहीं मानती है तो इस सदन के सम्मानित सदस्य इस सरकार से इस संशोधन को मनवायें और सरकार का जो मूल प्रस्ताव है उसको गिरा दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

जल्दी बोलकर शीघ्र समाप्त करें ।

श्री रक्षपालसिंह---

श्रीमन्, माननीय कल्पनाथसिंह जी ने जो संशोधन रखा है, यह बहुत ही मौलिक है और जो माननीय पांडेय जी की पंचखम्भा वाली बात है, उससे वह बहुत ही तालमेल रखता है । जिस प्रकार से लोकसभा और विधान सभा के चुनाव में चिन्ह और मतपत्र का प्रयोग होता है, उसी प्रकार से गांव सभा के चुनाव में भी उसी का प्रयोग होना चाहिये । यह बीच में एक नया तरीका निकाल दिया गया । जिस प्रकार से ब्लाक प्रमुख के चुनाव में गड़बड़ होने की संभावना थी, उसे मानते हुये ही माननीय पांडेय जी की संशोधन वाली बात है । उसकी उसमें अधिक गुंजायश है । जो संबंधित अधिकारी हैं, वह अनपढ़ और अन्धे लोगों से, जिस प्रकार से वोट दिलायेंगे, यह उचित नहीं है । माननीय कल्पनाथ जी के आधार पर उनको अनपढ़ लोगों को खुद निशान लगाने का अधिकार प्राप्त होना चाहिये । हजारों लोगों को निशान लगाने का अधिकार प्राप्त है । ऐसा हो सकता है कि रिटर्निंग आफिसर समय का दुरुपयोग करें । ऐसी गुंजायश उसको नहीं रहनी चाहिये । इसलिये माननीय मंत्री महोदय को इसको मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । मैं निवेदन करता हूं कि इस संशोधन को जरूर पास करें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सभासचिव बंशीधर पांडेय जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि वह माननीय कल्पनाथसिंह जी के संशोधन को स्वीकार कर लें । उन्होंने पिछली नियमावली में भी बहुत से संशोधन करके इधर के बैठने वालों की मंशाओं को पूर्ण किया है । यह बहुत ही आवश्यक है कि चुनाव गोपनीय हो और किसी के दिल में शुबह न हो कि उसको वोट नहीं मिला । इसलिये मेरा अनुरोध है कि उम्मीदवारों का चुनाव निशान लगाकर या मोहर द्वारा कराया जाय । मैं तो प्रमुखों के चुनाव में उपस्थित था । मैंने देखा कि प्रिजाइडिंग अफसर ने जिसको चाहा, उसको वोट मिला । इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि आपके प्रदेश में कितने ऐसे प्रधान हैं, जो कि पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं । अब वह अपना वोट किसी दूसरे को देना चाहते हैं, और प्रिजाइडिंग अफसर किसी दूसरे को दे, तो फिर उसकी आपके सामने क्या सफाई रह जायगी कि वह उचित मतदान हुआ । प्रधानों के चुनाव में आपने निशान बनाया था, उनके ऊपर आप जिला विकास परिषद् की स्थापना करते हैं, जिसके ऊपर बहुत से अरमान होते हैं, तो ऐसे लोगों को आप अवसर दें कि वह निष्पक्ष चुनाव न कर सकें । तो यह बात कहां तक उचित है ? आप जिले का शासन बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० के सुपुर्द करना चाहते हैं, और अधिकार बढ़ाना चाहते हैं, उस पर आपको पुनः विचार करना चाहिये । यदि जैसा आप चाहते हैं, ऐसा हुआ तो उसके परिमार्जन के लिये आपके पास कोई स्थान नहीं रह जायगा । उसमें आप देखें कि पैसा मामूली खर्च होगा जितना प्रधानों के चुनाव में खर्च होता है । बल्कि उससे कम ही होगा । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि निशान, या मोहर को ही मानिये । यदि आप ऐसा नहीं मानते हैं, तो उससे बेइमानी होगी और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकेगा । निष्पक्ष चुनाव को रखने के लिये यह आवश्यक है कि माननीय कल्पनाथसिंह जी के संशोधन को आप स्वीकार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब काफी बहस हो चुकी है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, इस समय जो माननीय कल्पनार्थसिंह जी ने संशोधन रखा है, वह चुनाव के २ ढंगों के बारे में है । एक प्रधान का और दूसरा जिला परिषद् के होने वाले मेम्बरों के सिलसिले में । मेरा इसमें कहना यह है कि हमें दोनों ही तरीकों का तजुर्बा है और अगर पांडेय जी गौर करें तो प्रधानों वाला तरीका ज्यादा कामयाब था बमुकाबले प्रमुखों वाले के । क्योंकि जबतक वोट देने वाला वोट देने के तरीके से वाकिफ न हों तो उसके वोट का सही इस्तेमाल नहीं होता । इसमें होंगे कोआप्टेड मेम्बर्स, शेड्यूल्ड कास्ट्स और लेडीज और प्रधान । इसमें बहुत सा तबका ऐसा होगा जो बिना पढ़ा-लिखा होगा और यह नहीं जानता होगा कि इन-डायरेक्ट इलेक्शन का कैलकुलेशन कैसे होता है । तो जिस तरह से प्रधानों के चुनाव का सिस्टम था कि अलफैबेटिकली नामों के सिम्बल्स रखे थे छत्तरी, लालटेन वगैरह उसी तरीके से प्राविंशियल लेबल पर आप बैलट पेपर्स छपवा सकते हैं, नामों को छपवाने की आवश्यकता नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिये इस संशोधन को जरूर मान लिया जाय ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष --

देखिये, आधा घंटा था इसके लिये, हाउस का रेजोल्यूशन था । अब कोई इसमें प्वाइंट नहीं रह गया ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

सिर्फ आधा मिनट चाहिये । पिछले प्रमुख के चुनाव में कुछ ऐसी हरकत की गयी जिससे गुप्त मतदान का मखौल सा रह गया । जिनके आंखें होती थीं, जो इनवैलिड नहीं कहे जाते थे वह कहते थे कि हम तो देख नहीं पा रहे हैं, निशान लगा दिया जाय । तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस किस्म के लोगों के निशान रिटर्निंग आफिसर न लगाकर उनके साथ एक सहमतदाता जाय जो चाहे रिश्तेदार हो कोई हो, वह साथ ले जाय और उसके कहने पर वह निशान लगा दे ।

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, माननीय कल्पनार्थसिंह ने जोर दिया कि चुनाव गांव सभापतियों के चुनाव की भांति हों बैलट पेपर पर उनके नाम और चिन्ह रहते थे । (सावधान--नाम नहीं थे) खैर, चिन्ह थे । उत्तर प्रदेश का औसत देखा जाय तो हजार हजार पर आये हैं । उनके चुनाव में ४-५ फीसदी लोगों ने रिटर्निंग आफिसर से क्रास करने की मांग की थी, मेरे पास उसका रिकार्ड है, उन्होंने यह कहा कि मेरा प्रिफरेंस लिखा जाय या ४-५ फीसदी ऐसे थे जिसमें कोई गलती हो गयी और यह जो कहा कि उसके साथ जाकर दूसरा निशान लगा दे इस प्रकार की प्रणाली पर ला डिपार्टमेंट ने और इलेक्शन कमीशन ने एतराज किया कि इस तरह से चुनाव की सीक्रेसी नष्ट होती है । इसलिये वहां रिटर्निंग आफिसर तो है ही, वह जिम्मेदार आदमी है । विधान सभा और पार्लियामेंट में वही चुनाव कंडक्ट कराते हैं और वह हमारे विश्वास का पात्र है । वह इन चुनावों में कैसे बेईमानी करेगा ? और कैसे सीक्रेसी नष्ट होगी ? सीक्रेसी तो इसी में मेंटन रह सकती है । वह जायेगा और जहां वोट डालना चाहेगा, उस बक्से में अपना वोट डाल देगा । इलैक्शन कमीशन की राय में भी आप जैसा चाहते हैं वैसा करना उचित नहीं है और उससे सीक्रेसी नष्ट होती है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय कल्पनार्थसिंह अपने संशोधन को वापस ले लें ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं यह कहना चाहता हूं श्रीमन, कि यह निशान वाली बात ज्यादा मुनासिब है। मंत्री जी ने अभी कहा कि इससे वोट की सीक्रेसी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में यह देखा गया कि ऐसे लोगों का प्रतिशत ४ या ५ रहा होगा। मैं कहता हूं कि आप यह भी देखें कि वह वोट कितने पड़े। अगर ८० में १० ऐसे कैसेज निकले तो कितना प्रतिशत होगा? इसलिये इस पर माननीय मंत्री जी पुनः विचार करें। मैं समझता हूं कि उनके लिये बैलेट पेपर छपवाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इससे आपकी मर्यादा भी बढ़ेगी और पंचायत राज्य की इस प्रदेश में आस्था भी बढ़ेगी। आप उन शब्दों को देखें--इसमें लिखा है--प्रत्येक सदस्य को जो मत देना चाहे, मत-पत्र दिया जायेगा जिस पर एक तरफ क्रम संख्या और मोहर या प्रमुख के हस्ताक्षर होंगे। अब उसकी जगह निशान हो। सवाल इतना है। जो बैलेट पेपर बनेगा वह वहीं एक ताव पेपर मंगाकर, सहायक अधिकारी या जो भी अधिकारी होगा वह उसमें क्रम संख्या लिखा देगा या मोहर लगा देगा और जो बैलेट पेपर इकट्ठा होंगे उसमें अगर निरहू को वोट देने के बाद बैलेट पेपर बदल कर कुरहू लिख दिया जाय तो इसकी पकड़ क्या है? और वोटर कहेगा मैंने फलां का वोट दिया था, आपने किसको लिख दिया, तो परेशानी होगी।

श्री उपाध्यक्ष--

यह ठीक नहीं है, इसके लिये आधा घंटे का समय नियत था, आप स्पीच दे रहे हैं, इतना समय नहीं लेना चाहिये।

श्री कल्पनाथ सिंह--

श्रीमन् यह निश्चित है कि जो सहायक निर्वाचन अधिकारी होगा, या जो भी अधिकारी वहां नियुक्त होगा वह इसमें गड़बड़ी कर सकेगा और अगर सहायक निर्वाचन अधिकारी के मन चाहे को वोट देने के लिये हस्ताक्षर नहीं किया गया है तो वह हटा देगा और उसकी जगह दूसरा बैलेट पेपर रख दिया जायेगा। फिर यह कहा जायेगा कि इस पर किसी वोटर का नाम नहीं लिखा है, यह नहीं मालूम होता कि किसने किसको वोट दिया, एक की जगह दूसरा बैलेट पेपर रिप्लेस किया जायगा, इसकी पूरी गुंजायश इस नियम के अन्तर्गत है। माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी यहां बैठे हैं, उन्होंने हमारी बात को सुना होगा, मैं चाहता हूं कि हमारा यह जो शुबहा है उसको दूर किया जाय। माननीय पंचायत राज मंत्री इस सवाल को मुख्य मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी से सलाह करने के बाद इसका उत्तर दें, इसके बाद हम इस पर विचार करने के लिये तैयार होंगे।

श्री बंशीधर पांडेय--

माननीय कल्पनाथ जी ने, मुझे पूरा विश्वास है, इनको अवश्य पढ़ा होगा। इन पत्रों को बदलने का मौका ही कब है? वहां पर उनके एजेन्ट सामने ही होंगे और बैलेट बाक्स भी उन्हीं के सामने जलेगा। १६ में यह दिया हुआ है कि मतदान समाप्त होने के पश्चात् तुरन्त मतों की गणना शुरू हो जायगी। फिर बैलेट पेपर बदलने के लिये वह किस प्रकार से ले जायगा?

श्री कल्पनाथ सिंह--

वह ले जायगा। सहायक निर्वाचन अधिकारी, बेलेट पेपर अधिकारी के पास के भेज देता है।

श्री बंशीधर पांडेय--

यह तो आपने कहा ही कि मतों की गणना वहां होगी और गणना के तुरन्त बाद बेलेट पेपर्स रिटर्निंग आफीसर के पास चले जायेंगे और घोषणा वहीं से होगी।

श्री कल्पनाथ सिंह--

लेकिन सहायक निर्वाचन अधिकारी कहेगा कि एक हजार आदमी मेरी जान मारने पर उतारू हैं और वह बैलेट पेपर लेकर भाग जायगा।

श्री बंशीधर पांडेय--

सहायक अधिकारी तो बड़ा आफीसर होता है। गांव पंचायत के अधिकारियों की भी इस प्रकार की शिकायतें नहीं आतीं। नीयत पर अगर संदेह करेंगे तो कैसे काम चलेगा? जहां तक सिम्बल की बात है, प्रमुख के चुनाव में आपने प्रिफरेंस की पद्धति को अपनाया है। निशान लगाने का ज्यादा अच्छा तरीका है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि नियम ११ निकाल कर निम्न प्रकार लिखा जाय--

"नाम निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक क्षेत्र के लिये मत पत्रों को व्यवस्था करेगा। ये मत-पत्र उसी प्रकार के होंगे जैसे सभापतियों के पिछले निर्वाचन में काम में लाये गये थे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--५१,

विपक्ष में--९७।)

नियम २२

श्री रक्षपालसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि बी०डी०ओ० सहायक निर्वाचन अधिकारी नहीं होगा, फिर भी मैं प्रस्ताव करता हूं कि 'निर्वाचन अधिकारी कोई भी गजटेड अफिसर होगा, प्रतिबन्ध यह कि वह जिले के अन्दर के क्षेत्र विकास अधिकारी नहीं होगा।'

श्रीमन्, यह बिलकुल स्पष्ट है कि अगर चुनाव होता है तो जिले के अन्तर्गत जितने विकास अधिकारी होते हैं वे एक दूसरे से संबंध रखते हैं और वे चुनाव को प्रभावित करने के लिये जिन व्यक्तियों से संबंधित होते हैं, उनके पक्ष में वोट कराने के लिये दूसरे बी०डी०ओज० को कह सकते हैं। तो इस तरह से जो चुनाव अधिकारी नियुक्त किये जायं वे बी०डी०ओ० न हों और इसके अतिरिक्त किसी अन्य जिले के अन्य गजटेड अधिकारी को नियुक्त किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। यह एक छोटा सा संशोधन है और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री बंशीधर पांडेय--

उपाध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय रक्षपालसिंह जी ने कहा, मैंने पहले ही निवेदन किया कि बी०डी०ओ० गजटेड अधिकारी हैं, लेकिन फिर भी सरकार इस बात का प्रबन्ध कर रही है कि उनको सहायक चुनाव अधिकारी न बनाया जाय और जिले के दूसरे गजटेड आफिसरों में से ही असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय रक्षपालसिंह जी, क्या आप अपने संशोधन को वापस ले रहे हैं?

श्री रक्षपालसिंह--

जी हां, माननीय मंत्री जी के आश्वासन के बाद अपने संशोधन को मैं वासप लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

नियम २-२१

श्री रक्षपालसिंह--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि--

(१) नियम २ से २१ निकाल दिये जायं तथा उनके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

(२) सनस्यों का निर्वाचन पंचायतराज विभाग की विज्ञप्ति संख्या २१७०/(एए) ३३-१९-आर-१९६१, दिनांक लखनऊ, १३ जून, १९६२, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुख उप प्रमुख के चुनाव के विवादों के निपटारे) रूल्स, १९६२,

[श्री रक्षपालसिंह]

के अनुसार होगा तथा उन नियमों में जहां-जहां "क्षेत्र प्रमुख या उप प्रमुख" शब्द प्रयोग हुआ है वहां "क्षेत्र समिति का सदस्य" रखा समझा जायगा ।

(२) नियमावली के नाम से "(क्षेत्र समिति के सदस्यों को चुनने)" के स्थान पर "(क्षेत्र समिति को चुनने व विवादों के निपटारे)" रख दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया कई बातें आई लेकिन एक बात का उल्लेख नहीं था सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट का । ब्लाक प्रमुख के चुनाव के लिये जो संशोधन रखा था या जनरल जो नियम आलरेडी बना रखे हैं उनमे थोड़ा-सा संशोधन इस बात का होता कि बी० डी० ओ० रिटर्निंग आफिसर नहीं होगा और सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट से चुनाव होगा । वह नियम मान लिया जाता । सरकार ने २० प्रकार के चुनाव करने के लिये २० प्रकार के नियम बनाये हैं, लेकिन सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वाली सिस्टम की बात नहीं आई । मंत्री जी ने इस बात का प्राविधान किया हो, तो इसको प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

अगर पहला संशोधन पास होता है तो शीर्षक वाले संशोधन की आवश्यकता पड़ती है और अगर पहला संशोधन गिर जाता है तो फिर वह अपने आप ही खत्म हो जाता है ।

श्री बंशीधर पांडेय---

हमारे इस ऐक्ट में जहां जिला परिषद् आया है उसमें जहां "सीक्रेट बैलट" "प्रमुख" आदि का जिक्र आया है वह सब जगह नहीं हो सकता । अब हमारी विधान सभा, लोक सभा का चुनाव होता है उसमें सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट के जरिये सदस्यों के चुनाव का प्राविधान नहीं है । इसलिये इसे मैं अस्वीकार करता हूं ।

श्री रक्षपालसिंह---

कई चुनाव में एक सिंगिल और दूसरा प्रिफरेंस इस्तेमाल किया है । इसलिये मंत्री महोदय इसको मानते हैं और ब्लाक प्रमुख के चुनाव में ऐसा किया भी है । केवल काउंटिंग में समय लगने का प्रश्न है या कुछ बैलट लिखे जाने का प्रश्न है ।

श्री बंशीधर पांडेय---

जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें ३ जिलों को छोड़ कर सब जगह सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट के सिस्टम में कठिनाई है । तीन जिलों में जहां सदस्यों की संख्या दो हो जाय और दो सदस्यों को चुनना है तो सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट से चुनाव हो तो एक एक आदमी को क्या दो बार फर्स्ट प्रिफरेंस और दो बार सेकेंड प्रिफरेंस दिया जायगा ? इसमें बड़ी दिक्कत होगी ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि नियम २ से २१ निकाल दिये जायं तथा उनके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

(२) सदस्यों का निर्वाचन पंचायतराज विभाग की विज्ञप्ति संख्या २१७०/(एए) ३३--१९---आर--१९६१, दिनांक, लखनऊ १३ जून, १९६२, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुख उप-प्रमुख के चुनाव के विवादों के निपटारे) रूल्स, १९६२, के अनुसार होगा तथा उन नियमों में जहां जहां "क्षेत्र प्रमुख या उप-प्रमुख" शब्द प्रयोग हुआ है वहां "क्षेत्र समिति का सदस्य" रखा समझा जायगा ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि नियमावली के नाम से "(क्षेत्र समिति के सदस्यों को चुनने)" के स्थान पर "(क्षेत्र समिति को चुनने व विवादों के निपटारे)" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर विधेयक, १९६३ (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष--
अब हम बिल लेंगे ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--
फाइनैन्शल मेमोरेंडम तैयार करा लिया है मैंने । उसको साइक्लोस्टाइल करा रहा हूं । थोड़ी देर में उसको पेश कर दूंगा तब तक इस पर विचार शुरू हो ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--
पहली बात तो यह सही है कि वह मेमोरंडम हमारे सामने आ जाय तब हम इस पर विचार करें । दूसरी बात यह है कि हमारा इतना समय लग चुका है न तैयारी के कारण । इससे हमारा तात्पर्य यह है कि इतना समय हमें दूसरे दिन दिया जाय, नहीं तो आज ही सब समाप्त कर दिया जायगा । जिसका नतीजा यह होगा कि जो कुछ हमने प्रयास किया, वह सब व्यर्थ हो जायगा । इसलिये जो दिन आप आज्ञा दें.....

श्री उपाध्यक्ष--
ऐसा कर लीजिये कि आज हम लोग एक घंटे के करीब और बैठ जायं । (नहीं, नहीं की आवाजें) ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--
समय बढ़ा दीजिये, तब तक फाइनैन्शल मेमोरेंडम आ जायगा और अमेंडमेंट्स पर विचार कर लिया जायगा । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--
तो यही है कि जितना समय आज नष्ट हुआ है उतना समय पहली तारीख को मिल जायगा ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--
पहली तारीख को समय मिल जायगा, यह बड़े संतोष की बात है लेकिन आज पहले वह मेमोरेंडम तो हमको मिल जाय जिसके आधार पर हम कुछ कहें ।

श्री उपाध्यक्ष--
देखिये, आपकी बात तो मैंने मान ली, अब आप इसे चलने दीजिये ।

श्री कृष्णपालसिंह--
अगर मंत्री महोदय फाइनेन्शल स्टेटमेंट को हम लोगों को बांट नहीं सकते, तो उसको पढ़ दें तब भी कोई विचार हो सकता है ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--
वह तो साइक्लोस्टाइल हो रहा है, मैं यहां मंगा कर पढ़ दूंगा ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--
मेरा एक टेक्निकल आब्जेक्शन है । जिस काम के लिये मैंने आग्रह किया कि यह नियम के विरुद्ध है और अब मैं वही कर बैठूं ।

श्री उपाध्यक्ष--
यह तो तय हो गया कि मेमोरेंडम आ रहा है, आप सुना देंगे ।

श्री नेकराम शर्मा--
यह आप क्या कह रहे हैं ? आखिर नियमों का कुछ तो ध्यान रखिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

श्रीमन्, १२ बजे के बाद २ बजे तक आपने हाउस को इसलिये स्थगित कर दिया था कि जब तक मेमोरेंडम नहीं आ जायगा, बहस नहीं होगी। आपका वह आदेश अभी उसी जगह पर है। इसलिये जब तक वह पूरा नहीं हो जाता है तब तक एक अक्षर भी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यही कारण है कि सदन में अव्यवस्था उत्पन्न होती है जब नियमों में ढिलाई की जाती है। इसलिये आप नियमों में किसी के साथ मुरव्वत न कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

मुरव्वत करने की कोई बात नहीं है।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि नियमों मे यह नहीं लिखा है कि यदि फाइनेंशियल मैमोरेंडम न हो तो बिल पर विचार न किया जाय, इसलिये इस पर विचार शुरू किया जाय। थोड़ी देर में वह आपके सामने आ जायगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

श्रीमन्, इस बारे में आपका निर्णय हो चुका है।

कुंवर श्रीपालसिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, रूलिंग के विरुद्ध मंत्री जी कह रहे हैं, तो क्या कहा जाय ?

श्री उपाध्यक्ष---

मंत्री जी आप उसको मंगवा दीजिये।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, जब तक मेमोरेंडम नहीं आयेगा तब तक मैं कुछ नहीं कहूंगा।

नवनियोजित संयुक्त समाजवादी दल में सम्मिलित होने वाले सदस्यों के नामों के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

एक घोषणा सुन लीजिये तब तक। निम्नांकित सदस्य संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य हैं तथा वे इसे दल के सदस्य के रूप में अनुशासन में रहकर काम करेंगे। एक नाम माननीय तेजभानसिंह का है। सुबह जो कहा गया था उसमें दो नामों का रिपीटीशन हो गया है। एक माननीय नत्थूसिंह और दूसरे भीमाप्रसाद जी का नाम है। ये दो नाम कम हो गये हैं और अब सब मिलाकर ३७ सदस्य हो गये हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, आपने ब्रजवानसिंह जी का नाम नहीं जोड़ा है उनको मिलाकर ३८ हो जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

उनको मिलाकर ३७ हैं।

उत्तर प्रदेश वृहत् जोत कर विधेयक, १९६३ (क्रमागत)

कुंवर श्रीपालसिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, हम किस लिये बैठे हैं, कोई काम तो है नहीं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

फाइनेंशियल मेमोरेंडम के बगैर विचार होना नियम में मना लिखा है।

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी, मैंने उसको जरूरी समझा था और वह जरूरी है, उसे मंगवा लीजिये। कब तब आ जायगा ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

अभी थोड़ी देर में आ जायगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह---

श्रीमन्, आज खत्म कीजिये, उनके पास नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, हम लोग पहली तारीख को मिलेंगे, अब कोई काम नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

जैसा नेकराम जी ने कहा है, अब आज्ञा दीजिये ।

कुंवर श्रीपालसिंह---

श्रीमन्, किस नियम के अनुसार बिना काम के हम यहां बैठे हैं ?

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)---

हाउस में कोई काम नहीं है तो क्या हम बैठ सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

अच्छा, तो ऐसा करते हैं, दस मिनट के लिये स्थगित करते हैं। दस मिनट के बाद फिर बैठेंगे ।

(इस समय ४ बजकर २५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और ४ बज कर ३५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय क सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री महोदय, वह ज्ञापन आया है या नहीं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

वह ज्ञापन आ गया है और वह इस प्रकार है कि जो खर्चा..... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

उसको वितरित करा दीजिये ।

कई सदस्य---

हम लोगों को उसकी नकल मिल जाय.... (शोर)

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। आपकी आज्ञा हो गई तो पहले यह वितरित करा दिया जाय। आपकी आज्ञा का पालन होना चाहिये ।

श्री बंशीधर पांडेय---

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी राजा कृष्णपालसिंह जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि अगर उसकी प्रतियां साइक्लोस्टाइल नहीं हो पायी हैं, तो मंत्री महोदय के पास जो है उसको वह पढ़कर सुना दें.....(शोर)

श्री अधिष्ठाता---

कृपया बहुत से सदस्य एक साथ खड़े होकर बात न करें, तो ज्यादा अच्छा हो ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके जरिये से नम्रतापूर्वक माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यदि वे आज इस विधेयक पर विचार विनिमय करना चाहते हैं और जो कमी उनके हिसाब से रह गई थी और जिस कमी को माननीय मंत्री जी इस समय पूरी कर रहे हैं, तो उसके बाद मेरी उनसे आपके द्वारा यह करबद्ध प्रार्थना होगी कि वे उस विधेयक पर विचार करें और जो कि बिजनेस कमेटी ने जिस तरह से तय किया था उसके हिसाब से उस विधेयक पर विचार करते हुए उसे समाप्त करने की चेष्टा करें।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कहा उससे मेरा मतभेद नहीं है कि जो ऐडवाइजरी कमेटी ने कहा उसको मान लेना चाहिये, लेकिन उसमें हमारा क्या दोष है? हम लोगों ने अपनी तरफ से कोई अड़चन तो पैदा नहीं की। अब आज पहले उपाध्यक्ष महोदय की आज्ञा हो गई कि ज्ञापन हमें मिल जाय, उसका भी पालन नहीं हुआ, उसके बाद श्रीमन् की भी आज्ञा हो गई, उसका भी पालन नहीं हुआ। और हम तो यह भी कहते हैं कि इतने महत्व का यह बिल है कि जब हम उसकी डेफिश्यैंसीज बतायेंगे, तो आप समझेंगे। तो इतने महत्व का बिल अगर आज न होकर मन्डे को हो जायगा तो उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। केवल एक दिन का समय हम लोग चाहते हैं ताकि अपनी बुद्धि के मुताबिक सहायता सरकार को हम दे सकें। अब आज बहुत थोड़ा-सा समय रह गया है। उस दिन आप चाहें तो आठ बजे तक भी समय बढ़ाकर हम इसके ऊपर विचार कर लेंगे और इसे एक दिन में पारित कर लेंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

यदि सदन के सदस्यों की ऐसी इच्छा है तो अधिष्ठाता महोदय, सदस्यों की इच्छा की पूर्ति कीजिये और आज उठिए।

श्री अधिष्ठाता--

जैसा कि अभी मुख्य मंत्री जी ने बताया और नियमों के अन्तर्गत भी है कि प्रत्येक ऐसे विधेयक के साथ वह ज्ञापन होना चाहिये और चूंकि इस समय माननीय मंत्री जी उसे देने में असमर्थ हैं, लिहाजा अब हम लोग सोमवार के साढ़े दस बजे तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ३८ मिनट पर सोमवार, १ अप्रैल, १९६३ के १० १/२ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२९ मार्च, १९६३।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४४ पर]

जिला		एच०टी०सी० आवेदन पत्रों की संख्या	ए०टी०सी० दीक्षा हेतु मनोनीतों की संख्या	जे०टी०सी० आवेदन पत्रों की संख्या	जे०टी०सी० दीक्षा मनोनीतों की संख्या
१		२	३	४	५
गोरखपुर	..	१३३	६५	७५	५
आजमगढ़	..	५०१	८६	१३८	६
मिर्जापुर	..	१८३	९७	२३	४
देवरिया	..	१७९	७९	४४	५
वाराणसी	..	३३५	१४०	७२	८
बलिया	..	३४९	५२	३६	५
गाजीपुर	..	१९०	५४	२८	७
जौनपुर	..	११६	४७	१६	२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५८ पर)

नाम इजलास	मुकदमों की संख्या	सब से पुराने मुकदमें की तारीख
१	२	३
१—हाकिम परगना, बांसी ..	.. ३९७	७-८-१९६२
२—हाकिम परगना, नौगढ़ ..	.. ८०	१५-१-१९६३
३—हाकिम परगना, खलीलाबाद ..	.. १४७३	१८-१०-१९६२
४—हाकिम परगना, हरैया ..	.. २८१	३०-८-१९६२
५—हाकिम परगना, बस्ती ..	.. १५	१४-१-१९६३
६—हाकिम परगना, डुमरियागंज ..	.. १२७	२१-११-१९६२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२१ एल० ए०—१९६३—८५० ।